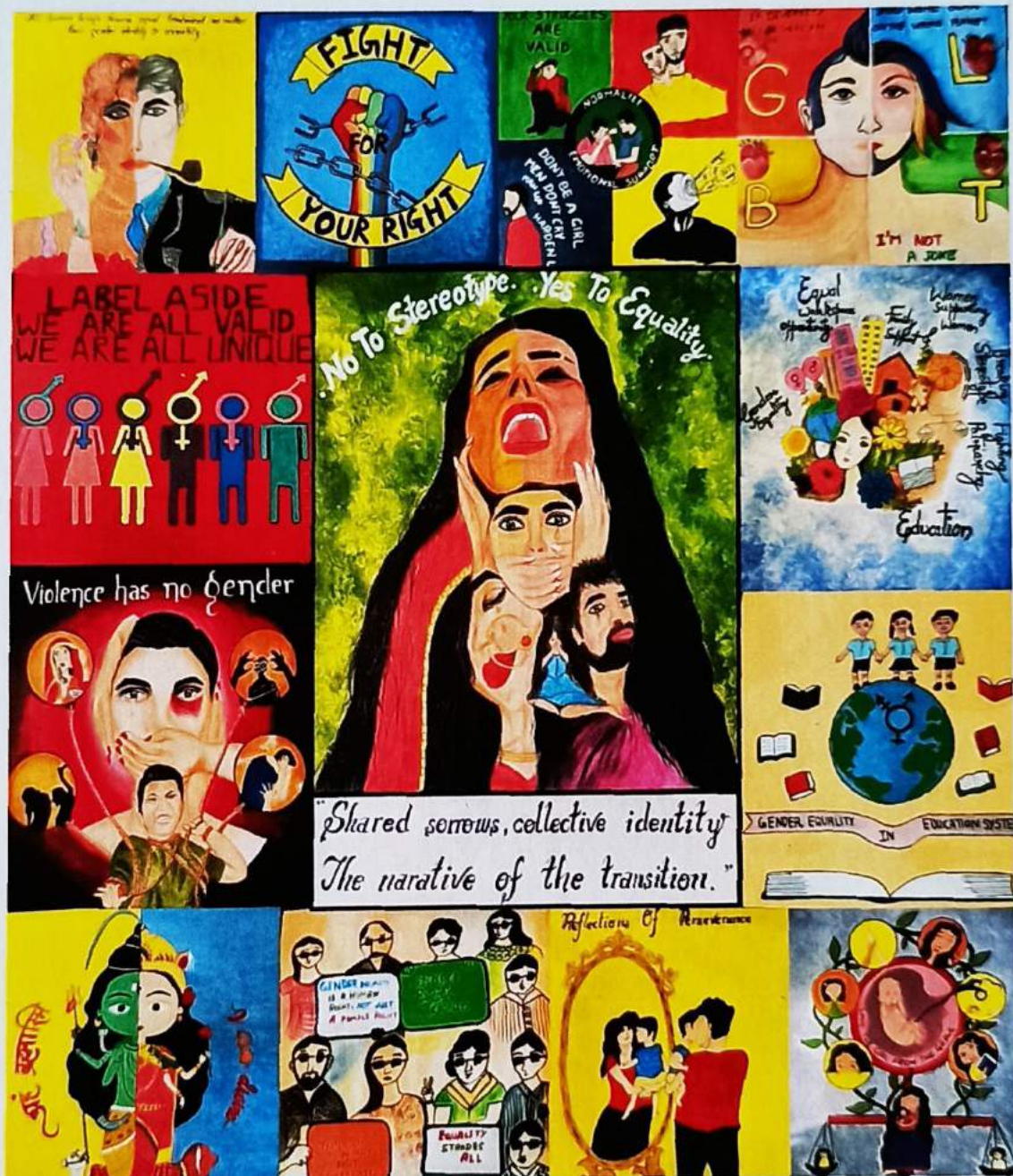


"No To Stereotype, Yes To Equality"

DOON INSTITUTE OF EDUCATION

December 18, 2023



Bachelor Of Education
2021-23

SUBMITTED TO: MRS. SANGEETA PANDEY



(Affiliated to HNB Garhwal University Srinagar and Approved by NCTE)

Under Aegis of Scholare International Education Foundation Society

Seminar on :

“No to Stereotype, Yes to Equality”

Practicum work on local Seminar:

Gender, School and Society

Organized By:

B.Ed.(2021-2023)

Semester – IV

Dated: 18/12/2023

सरस्वती वन्दना

मां शारदे चरण में हमर
कोटि नमन हो
अज्ञान की निर्झट स्वच्छ
ज्ञान गगन हो।

धवल वस्त्र धारिणी, हे श्वेत
वाहिनी श्वेत माल हस्त ग्रंथ
वीणावादिनी
चित्त हमर साधना में लीन
अमर हो
अज्ञान की निर्झट स्वच्छ
ज्ञान गगन हो।

विमल बुद्धि दायनी हे मां तू
निर्मली
सास ताल सुरमई अचीलयी
हृदय फली
माय मातृ भूमी मात्र प्राण
मगन हो।
अज्ञान की निर्झट स्वच्छ
ज्ञान गगन हो।

बुद्धि चले सिद्धीक उन्नत
उड़ान पर
बसर जाए जिंदगी कीर्तन
बितान पर
चंद्रमणि चहूँदिसी बिहुसहित
चमन हो।
अज्ञान की निर्झट स्वच्छ
ज्ञान गगन हो।

"Gender equality is more than a goal in itself. It is a precondition for meeting the challenge of reducing poverty. Promoting sustainable development and building a good governance...."

Welcome
to
Local Seminar
Session: 2021-2023



NO TO STEREOTYPE

YES TO EQUALITY

VENUE - MULTI-PURPOSE HALL

DATE - 18/12/2023







दिसंबर



सोम	मंगल	बुध	गुरु	शुक्र	शनि	रवि
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				



Deepika Barhwal



October

Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			



Kanika...



January

2024

Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				



Occupational segregation means distribution of worker across and within occupation based upon demographic characteristic most often gender.

It is also the separation of men and women into different occupation.

This most precious aspect of inequality in labour market since it is generally accompanied by lower pay and worst working condition for women. It is most enduring aspect of labour market around the world. It exists at all level of development, under political system and in diverse religious, social and cultural setting. The seriousness of occupational sex segregation as a form of discrimination is a fundamental right at work under ILO declaration and fundamental principles and right at work.

Other type of occupational segregation included racial ethnicity and sexual orientation segregation

Occupational segregation levels differ on the basis of perfect segregation and integration

Perfect segregation occurs where any given occupation employs only one group. Perfect integration on the other hand occurs; where each group hold the same proportion of position in an occupation as it holds the labour force.

Types of segregation

Gender Gender division of labour help to explain the hierarchy of power across gender in socialist feminist contributes to this ideology through Marxist from alienated labour and mean of production.

Horizontal segregation is difference in number of people in occupation. It refers to make a limited opportunities for certain gender in a special professions and sector since they are dominated by other gender.

Vertical segregation is dominance by the mean of highest status profession in both male and female traditionally job. Vertically segregation means allow man to obtained highest paying job and women to limited for certain jobs.

Race on the basis of race man and woman are selection the basis of skin colour and geographical factors.

Intersectionality of gender in occupational segregation means that the two factors build their own unique set of issue. Women are treating to move segregation that man.

Cause of segregation

- 1 **Individual preference:** In the childhood student selection their jobs by their interest. But in later jobs are selected on the basis of their personal choice person's degree of education the value they place on different occupation, their emotions in response to world around them; and environmental restriction they have.
- 2 **Educational disparities:** women are less educated in professional subjected. They are forced to select traditional subject such as art and teaching subject. Due to less education women are segregated from higher paying jobs.
- 3 **Work Disparities:** employs can influence their pay disparity for woman in three ways –
 - 1 power paying jobs
 - 2 undervalue their work
 - 3 direct applicants for certain job
- 4 **Jobs search strategies:** the women strategies for jobs search in different. The search jobs on the influence of family society, duties and domestic responsibilities.

The jobs search is based on contact. The general nature of social life has to network with smaller geographical reach, then man.

Effect of segregation

1 wage gap: due to segregation of gender women gain less earn then man at same occupation female salary is affected number of women in jobs on the other hand mans are not.

- 2 **lost opportunities:** the abilities of women underrated because of less opportunities. The capable women cannot contribute because of not giving opportunities.
- 3 **Dependency on male:** the earning of female is less so she has to depend on male for their need. The male always dominant over working women or non-working woman

Occupational segregation in India

Analysis of national sample survey office data (1970-2018) show that woman have largely undertaken labourintensive, home based and informal work, concentrated and low productivity sector. The proportion of ruler women working in agriculture fell from 88.1 in 1977-to 73.2in 2017 even as the corresponding decline for several men was 80.6 to55 over same period. Kapos found that less than 91 of new gowning employment opportunities generated in India's 10 fastest increasing in primary and secondary education women have systematically lost out on opportunities in fast growing sector to an increasing demand

for technically skilled labour, and man having tertiary educational and vocational training rules.

CONCLUSION

Vocational segregation is gender inequality in which man and women are separated by their jobs. Jobs segregation mainly cause because of women are unskilled in some field so they were bounded to a limited job. Nursing and teaching are determined best jobs for women.

In India the job segregation is also popular in ruler area women yet busy in agricultural activities. By giving equal opportunities to women, they can also prove them better. They just need one chance.

Suggestions

- We have to give equal right for all gender to prove them selves
- Confront gender stereotype by popular new media
- Increase mentorship and other effort to boast number of women in traditionally male occupation and position of popular leadership
- Enhance diversity by altering hiring practice
- Strict policies against harassment issue
- Promoting work life balance
- Develop open minded atmosphere
- Educate everyone for unconscious gender bias
- Empower women

INFANTICIDE

- Anjali bhatt

Infanticide is the act of killing an infant, typically a newborn or a very young child (under 1 year) It is a deeply unethical and illegal act in most societies, as it involves taking the life of a defenseless child.

FEMALE INFANTICIDE

Female infanticide is the most common form of infanticide, both nowadays and in the past. This practice is mainly due to the fact that, in some cultures, males are considered to be socially more valuable than women. Moreover, female infanticide is sometimes related to the control of the population.

FOR EXAMPLE-: The UN world report on violence against children conducted among 1000 women in India revealed that infanticide was the cause of 41% of death among newborn girls.

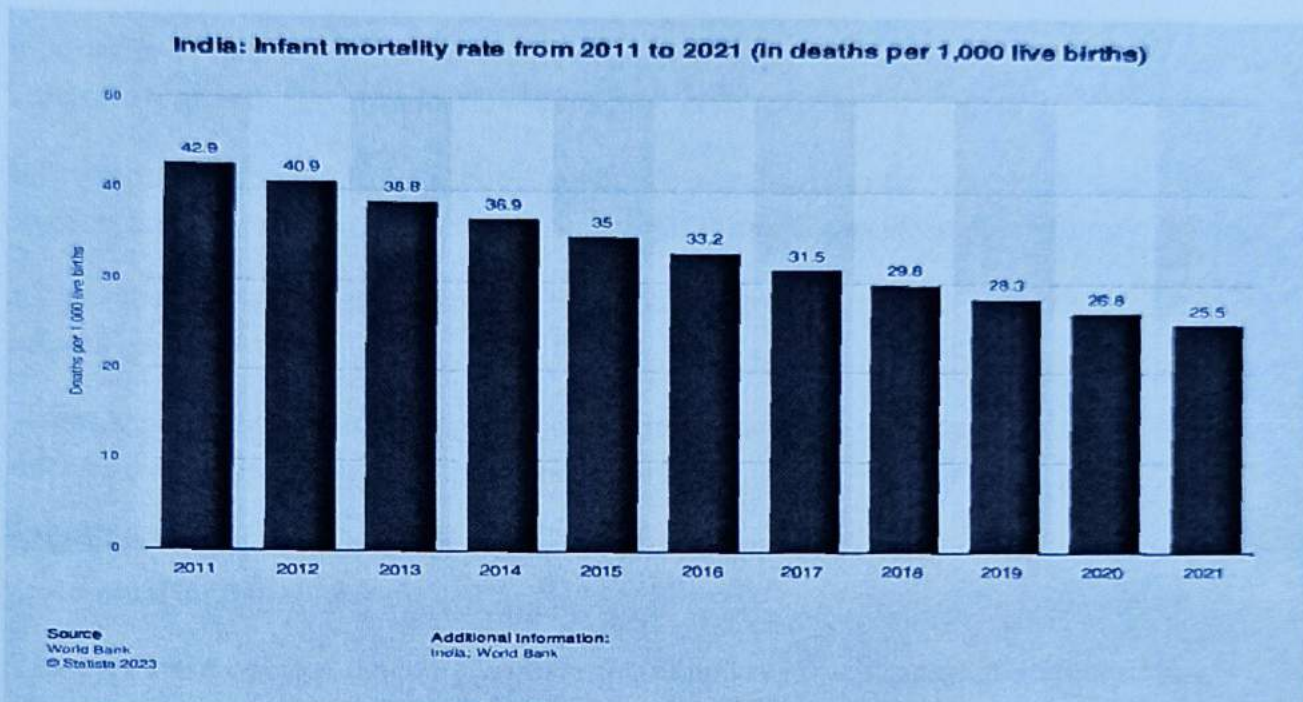
Every year an estimated 500,000 girls are lost to female feticide. The Indian state with the highest reported numbers of abortions in 2021 was Madhya Pradesh and Gujarat with 23 cases each. India has one of the highest rates of female feticide in the world.

Causes of infanticide in India-:

Infanticide in India, like in many other parts of the world, has various complex and interconnected causes. Some of the contributing factors included-:

- 1-Gender bias-:** Gender bias and a strong preference for male children in some parts of India can lead to the abandonment or killing of female infants. This is often rooted in cultural and societal norms.
- 2-poverty-:** Economic hardship and the inability to provide for a child may drive some parents to make the tragic choice of infanticide as they struggle to meet basic needs.
- 3-social stigma-:** Unmarried mothers, particularly in conservative areas may resort to infanticide due to the fear of social ostracism and discrimination.
- 4-lack of awareness and education-:** Limited access to education about reproductive health and family planning can contribute to unwanted pregnancies and subsequently, infanticide.
- 5-Religious and superstitious beliefs-:** In some cases, religious beliefs and superstitions may play a role, leading individuals to believe that killing an infant is necessary for religious or cultural reasons.
- 6-Lack of healthcare-:** In regions with inadequate healthcare facilities, women may face difficulties during childbirth, and if a child is born with disabilities, they may be more vulnerable to infanticide.
- 7-Legal restrictions on abortion-:** Stringent abortion laws may lead to unsafe and illegal abortions which can contribute to infanticide when children are born unwanted.

Sex Ratio -:



Act on infanticide in India:-

Infanticide is addressed under various sections of the Indian penal code (IPC), with the primary section being.

1-SECTION 300-: This section of IPC deals with the offense of murdered. If a person intentionally kills a newborn child, they can be charged with murder.

2-SECTION 312-: Section 312 of the Indian penal code states that anyone who voluntarily causes a woman to miscarry, except in good faith to save her life, Can

Be punished with imprisonment for up to three years, or a fine, or both, if the women is pregnant and the miscarriage is caused when the fetus is developed, the punishment can be imprisonment for up to 7 years, and may also be fined.

3-SECTION 315-: This section addresses the offence of causing death of a child by act amounting to culpable homicide not amounting to murder. It covers situations where a as murder.

4-SECTION 317-: This section relates to exposure and abandonment of a child under 12 years by parents or person having care of it. It is a punishable offense to willfully abandon a child under 12 years old, knowing that it is likely to cause the child's death.

How to stop infanticide in India-:

Stopping infanticide in India requires a multifaceted approach, addressing the root causes and providing support to affected communities.

1.Raise awareness-: Promote awareness about the consequences of infanticide, including the legal penalties, and the importance of valuing every child.

2.Education-: Improve access to quality education especially for girls, as higher literacy rates correlate with reduced instances of infanticide.

3.Economic Empowerment-: Support economic opportunities for women through skills training and job creation, reducing the economic burden associated with raising children.

4.Community engagement-: Work with local communities, and beliefs that may perpetuate infanticide.

5.Family planning-: Promote family and reproductive health services to help families make informed decisions about the size of their families.

6.Women's right-: Advocate for women's right and gender equality to reduce the societal preference for male children.

7.Government policies-:Encourage government policies that support gender equality, women's empowerment and the protection of children.

8.Legal measures-: Strengthen law enforcement and judicial systems to ensure that those involved in infanticide face appropriate legal consequences.

Conclusion-: Infanticide must be viewed against the political, cultural, social and legal background of societies that treat women with disregard. We have to make people understand that men and women are equal there should not be any kind of discrimination in it.

Suggestion-: We have to reduce the financial burden on families, the eradication of the dowry system could therefore potentially reduce the apparent preference of male children as well as female infanticide rates. Anything should be started from our home & family we should tell our children that there is no discrimination between male and female.

SEXUAL HARASSMENT

-Hemlata
Bhandari

Sexual harassment is a problem prevalent in the nation which is increasing at an alarming rate. In simple terms, sexual harassment can be referred to any sort of unwelcomed, uninvited action or behavior which caused discomfort, humiliation or distress to a person.

Sexual harassment includes-

Verbal harassment

Nonverbal harassment

Physical harassment

Visual harassment

Cyber harassment

Quid Pro Quo Harassment

Hostile work environment

Background: Unfortunate episode of Bhanwari Devi

- ✓ In 1992, Bhanwari Devi, a social worker with the women's development project of Rajasthan government was gang raped by five men after she tried to prevent the marriage of 1 year old girl.
- ✓ The accused were arrested and tried in the court, but they were backed by the local politicians.
- ✓ The treatment received by her from local administration further worsened the situation. Accused were acquitted from District and Session Court.
- ✓ Ultimately a PIL was filed by woman Right activist under a common platform Vishakha in 1997 demanding certain guidelines to be laid down for protection of women from sexual harassment at workplace. These guidelines came to be known as Vishakha guidelines.
- ✓ Vishakha Guidelines were promulgated by the Indian Supreme Court in 1997 and were superseded in 2013 by the **POSH Act** i.e., Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act. The Act came into force from 9 December 2013.

As per **POSH Act**, there are 4 key definitions-

- 1) Aggrieved women- A women of any age, whether employed or not in a workplace.
- 2) Employee- A person employed at a workplace on a regular, temporary on daily wage with or without remuneration.

- 3) Employer- Head of the department, organization, undertaking, or office.
- 4) Workplace-
 - (i) Any organization, department financed by govt. or local authority,
 - (ii) Any private sector,
 - (iii) Hospitals.

Objectives of POSH Act-

The fundamental objectives of the POSH Act 2013 are centered around creating a safe and harassment free work environment.

- 1) Prevention of sexual harassment- The primary objective of the POSH Act is to prevent incidents of sexual harassment in the workplace. It seeks to create awareness among employees, employers and organisations about what constitutes sexual harassment.
- 2) Protection of employees- It provides them with a legal framework to seek redressal and take action against perpetrators of sexual harassment.
- 3) Promoting gender equality – The POSH Act recognises that sexual harassment is a form of gender-based discrimination and aims to promote gender equality in the workplace.
- 4) Establishing a complaint redressal mechanism- The act mandated organisations to establish an internal committee to handle complaints of sexual harassment. This mechanism ensures that employees have a designated body to approach, confidentially and impartially for reporting incidents of harassment.
- 5) Awareness and sensitization- Another objective of the act is to promote awareness and sensitization about sexual harassment. It encourages organization to conduct training program and awareness campaigns to educate employees about their rights, the complaint, redressal mechanism and preventive measures.

Measures for discouraging sexual harassment at workplace:

Responsibility of the employer-

- Anti-harassment policies – The first step in this direction is the formulation of an effective sexual harassment policy. The policy should be clearly defined.
- Involve management and staff in policy formulation- The policy formulation should not be a solitary task, but it should incorporate the suggestion of the management well as the employees.
- Creating awareness- Every person working in the particular organisation should be aware of the existence of an anti-sexual harassment policy, the procedure to file any such grievances.
- Educating- All the staff members and management should be provided regular training and information on sexual harassment.
- Be responsive- Taking timely actions reflects the credibility of the company. This also sets an example for the people and can minimize the chances of such incidents.

shortly. Along with the employers, the employee should themselves be highly observant of the workplace environment.

Responsibility of the Employee-

All the staff members have a responsibility to –

- Follow the organisation's sexual harassment policy.
- Maintain confidentiality to aid the investigation offer support to sexualharassment victims and educate them on the channels to address their grievances.
- Avoid spreading gossip and rumors which may expose them to defamation action or a claim of victimization.

Conclusion:

Sexual harassment damages the lives, health, financial independence, and opportunities of countless victims, and costs businesses not only in legal fees, but in lost productivity, morale, effectiveness, and talent.

Suggestion:

- Make it crystal clear that sexual harassment prevention is a management priority.
- Make sure that Employees and Management understand what sexual harassment is.
- Keep sexual harassment prevention training positive.
- Enlist employees in ensuring a harassment-free workplace.
- Enlist Employees as social influencers.
- Take swift and decisive actions as issues arise.

Gender role in society

-Kajal Rawat

A gender role is a behaviour expected of a female or a male in a particular culture, the attitude and activities that a society expects of each sex

Gender roles are learned from family, guardian, elder sibling, and other role model. Learning continues to take place in diverse situations.

Whenever a girl is given a doll and a boy a gun, it is a manifestation of gender identity.

Gender roles keep changing relative to different cultures in their social, economic and political domains.

For example- Men are described as strong, tough, and wearing dhoti or trousers, shirt- pants (way of look) etc. while females are described as timid wearing saree, suit (way of look) etc.

Gender roles also include how both sexes should not behave, attitude and the way they should not present themselves or look like.

The impact on gender role by various social organisations such as family, caste, religion, media etc are explained in detail

1-family and gender role in society

Society refers to a group of people living in a particular area sharing some cultures etc.

The child learns its gender roles, primarily from the family. From birth to 5 years of age, the child spends most of its time with his or her family members. The child learns gender differences through interaction with his or her parents. Most parents dress their children in gender-specific clothing, they give them toys according to gender stereotypes. For example- girls are given Barbies, kitchen set etc and boys are given cars, toy guns etc. The early childhood factors within home are significant for the children to learn gender concepts.

2-Religion and gender roles in society

All religions of the world, define the appropriate gender roles and norms of behaviour for men and women in the society. However, religion portrays women as homemakers and men as bread winners of the family and accordingly prescribe the role and responsibilities for men and women both. In certain religions, women might have been denied of their rights.

Behaviour and practices to be followed by women as per religious belief

- Go to bed late and get up early, husband is known god.
- Husband is to be respected whether he is agile and strong or weak and timid
- Infertility is a sin.

- Marginalising the widowed and divorces.
- The society admonishing those who violates social norms and tradition.

Religious responsibilities followed by men

- Protecting the family at any cost uplifting the status of the family.
- Being a role model for the children.
- Courage and leadership qualities.
- Earning capacity.
- Mental strength to overcome the problem encountered.

3-Media and gender role in society

This topic refers also to the relationship between gender and media, gender characteristics, gender roles and functions portrayed by the media. These portrayals are capable of affecting the attitudes and points of view of the general public. Over- looking the personal views on gender roles and functions, even if we examine them in a broader perspective, it becomes imperative to consider now and then the effects of attitudinal changes brought about by media on the public perception of gender roles in the society.

For example, an advertisement in Indian television channels, presents a scene in which a woman is portrayed as feeding her son, a well-- blown 'Poori' made out of a particular brand of 'Atta' and her husband enjoying a television programme deflects his attention for a while to look at his wife feeding their son; mother in-law of the woman is depicted as appreciating the act.

In UN conference ,held in Chinese capital **Beijing** all Nations were told to immediately stop the continued projection of negative and degrading images of women in media communication. Most of the media portray women as generally one who under takes the responsibility such as managing home, taking care of elderly members in the family, fulfilling the needs of their husband, remaining patience and self controlled, maintaining the home need and clean, preparing food and washing cloth.

Women who fight against injustice and those undertake daring acts are correct rised as having masculinity and an illusion is made that they are not lovable.

In media men are projected as one who is strong, aggressive and skilled in various occupations, mentally strong and Brave.

We can cite cartoon pictures such as "SpiderMan", is an example which spread genders stereotype in large scale. The media try to make all believe that these type of genders stereotypes are "inborn".

Women will be portrayed as gentle and polite. However, in recent days media have started giving importance to women, as the gender stereotypes are deeply rooted in the minds of people, they get transmitted to next generation.

Generally, in cinemas while a male character is shown as actively engaged in delivery dialogue, the women character will be portrayed as passive listener man will be talking loudly and in commanding tone while women occasionally speak, it appears as man's words are final.

Women will be portrayed as gentle and polite. However, in recent days media have started giving importance to women, as the gender stereotypes are deeply rooted in the minds of people, they get transmitted to next generation.

Conclusion: The Fluidity of Gender Roles

In conclusion, gender roles tend to change over time. It is important individuals have present that the world was not always as they know it today, and the future can be completely different. How the future may look depends on humanity and the way they think.

Sex Ratio in Uttarakhand is 963 i.e. for each 1000 male, which is below national average of 940 as per latest census. In 2001, the sex ratio of female was 962 per 1000 males in Uttarakhand.

In India, the labor force participation rate among females is 24% and among males is 73.6% for 2022.

Suggestion

Gender roles are beneficial as roles are distributed among gender. It is good to have gender roles but it is not right to have fixed roles. Gender bias is undermining our social fabric and devalues all of us. It is not just a human rights issue; it is a tremendous waste of the world's human potential. By denying women equal rights, we deny half the population a chance to live life at its fullest. Political, economic and social equality for women will benefit all the world's citizens. Together we can eradicate prejudice and work for equal rights and respect for all.

Gender socialization

- Mansi dhaundiyal

Gender socialization is the process by which we learn our culture's gender-related rules, norms, and expectations. The most common agents of gender socialization—in other words, the people who influence the process—are parents, teachers, schools, and the media. Through gender socialization, children begin to develop their own beliefs about gender and ultimately form their own gender identity.

Socialization

It is the process whereby an individual learns to adjust to a group or society and behave in a manner approved by the group or society.

Socialization is the lifelong process through which people learn the values and norms of a given society.

Socialization essentially represents the whole process of learning throughout the life course and is a central influence on the behavior, beliefs, and actions of adults as well as of children.

Sex vs. Gender

The terms sex and gender are often used interchangeably. However, in a discussion of gender socialization, it's important to distinguish between the two.

Sex is biologically and physiologically determined based on an individual's anatomy at birth. It is typically binary, meaning that one's sex is either male or female.

Gender is a social construct. An individual's gender is their social identity resulting from their culture's conceptions of masculinity and femininity. Gender exists on a continuum.

Individuals develop their own gender identity, influenced in part by the process of gender socialization.

Gender Socialization in Childhood

The process of gender socialization begins early in life. Children develop an understanding of gender categories at a young age. Studies have shown that children can discern male voices from female voices at six months old, and can differentiate between men and women in photographs at nine months old. Between 11 and 14 months, children develop the ability to associate sight and sound, matching male and female voices with photographs of men and women. By age three, children have formed their own gender identity.

They have also begun to learn their culture's gender norms, including which toys, activities, behaviours, and attitudes are associated with each gender.

Because gender categorization is a significant part of a child's social development, children tend to be especially attentive to same-gender models. When a child observes same-gender models consistently exhibit specific behaviours that differ from the behaviours of other-gender models, the child is more likely to exhibit the behaviours learned from the same-gender models. These models include parents, peers, teachers, and figures in the media.

Children's knowledge of gender roles and stereotypes can impact their attitudes towards their own and other genders. Young children, in particular, may become especially rigid about what boys and girls "can" and "cannot" do. This either-or thinking about gender reaches its peak between the ages of 5 and 7 and then becomes more flexible.

Agents of Gender Socialization

As children, we develop gender-related beliefs and expectations through our observations of and interactions with the people around us. An "agent" of gender socialization is any person or group that plays a role in the childhood gender socialization process. The four primary agents of gender socialization are parents, teachers, peers, and the media.

Parents

Parents are typically a child's first source of information about gender. Starting at birth, parents communicate different expectations to their children depending on their sex. For example, a son may engage in more roughhousing with his father, while a mother takes her daughter shopping. The child may learn from their parents that certain activities or toys correspond with a particular gender (think of a family that gives their son a truck and their daughter a doll). Even parents who emphasize gender equality may inadvertently reinforce some stereotypes due to their own gender socialization.

Teachers

Teachers and school administrators model gender roles and sometimes demonstrate gender stereotypes by responding to male and female students in different ways. For example, separating students by gender for activities or disciplining students differently depending on their gender may reinforce children's developing beliefs and assumptions.

Peers

Peer interactions also contribute to gender socialization. Children tend to play with same-gender peers. Through these interactions, they learn what their peers expect of them as boys or girls. These lessons may be direct, such as when a peer tells the child that a certain behavior is or is not "appropriate" for their gender. They can also be indirect, as the child observes same- and other-gendered peers' behavior over time. These comments and comparisons may become less overt over time, but adults continue to turn to same-gendered peers for information about how they are supposed to look and act as a man or a woman.

Media

Media, including movies, TV, and books, teaches children about what it means to be a boy or a girl. Media conveys information about the role of gender in people's lives and can reinforce gender stereotypes. For example, consider an animated film that depicts two female characters: a beautiful but passive heroine, and an ugly but active villain. This media model, and countless others, reinforces ideas about which behaviors are acceptable and valued (and which are not) for a particular gender.

Gender Socialization Throughout Life

Gender socialization is a lifelong process. The beliefs about gender that we acquire in childhood can affect us throughout our lives. The impact of this socialization can be big (shaping what we believe we are capable of accomplishing and thus potentially determining our life's course), small (influencing the color we choose for our bedroom walls), or somewhere in the middle.

As adults, our beliefs about gender may grow more nuanced and flexible, but gender socialization can still affect our behavior, whether in school, the workplace, or our relationships.

Theories of Gender Socialization

Social learning theory

Social learning theory, proposed by Albert Bandura, emphasizes the importance of observing, modeling, and imitating the behaviors, attitudes, and emotional reactions of others. In the context of gender socialization, social learning theory posits that individuals acquire gender-related behaviors by observing and imitating the behaviors of others, particularly influential

role models such as parents, siblings, peers, and media figures. Children observe how people of their assigned or perceived gender behave, and they internalize and reproduce these behaviors in their own lives.

In addition to the observation of behavior, learning also occurs through the observation of rewards and punishments, a process known as vicarious reinforcement. When a particular behavior is rewarded regularly, it will most likely persist; conversely, if a particular behavior is constantly puni

According to social learning theory, reinforcement also plays a crucial role in gender socialization. When individuals display behaviors that align with societal expectations of their gender, they may receive positive reinforcement, such as praise or rewards, which strengthens the likelihood of repeating those behaviors. Conversely, behaviors that deviate from gender norms may be met with negative reinforcement or punishment, discouraging their repetition.

For example, a young girl who observes her mother engaging in nurturing and caregiving activities may imitate these behaviors and be positively reinforced for doing so. Similarly, a boy who witnesses his father engaging in traditionally masculine activities like fixing cars or playing sports may imitate these behaviors and receive approval from his peers or family members.

Cognitive Development Theory

Cognitive development theory, proposed by Jean Piaget, can be applied to understand the role of cognitive processes in gender socialization. According to this theory, children actively construct their understanding of gender through their cognitive abilities and developmental stages.

During the preoperational stage (ages 2-7) of cognitive development, children begin to acquire language skills and engage in symbolic play. They develop gender schemas, which are mental frameworks that organize their understanding of gender. These schemas help children categorize and make sense of the world around them, including gender-related information and behaviors.

Gender schemas influence how children perceive and interpret gender roles, expectations, and stereotypes. They guide children's understanding of what is considered appropriate or expected for their assigned or perceived gender. For example, a child with a gender schema for "boys" may categorize certain activities, toys, or clothing as "for boys," while categorizing others as "for girls." These gender schemas can shape their preferences, attitudes, and behaviors accordingly.

As children progress to the concrete operational stage (ages 7-11), their cognitive abilities become more advanced. They develop the ability to think logically and understand multiple perspectives. At this stage, children become more aware of societal gender norms and actively seek to conform to or challenge them based on their cognitive development and personal experiences.

Psychoanalytical theory

Psychoanalytical theory differs from both social learning and cognitive development theories. It is not a learning theory. Psychoanalytic theory, developed by Sigmund Freud, is a psychological framework that aims to explain human behavior, personality development, and mental processes. It delves into the unconscious mind and explores the interplay between different components of the psyche.

It suggests that some aspects of gender identity result from unconscious psychological processes. The psychoanalytic approach was founded by Sigmund Freud but its application to gender socialization was founded by Nancy Chodorow.

According to Chodorow, when a woman becomes a mother, the most important aspect of her relationship with any daughter is the recognition that they are alike. Thus, her daughter can also become a mother someday. This special connection is felt by the daughter and incorporated into her psyche, or ego. It is important to remember that much of this is happening at an unconscious level. In contrast to the development of daughters, Chodorow suggests that sons are influenced by the essential feelings of difference conveyed by their mother.

TRANSGENDER

-Mansi Raturi

Transgender means someone whose gender differ from the one they were given when they were born. Transgender people may identify as male or female.

Gender refer to the socially constructed roles and behaviour activities and attributes that a given society consider appropriate for men and women.

Transgender people grow up identifying and wanting to express as member of another gender.

Transwomen (assigned male at birth identifying as female).

Transmen (assigned female at birth identifying as male).

According to the Transgender person (protection of rights bill 2016)"Transgender person means a person who is neither wholly female nor wholly male and whose sense of gender does not match with the gender assigned to that person at the time of birth and include transmen and transwomen, person with intersex variation and gender queers."

ATTITUDE TOWARDS TRANSGENDER IN THE FAMILY AND SOCIETY.

Transgender community comprises of **HIJRAS, KINNAR, SHIV-SHAKTI, KOTHIAS** etc. total population of transgender in the world is =1% and total population of transgender in India is 4.88 lakhs (census of INDIA 2011).

Only 30,000 are registered with the election commission.

According the Legal Policy website of government of India 99% of transgender have suffered social rejection including from their family.

96% of transgender are denied jobs and are forced to take low paying.

About 21.7% of transgender are that their parent were tried to kill them and 41.7% are that their parent physically punished them.

18% of transgender are physically abused and 62% transgender are verbally abused in school. 15% of transgender are harassed by students as well as teachers. Only 2% of transgender live with parents.

According to NACO (2011) survey 41.2% transgender were not accepted by their family member due to their gender status, because of it 48.8% transgender were drop out between 6th to 12th standard. 18.4% remained illiterate.

EVOLUTION OF LEGAL IDENTIFICATION AND RIGHTS OF TRANSGENDER

The Justice Verma Committee report on Rape Law published on 2012 suggested alteration of criminal laws to take cognizance of crime against transgender community. An Expert committee was constituted in the ministry to make an-in depth study of the problem being faced by the transgender community and the report were submitted on 27th January 2014 recommend the:-

- 1- Transgender should be declare as Third gender.
- 2- Certificate that a person is a transgender person should be issue by a state level authority.
- 3- Change of gender either as male, female or transgender should be allowed to be carried out on the birth certificate of the person after the age of 18 years or above.

In the landmark judgement Dated on 15/04/2014 delivered by **Hon'ble SUPREME COURT in National Legal Service Authority (NALSA)vs UOI**, the court made directions to the government for legal recognition and protection of Rights of Transgender.

PRIVATE BILL OF 2014

Tiruchi Siva, a member of the Dravida Munnetra Kazhagam (DMK) party, introduced The Rights of Transgender Person Bill 2014 as a private member 's bill in the **RAJYA SABHA**. The bill was passed by the Rajya Sabha in April 2015, but failed to gain majority in the Lok Sabha. The bill proposed for creation of **NATIONAL COMMISSION WELFARE BOARD** at the Centre and State level for reservation in government jobs, pensions and unemployment allowances for member of the community. The bill provided for right to self identification as Transgender.

THE TRANSGENDER PERSON(PROTECTION OF RIGHT BILL)2016

The Transgender Person (protection of right bill 2016) introduced by the government from the concept of self- identification of transgender suggested by the SC judgement, expert committee report and the rights of transgender person bill 2014. In 2016 -17 bill was sent to a department related parliamentary standing committee on social justice and empowerment. The committee recommend that the process of obtaining a certificate from the screening committee be made as simple as possible.

THE TRANSGENDER PERSONS (PROTECTION OF RIGHT) 2019

As per the 2019 act in order to get a certificate of identity, a transgender has to make an application to District Magistrate. The certificate will be issued by the DM without the requirement of any physical or medical examination.

The act criminalised following offences against Transgender:-

- 1- Bonded or forced labour
- 2- Denial to use public places
- 3- Removal from their house and or village
- 4- Sexual physical emotional verbal or economical abuse
- 5- Measures to facilitate education, healthcare, housing and employment for transgender.

LAWS PROTECTING TRANSGENDER PERSON

NALSA – on 15/04/2014 NALSA VS UOI, the court made directions to the government for following purposes:

- Hijras, Eunuchs apart from binary gender be treated as third gender

PUTTASWAMY CASE – Justice K.S Puttaswamy vs UOI, the right to privacy was recognized as a component of right life and a fundamental right. Right to privacy include bodily autonomy, sexual autonomy and self – identification.

DECRIMINALISATION OF SECTION 377 OF IPC – In case of Navtej Singh Johar vs UOI, that a transgender must not be denied the fundamental human rights. The right to life, liberty, the right to violation and exploitation.

CODE OF CRIMINAL PROCEDURE 1973 – A Transgender person is subjected to the same criminal procedural law of arrests, bail, summons, investigation etc.

SECTION 18 OF THE TRANSGENDER PERSON (PROTECTION OF RIGHTS) ACT

This law protect all transgender person against any form of abuse such as physical, verbal, emotional, sexual, mental and economical abuse by imposing the punishment of imprisonment for a term which shall not be less than six months.

DOMESTIC VIOLENCE ACT 2005 – This act protect all women including transgender women against any kind of abuse by an family member.

AUTHORITIES UNDER TRANSGENDER LAW

NCTP – National Council For Transgender Person. It is a statutory body. Establish on 21 August 2020 by ministry of social justice and empowerment. Head quarters – DELHI. HEAD- MR. THAWAR CHAND GEHLOT.

Regional member – LAXMI NARAYN TRIPATHI, GOPI SHANKAR MADUARI, ZAINAB P RIFAI, SHYAMCHAND KOKCHITBOMB, MEERA PARIDA.

Expert member – RESHMA PRASAD, ARYAN PASHA, VIHAAN PEETHAMBER, C. GANESHDAS

CONCLUSION

The legal protection of trans rights can be more effective if speed track court are established and special prosecutors are appointed to prosecute offences against sexual and gender minorities.

LGBTQ+ Community

-Mayank Rawat

- Lesbain – L
- Gay – G
- Bisexual – B
- Transgender – T
- Queer/Questioning – Q

The LGBTQ community is treated unfair and it is denied rights is shamed is victimized is attacked and otherwise not accepted and it should not be this way.



Lesbian – L form is for Lesbian

*Lesbian are those women or girls who are attracted towards the same sex (female to female) they make sexual relationship between the same sex.



Gay – G form is for Gay

*Gay are those men or males who are attracted towards the same sex (male to male) they make sexual relationship between the same sex.



According to Supreme court of India in 2019, order to remove IPC Sanctions Act against them and provide validity to same sex.

Bisexual – B form is for Bisexual

*Any males or females who are attracted towards both sex (male and female) same or opposite sex for sexual relationship is know as Bisexual.



Transgender – T form is for Transgender

*When they are born there sex is different but after birth the physical and hormonal development in a body changes to different sex.

Example – if a girl at her birth time her sex is female but afterward when she grows due to hormonal changes in her body she looks like boys as masculine body , she has beard etc.

Example – if a boy at his birth his sex is male but afterward when he grows to adulthood due to hormonal changes in his body, he look like a girl as body changes and various changes physically.

Transgender are peoples', at the birth time weather they are male or female but here physical appearance will change to opposite sex



In a society, if he is a boy but the physical appearance development appear in his body as female, so he starts to wear like female dress up to accept it from the society.

Q - Q form is for Queer/Questioning

*Queer are the people who don't know there identity about there body and their interests or there sexual interest, they have there own identity crises, they are in questioning staze and unable to recognize there identity, they spent there time for finding about there interest and there identity so that is why they are called Queer/Questioning.



Most of people don't know about LGBTQ Community.

LGBTQ community celebration month – “ The pride month “ June

This month is celebrated to spread awareness about LGBTQ community and to stop hate and discrimination in a society amongst them and to provide rights and laws for them

*Pride month is celebrated to maintain the equality amongst LGBTQ community, this festival is mostly celebrated in Latin American countries.

*As we can see in our society too about LGBTQ community there is various discrimination, hate and violence for them, in our society peoples don't like to discuss or talk about them or see them, but these are the peoples as we are.

SOLUTION

- We need to accept our LGNBTQ brothers and sisters
- Human rights are a non-negotiable
- Discrimination is a crime
- Awareness – aware of who you are, and how you are different from and similar to lgbtq persons.
- Knowledge/Education – persons in your community, state and nation, understanding the laws and policies.
- Action – The most important and scariest level, this step involves taking what you know, and what you have learned and feel strongly about concerning LGBTQ issues and helping to cause change in our society.

CONCLUSION

- We are all human and due to basic human rights.
- Let's be aware of everyone being hated and discriminated. No forms of hate or violence are okay
- What if your child is born LGBTQ? Would you want them discriminated or attacked?
- Let's practice acceptance for our surrounding humans, who like us are just born.
- At the end of the day, you are not in control of the laws, decision of others or change
- You are in control of yourself and do influence others and the future

Gender Sensitivity / Gender Sensitization

-Monika Gaur

What is gender sensitivity ?

Gender sensitivity is behaviour that avoids discrimination by understanding and accepting the multiple differences between men and women.

Transgender - A transgender person is someone whose gender identity differs from that typically associated with the sex they were assigned at birth. Some transgender people who desire medical assistance to transition from one sex to another identify as transsexual.

It is a way of thinking that focus respect and compassion for others regardless of there differences.

Gender sensitization among children teaches them to rely on subconscious assumptions and generalization and more on individual personality traits.

Need for gender sensitization

Women, men and the third gender (LGBTQ), play a key role at home, office and in society, when all the genders feel empathetic toward each other, it creates a positive culture at home, workspace and society.

Gender sensitization can lead to gender justice equality and inclusion.

Gender related terminologies

In order to sensitive individual regarding gender issues, it is important to first to understand the differences between certain gender related terms.

SEX- Sex is biological as per WHO the term per refers to the difference and the physiological characteristics of female, male and intersex person.

Gender- According to WHO gender refers to the characteristics of women, men, girl, boys that are socially constructed.

These include norms, behaviour and rules associated with being a women, man, girl or boy as well as relationship with each other, as a social construct gender varies from society to society and can change overtime.

Gender identity- Gender identity refers to a persons deeply felt internal and individual experience of gender, which may not corresponds to the person's physiology or designated sex at birth.

Gender Role- There are "sets of behavior" roles and responsibility attributed to women and men that the culture defines it or appropriate for men and women.

Gender Stereotype- These are idea that people have an masculinity and femininity, such as what men and women of all generations should be like and are capable of doing.

(1)For Example- Male stereotype include considering men as providers and protectors , man do not cry.

(2)while women stereotype include considering women as the main care givers in the family, restricting her to household chores etc.

Types of gender bias and inequality

Some of the forms of gender biases that are visible in the society are –

- Difference in wages or salary of men and women.
- Colours used to decorate the room, types of toys and clothing styles for boys and girls.
- Most of the time school textbooks show picture of women doing household chores.
- Advertisement and films featuring women taking care of children whereas men going out to work.
- Women should have long hairs and men should have short hairs.
- Women are emotional and men are rational
- Boys and men should not cry

There are some simple things that we can do to increase this conscientiousness among children are –

1. Be a role model

Children tend to mirror the attitude and actions of elders, so we should use the gender neutral language, taking turns with our partner to do different chores can break the stereotype that certain activities are for a particular gender.

2. Let them do what they enjoy

When it comes to hobbies and curricular, we may be so tempted to push our child in a certain direction instead, let them explore the things that interest them and expose them to role models of all the genders within their fields.

3. Allow them to express

Many times have we heard the phrase “boys don’t cry” or “it’s not lady like to short”?

At some point we seem to have assigned appropriate emotions to different genders, for this reason it is important to keep children from internalizing their negative emotions, it helps them to express their emotions in a healthy manner and can help them feel more secure in their identity and in turn, help them empathize with the peers.

Government has taken several steps are –

- Several steps and initiatives have been taken up in school education system such as National Curriculum Framework (NCF) 2005 and flagship program me like Samagra Shiksha and the subsequent Right to Education Act (RTE)- Kasturba Gandhi Balika Vidyalayas (KGBVs) have been opened in Educationally backward blocks (EBBs). Gender sensitization is also done which include gender sensitization module- part of in-service training, construction of toilets for girls, construction of residential quarters for female teachers and curriculum reforms.
- To bring women in the mainstream of political leadership at the grass root level, government has reserved 33% of the seats in Panchayati Raj Institutions for women, Capacity Building of Panchayat Representatives (EWRs) of Ministry if Panchayati Raj is conducted with a view to empowering women to participate effectively in the government processes.

Sex ratio at birth has improved from 918 in 2014-15 to 931 in 2018-19.

Female literacy rate has increased from 55.1% in 2004-05 to 69.4% in 2015-16.

-
- Gender Budget has been made a part of union Budget of india since 2005 that entails fund allocation towards programmes/schemes dedicated to women, through this effort the government is continuously promoting gender parity/equality with a focus on alleviating gender gap in all sectors and at all levels of governance, As per the Gender budget statement, Government has earmarked Rs 153326.28 Crores for FY 2021-22 to be used by the Ministries towards schemes/ programmes aimed at reducing gender gap in all aspects of social, economic and political life.

DOMESTIC VIOLENCE ACT 2005

-Reshma

Domestic Violence (According to section 3)

It includes all forms of abuse or threat of abuse of physical, sexual, verbal, emotional and economic nature that can harm, cause injury to endanger, the health, safety life, either mental or physical of the aggrieved person.

Domestic Violence Type:-

1. **Physical Abuse:** - This involves physical harm or the threat of it such as hitting, slapping or pushing.
2. **Emotional or psychological abuse:** - This may include verbal insults, manipulation and controlling behaviour.
3. **Sexual abuse:** - Involves any non-consensual sexual acts or coercion within a domestic relationship.
4. **Financial abuse:** -This occurs when one partner controls the finances, refracting the other access to money or financial resources.
5. **Stalking and Harassment:** -Persistent unwanted attention which can be emotional, online or physical.
6. **Cultural and religious abuse:** - Exploiting cultural or religious beliefs to control and manipulate a partner.

Causes of violence:-

1. Addiction to alcohol
2. Suspicious nature of the abuser
3. Low self-esteem of abuser
4. Difficulty in controlling anger
5. Dissatisfaction with dowry
6. Orthodox mindset of people

Why violence is tolerated:-

1. Dependent status
2. Gender inequality

3. Social tolerance
4. Physically weak

Effects of violence on women:-

1. Post-traumatic stress disorder
2. Chronic depression
3. Suicide attempts
4. Sleep disorders
5. Anxiety and stress

6. Effects on children:-

Domestic violence is a threat of life and health not only for women victim but it includes children also.

1. Low self-esteem and increased level of anxiety
2. Repressed feelings of fear, anger, guilt and confusion
3. Aggression temper tantrums
4. Suicidal thoughts and lack of trust
5. Lack of social competence

Who is covered under the Act

The Act covers all women who may be mother, sister, wife, widow or partners living in a shared household. The relationship may be in nature of marriage or adoption. In addition relationships with family members living together as a joint family are also included. No female relative of the husband or the male partner can file a complaint against. The wife or the female partner for ex- the mother in law cannot file an application against a daughter in law but she can file an application against her daughter in law for abetting her to commit violence against her.

Who can file a complaint:-

1. Any women who alleges to have been subjected to any act of domestic violence by the offender or any person may file a complaint on her behalf.
2. A child is also entitled to relief under the domestic violence act. The mother of such a child can make an application on behalf of her minor child (whether male or female). In cases where the mother makes an application to the court for herself the children can also be added as co-applicants.

Relief for women in the Act

The protection of women from domestic violence act 2005 is an Indian legislation that addresses the issue of domestic violence and provides legal protection and support to women.

Some key provision of the act

1. **Definition of Domestic violence:** -The act defines domestic violence to include physical, sexual, verbal, emotional, and economic abuse, as well as harassment. It recognizes that such violence can occur within a domestic relationship.
2. **Applicability:**- The act is not limited to married women and covers women in various types of relationships, including married, divorced, widowed and those in live in relationships.
3. **Protection orders:** - It allows victim to seek protection orders that can prevent. The abuser from committing acts of domestic violence. These orders can also provide for residence orders which determine the place of residence of the victim.
4. **Monetary Relief:** - The act permits victims to seek financial support and compensation from the abuser to cover medical expenses loss of earnings and others costs resulting from the violence.
5. **Emergency Relief:** - It provides for obtaining emergency protection orders without lengthy legal proceeding, ensuring immediate safety for the victim.
6. **Counselling and support:** - It mandates counselling and support services for victims as well as intervention programs for a busers.

Conclusion:-

Domestic violence is a serious and widespread problem that affects millions of people around the world. It is a form of abuse that seeks to control and dominate the victim through physical, emotional, sexual, or economic means. Domestic violence can have devastating consequences for the victims and their children, such as physical injuries, psychological trauma, social isolation, and even death. Therefore, it is essential to prevent and stop domestic violence by raising awareness, providing support and protection to the victims, holding the perpetrators accountable, and promoting healthy and respectful relationships. Domestic violence is not a private matter, but a social issue that requires collective action and responsibility. By working together, we can end the cycle of violence and create a safer and more peaceful society for everyone.

Nai Chetana -Pahal Badlav Ki Campaign

- Sanjana bisht

The Ministry of Rural Development has initiated the campaign "Nai Chetana -Pahal Badlav Ki"- A Community-led National Campaign Against Gender-Based Discrimination to commemorate the International Day for the Elimination of Violence Against Women across all the states of the country during November 2022. The campaign is being organised as part of the Deendayal Antyodaya Yojana-National Rural Livelihoods Mission.

The goal of this campaign is to increase awareness of obstacles and prejudice encountered by women at all levels among community institutions, rural communities, and government agencies throughout the course of the next five years.

Gender based violence

The National Crime Records Bureau's (NCRB) 'Crime in India 2021' report indicates that India registered 31,677 cases of rape in 2021 - an average 86 daily - while nearly 49 cases of crime against women were lodged every single hour. The number of rape cases in 2020 was 28,046, while it was 32,033 in 2019.

Impacts of Violence Against Women

•

It has a significant negative impact on women's physical, sexual, and reproductive health as well as their emotional and behavioural well-being, preventing them from reaching their full potential.

- Women's capacity to actively participate in all types of social and political interactions on an equal basis is impacted by violence and the threat of violence.
- The employment rates and economic empowerment of women are impacted by domestic abuse and workplace harassment. Girls' educational prospects and accomplishments are hampered by sexual harassment.

What can be done to Eliminate Gender Based Violence?

- Numerous studies have demonstrated that one of the most effective ways to eradicate GBV is to involve entire communities in its recognition, treatment, and prevention.
- Gender-based violence (GBV) can be eradicated with the help of society, the government, and people working together.
- One of the most crucial methods of locating and helping victims is to educate about gender-based violence.
- The media is an important vehicle for bringing GBV to light, publicising solutions, educating policymakers, and enlightening the general

public on their legal rights and how to identify and solve GBV.

- The role of school systems in preventing GBV is crucial. All of the following can be used to spread the message that violence is wrong and can be avoided : regular curricula,
- sexuality education, school counselling programs, and school health services.

International Day for the Elimination of Violence Against Women

Women's rights activists have observed 25 November as a day against gender-based violence since 1981. This date was selected to honour the Mirabal sisters, three political activists from the Dominican Republic who were brutally murdered in 1960 by order of the country's ruler, Rafael Trujillo (1930-1961). On 20 December 1993, the United Nations (UN) General Assembly adopted the Declaration on the Elimination of Violence against Women, paving the path towards eradicating violence against women and girls worldwide.

Finally, on 7 February 2000, the UN General Assembly adopted resolution, officially designating 25 November as the International day for the Elimination of Violence Against Women and in doing so, inviting governments, international organizations as well as NGOs to join together and organize activities designed to raise public awareness of the issue every year on that date.

India's campaign for elimination of Violence Against Women

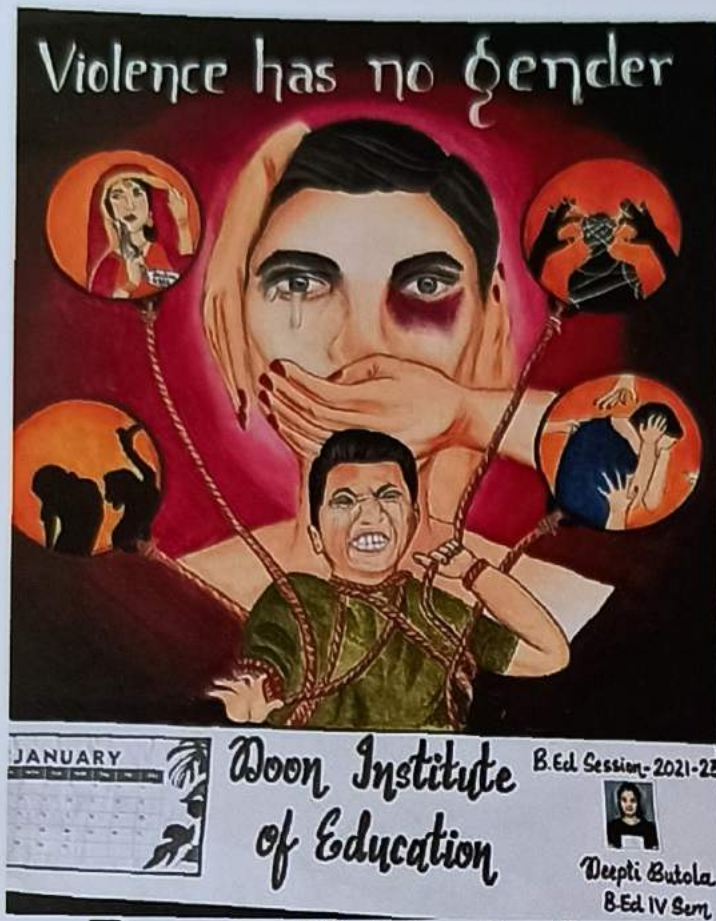
A month-long campaign titled, "Nai Chetna-Pahal Badlav Ki" with the theme of 'Elimination of Gender-Based Violence' is being conducted as a 'Jan Andolan' (people's movement) in all the States/UTs of the country. In 2022, the campaign is being held from 25th November to 23rd of December, 2022.

This will be an annual campaign focusing on specific gender issues each year. The focus area of the campaign for 2022 is Gender Based Violence.

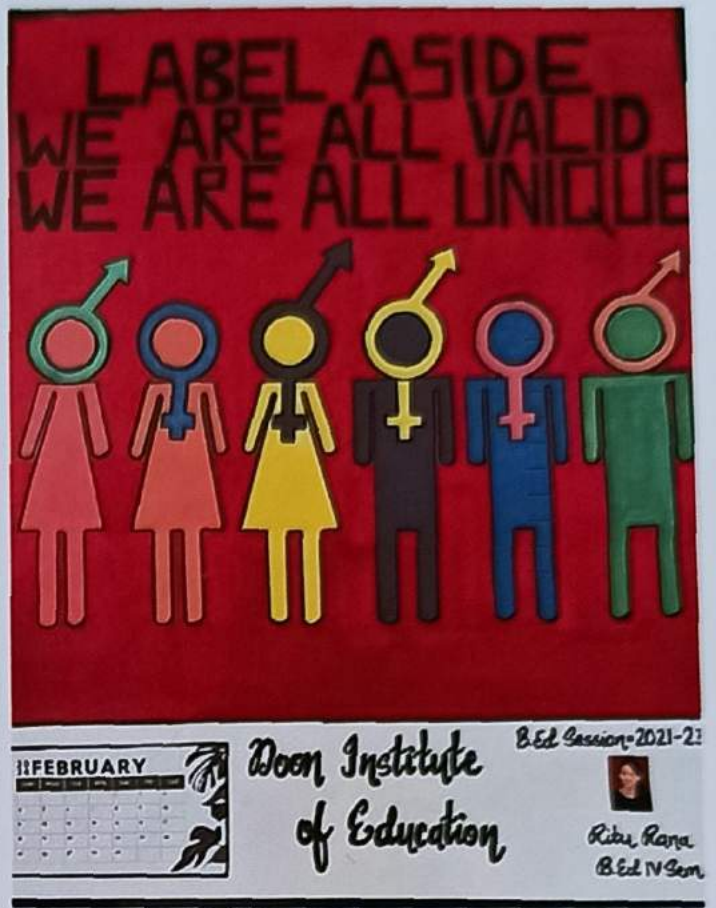
This campaign will be implemented by all states in collaboration with Civil Society Organizations (CSO) partners, and actively executed by all levels including the State, District, Block engaging the Community Institutions along with the extended community

Campaign will also bring together all line departments and stakeholders to create a concerted effort in acknowledging, identifying and addressing issues of violence. Over the years this campaign will incorporate an intersectional approach deepening the understanding of gender and generating relevance and ownership in all departments and verticals with a multisectoral approach.

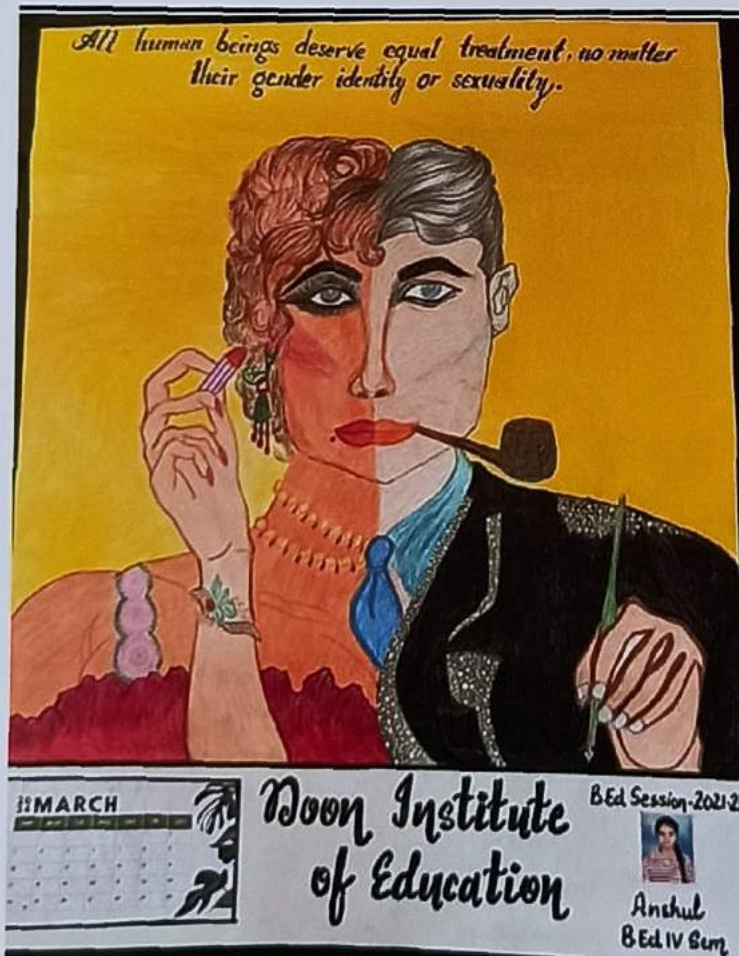
As part of the campaign, there will be knowledge workshops, leadership training, seminars on sexual violence and redressal mechanisms.



Deepti Butola



Ritu Rana



Anshul



Rohit Bisht

Homosexual Marriage

-Sakshi Kala

Same-sex marriage, also known as gay marriage, is the marriage of two people of the same legal sex. As of 2023, marriage between same-sex couples is legally performed and recognized in 35 countries, with a total population of 1.4 billion people (17% of the world's population). The most recent country to legalise same-sex marriage was Nepal. It will become legal in a 36th country, Estonia, on 1 January 2024.

Adoption rights are not necessarily covered, though most states with same-sex marriage allow those couples to jointly adopt as other married couples can. In contrast, 35 countries (as of 2023) have definitions of marriage in their constitutions that prevent marriage between couples of the same sex, most enacted in recent decades as a preventative measure. Some other countries have constitutionally mandated Islamic law, which is generally interpreted as prohibiting marriage between same-sex couples. In six of the former and most of the latter, homosexuality itself is criminalized. There are records of marriage between men dating back to the first century. It is legally recognized in a large majority of the world's developed democracies; notable exceptions are Italy, Japan, South Korea, Greece and the Czech Republic. It is not yet recognized in any of the world's Islamic polities. Some countries, such as China and Russia, restrict advocacy for same-sex marriage.

The first same-sex couple to be married legally in modern times were Michael McConnell and Jack Baker in 1971 in the United States; they were married in the county of Blue Earth County, Minnesota. The first law providing for marriage equality between same-sex and opposite-sex couples was passed in the continental Netherlands in 2000 and took effect on 1 April 2001. The application of marriage law equally to same-sex and opposite-sex couples has varied by jurisdiction, and has come about through legislative change to marriage law, court rulings based on constitutional guarantees of equality, recognition that marriage of same-sex couples is allowed by existing marriage law, and by direct popular vote, such as through referendums and initiatives. The most prominent supporters of same-sex marriage are the world's major medical and scientific communities, along with human rights and civil rights organizations, while its most prominent opponents are religious fundamentalist groups. Polls consistently show continually rising support for the recognition of same-sex marriage in all developed democracies and in some developing countries.

Scientific studies show that the financial, psychological, and physical well-being of gay people are enhanced by marriage, and that the children of same-sex parents benefit from being raised by married same-sex couples within a marital union that is recognized by law and supported by societal institutions. Social science research indicates that the exclusion of same-sex couples from marriage stigmatizes and invites public discrimination against gay and lesbian people, with research repudiating the notion that either civilization or viable social orders depend upon restricting marriage to heterosexuals. Same-sex marriage can provide those in committed same-sex relationships with relevant government services and make financial demands on them comparable to that required of those in opposite-sex marriages, and also gives them legal protections such as inheritance and hospital visitation rights. Opposition is based on claims such as that homosexuality is unnatural and abnormal, that the recognition of same-sex unions will promote homosexuality in society, and that children are better off when raised by opposite-sex couples. These claims are refuted by scientific studies, which show that homosexuality is a natural and normal variation in human sexuality, that sexual orientation is not a choice, and that children of same-sex couples fare just as well as the children of opposite-sex couples.

The first same-sex couple to be married legally in modern times were Michael McConnell and Jack Baker in 1971, in Hennepin County, Minnesota.[50] Historians variously trace the beginning of the modern movement in support of same-sex marriage to anywhere from around the 1980s to the 1990s. In the United States, same-sex marriage became an official request of gay rights movement after the Second National March on Washington for Lesbian and Gay Rights in 1987.

In 1989, Denmark became the first country to legally recognize a relationship for same-sex couples, establishing registered partnerships, which gave those in same-sex relationships "most rights of married heterosexuals, but not the right to adopt or obtain joint custody of a child". In 2001, the continental Netherlands became the first country to broaden marriage laws to include same-sex couples. Since then, same-sex marriage has been established by law in 34 other countries, including most of the Americas and Western Europe. Yet its spread has been uneven — South Africa is the only country in Africa to take the step; Taiwan and Nepal the only two in Asia.

What is the Observation of the Supreme Court (SC)?

Against Constitutional Validity:

A five-judge Constitution Bench of the apex court headed by Chief Justice of India ruled in a 3:2 verdict against giving constitutional validity to same-sex marriages.

Domain Of Parliament:

The CJI, in his opinion, concludes that the court can neither strike down or read words into the Special Marriage Act (SMA) 1954 to include same sex members within the ambit of the SMA 1954. The top court said it is for Parliament and state Legislature to formulate laws on it.

Other Observations:

However, at the same time, the SC says the relationship of marriage is not a static one.

SC holds that queer persons have an equal right and freedom to enter into a “union”.

All five judges on the Bench, agreed that there is no fundamental right to marry under the Constitution.

What is the Legality of Same-Sex Marriages in India?

The right to marry is not expressly recognized either as a fundamental or constitutional right under the Indian Constitution but a statutory right.

Though marriage is regulated through various statutory enactments, its recognition as a fundamental right has only developed through judicial decisions of India's Supreme Court. Such declaration of law is binding on all courts throughout India under Article 141 of the Constitution.

Earlier Views of Supreme Court on Same-Sex Marriages:

Marriage as a Fundamental Right (ShafinJahan v. Asokan K.M. and others 2018):

While referring to Article 16 of the Universal Declaration of Human Right and the Puttaswamy case, the SC held that the right to marry a person of one's choice is integral to Article 21 of the Constitution.

Article 16 (2) in the Indian constitution provides that there cannot be any discrimination on grounds only of religion, race, caste, sex, descent, place of birth, residence or any of them.

The right to marry is intrinsic to the liberty which the Constitution guarantees as a fundamental right, as the ability of each individual to take decisions on matters central to the pursuit of happiness. Matters of belief and faith, including whether to believe are at the core of constitutional liberty.

Devadasi System

-Vikas Badoni

Devadasi is a name given to a girl 'dedicated' to a deity in a temple for worship and service of the deity for the rest of her life. This was prominent in southern and parts of western India.

The dedication of the girl takes place in a ceremony similar to marriage and is called 'pottukattu'.

Devadasi System – Origin & Background

This tradition dates back to the sixth century where young girls were married to the deity, after which they would act as the temple caretakers and perform all rituals, including dance and music in the honor of the deity.

Originally, the girls learned and practised the arts like Bharathanatyam, Odissi or other classical dance forms, apart from taking care of the temple and engaging in rituals.

They traditionally enjoyed a high status in society as music and dance were integral parts of worship in temples. They were considered auspicious as they were committed to the deity.

Later, after the involvement of Mughals and Britishers in the country, many temples were broken and their status in the society deteriorated and they were being exploited and degraded. The children of the Devadasis were also made to learn music or were dedicated to the temples.

It is one such practice which is illegally being done in a few parts of India till date.

Causes for Devadasi Tradition Prevalent in India

In India, there still are a few states which continue to practise the Devadasi tradition despite the Supreme Court orders to abolish this system.

It is a religious belief that if a family devotes their daughter, it would make the deity happy and bless the family. This is one of the biggest reasons why people still choose to practise this tradition

Since in the earlier times, Devadasis were given a higher status in the society, many economically weak families believe that devoting their daughters will improve their social status

Even after strict orders from the Supreme Court to abolish this practice, certain states have not yet enforced laws or acts to prevent the Devadasi culture

Superstitious beliefs and the continuation of lineage is another cause for the present existence of the tradition

Devadasi System – Laws & Offences

Kerala-based NGO, S.L. Foundation had brought to the notice of the judiciary the existence of this practise in multiple parts of the country. It was in 2016 that the Supreme Court had ordered the states to implement strict laws to completely abolish the system.

The following laws have been passed to stop the Devadasi tradition:

Bombay Devadasi Protection Act, 1934

Madras Devadasi (Prevention of Dedication) Act of 1947

Karnataka Devadasi (Prohibition of Dedication) Act, 1982

Andhra Pradesh Devadasi (Prohibition of Dedication) Act, 1988

Maharashtra Devadasi (Abolition of Dedication) Act, 2006

Juvenile Justice Act 2015 (JJ Act)

To stop abandoning young girls in name of a tradition for sexual exploitation and prostitution, Immoral Traffic Prevention Act, 1956 (ITPA Act) and Trafficking of Persons (Prevention, Protection, and Rehabilitation) Bill 2018

Abolition of Devadasi System – Challenges

To completely remove the tradition from society, there are certain challenges which are being faced by the law-enforcing authorities. These include:

Lack of awareness of this ill tradition in the name of religious practice. People are not completely aware of how this system is illegal and a punishable offence

Since it is considered a tradition, people are not willing to accept the abuse faced by a girl as a result of this system. It is still believed to bring a blessing to the family performing the devotion

Lack of legal actions is also a challenge which has been faced. People do not report cases which ultimately leads to ignorance of such issues

Law enforcement is not very strict

The Devadasis themselves do not register complaints against their families and accept the social pressure

Educating the lower and economically backward sections of the society is one of the first initiatives which must be taken into consideration for completely removing this malpractice.

Devadasi System – Moving Forward

The Department of Women and Child Development must conduct regular surveys to check the prevalence of this tradition provide rehabilitation to the young girls affected. They must also promote employment opportunities for the Devadasi women for a better future of their children

Devadasis cases must be brought under the purview of IPC and the authorities must try spreading awareness of the existence of this practice

Steps must be taken to educate the children of the affected women

Reforms must be brought in to completely put an end to the malpractice

ट्रांस जेंडर पर कविता

-Jyoti

न नर हूँ न मादा इस ब्रह्मांड की अनुठी संरचना हूँ
जज्बातों से लिपटे हैं दोनों प्राण मेरे ईश्वर की इच्छा से पनपी रचना हूँ
सिमट रही है मेरी पहचानगली मोहल्लों के चक्कर में
थक पड़े हैं ये इबादत के हाथदुखती तालियों के टक्कर में
अपनों से हुए पराया हमारे इस समाज के कड़वे सवालियों से
आखिर खुद के अस्तित्व से लड़ रहे हमारे जहां के बनाए मसलों से
सनजो रखी है कुछ अनकही ख्वाहिशें इस बिलखते मन के खाने में ना चाहते हुए भी बिक रहे हैं ये
तनगुमनाम कोठियों के तहखाने में
झुकी रहती है हमारी निगाहें समाज के हीन नजरिए से
चूप हो रहे हैं अरमानों में लिपटे आत्मसम्मानपरिवेश के तुझ रवैये से
मिल गई हमें संविधानिक सौगात तीसरे दर्जे के रूप में
आखिर कब मिलेगी बुनियादी अधिकार भारतीय नागरिक के स्वरूप में

जेंडर का अर्थ

समाजशास्त्रीय भाषा में जेंडर की भूमिका उन व्यवहार प्रतिमानों से है जो विभिन्न संस्कृतियों में लिंग के अनुरूप हैं। ऐसा माना जाता है कि जेंडर शब्द लैटिन शब्द जीन से लिया गया है जिसका अर्थ है प्रकार इसका अर्थ वर्ग के में रूप भी लिया जाता है।

यह वह वर्ग है जिससे समाज की लिंगानुरूप आधारित मान्यताएं जुड़ी हुई हैं। घर के कामों में पुरुषों की तुलना में महिलाएं ज्यादा शामिल होती हैं लड़के को बुढ़ापे में मां बाप का सहारा और पुरुषों को महिलाओं की तुलना में उच्च सामाजिक प्रस्थिति मानना आदि को लिंग संबंधी अंतर माना जाता है।

जेंडर एक सामाजिक सांस्कृतिक शब्द है। सामाजिक, सांस्कृतिक निर्माण से संबंधित जेंडर समाज में पुरुषों और महिलाओं के कार्यों और व्यवहारों को परिभाषित करता है जबकि लिंग शब्द पुरुषों और महिलाओं को परिभाषित करता है जो एक जैविक और शारीरिक घटना है।

अपने सामाजिक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पहलुओं में जेंडर पुरुषों और महिलाओं के बीच सामाजिक सांस्कृतिक अंतरों से संबंधित है जहां पुरुषों को महिलाओं से श्रेष्ठ माना जाता है। इस प्रकार जेंडर को मानव निर्मित अवधारणा के रूप में समझा जाना चाहिए जबकि लिंग मनुष्य की प्राकृतिक या जैविक विशेषता है।

जेंडर की परिभाषा

जेंडर को स्त्री-पुरुष विभेद के सामाजिक संगठन या पुरुषों और महिलाओं के बीच असमान संबंधों की व्यवस्था के रूप में परिभाषित किया जा सकता है।

❖ जेंडर स्त्री और पुरुष से सम्बन्धित है जो स्त्री-पुरुष की भूमिकाओं को सांस्कृतिक आधार पर परिभाषित करने का प्रयास करता है और स्त्री-पुरुष के विशेषाधिकारों से संबंधित है। सांस्कृतिक तथा ऐतिहासिक आधार पर जेंडर सामान्यता शक्ति संबंधों का कार्य और असमता का सामाजिक संगठन है

-पेपनेक

पाठ्यक्रम का अर्थ क्या है?

पाठ्यक्रम ब्रततपबनसनउद्ध एक शिक्षा का आधार हैं जिसकी राह पर चलकर शिक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति की जाती हैं। पाठ्यक्रम के अनुसार ही छात्र अपना अधिगम कार्य करते हैं। पाठ्यक्रम द्वारा ही विषयों को क्रमबद्ध तरीके से किया जाता हैं। समाज की आवश्यकता को देखते हुए ही किसी भी पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाना आवश्यक हैं।

पाठ्यक्रम की परिभाषा

पाठ्यक्रम में वे सब क्रियाएं सम्मिलित हैं जिनका हम शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए विद्यालय में उपयोग करते हैं

पाठ्यक्रम को मानव जाति के सम्पूर्ण ज्ञान तथा अनुभवों का सार समझना चाहिए

पाठ्यपुस्तक

पुस्तक एक प्रकार की लिखित सामग्री है जिसका प्रयोग शिक्षण अर्थात् शिक्षण विधि के रूप में किया जाता है। पुस्तक किसी भी विद्यार्थी, अध्यापक तथा अध्ययनरत मनुष्य के लिए ज्ञानवर्धक तथा पथ प्रदर्शक का काम करती है इसीलिए यह हमारे लिए बड़े काम की वस्तु है। आधुनिक युग ज्ञान विज्ञान का युग है अतः सब की ज्ञान की प्यास बढ़ गई है जिसे मात्र अध्यापक की सहायता से शांत नहीं किया जा सकता इसके लिए पाठ्य पुस्तकें, वाचनालय और पुस्तकालय इत्यादि अधिक समर्थ हैं हमारे लिए पाठ्य पुस्तकें विद्यालय के बाहर हमारे अध्यापक की भूमिका निभाती हैं।

प्राचीन समय में पाठ्य ग्रंथ भोजपत्र या ताड़ पत्र में अंकित होते थे और इन्हें ही आचार्यगण अपने विद्यार्थियों के समक्ष क्रम से प्रस्तुत करते थे ताड़ पत्रों के मध्य में एक छेद होता था जिसमें धागा डालकर बांध दिया जाता था। धागे से गुथने के कारण ही इन्हें ग्रंथ कहा गया। अंग्रेजी भाषा में पुस्तक के लिए 'इववा', बुक शब्द का प्रयोग किया जाता है इववा शब्द की उत्पत्ति जर्मन शब्द के बीक, इमं, सबसे माना जाता है बीक का अर्थ है . वृक्ष फ्रांसीसी भाषा में भी बुक शब्द के लिए बीकशब्द का इस्तेमाल किया जाता था।

पाठ्य पुस्तक की परिभाषा

ब्रेकन के अनुसार . "पाठ्य पुस्तक कक्षा में प्रयोग के लिए विशेषज्ञों के द्वारा सावधानी से तैयार की जाती है जो शिक्षा नियुक्ति से सुसज्जित होती है।"

लेज के अनुसार "पाठ्य पुस्तक अध्ययन क्षेत्र की किसी शाखा की एक प्रमाणिक पुस्तक है।"

जेंडर संबंधी सामान्य में पाठ्यक्रम एवं पाठ्यपुस्तक की भूमिका

समाज में बालकों को कई तरह की व्यवहारिक पाठशालाओं से होकर गुजरना होता है।

प्राथमिक रूप में परिवार में बच्चों को ज्ञान प्रदान किया जाता है। तथा परिवार के बाद विद्यालय स्तर पर बच्चों को व्यवहारिक ज्ञान मौखिक एवं लिखित रूप में पाठ्यक्रम एवं पाठ्य पुस्तकों के माध्यम से दिया जाता है।

पाठ्यक्रम एवं पाठ्यपुस्तक सम्पूर्ण शैक्षिक प्रगति के आधार स्तंभ है जो प्रत्येक कक्षा के लिए निर्धारित होते हैं।

निर्धारित पाठ्यक्रम एवं पाठ्यपुस्तक का सम्बन्ध शिक्षकों द्वारा छात्रों को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया से होता है।

पाठ्यक्रम एवं पाठ्यपुस्तक जेंडर सम्बन्धी समानता तथा चुनौतियों का सामना करने के लिए महत्वपूर्ण संसाधन होते हैं।

जेंडर सम्बन्धी समानता तथा चुनौतीपूर्ण कार्यों में पाठ्यक्रम एवं पाठ्यपुस्तक की महत्वपूर्ण भूमिकाएं निम्नलिखित हैं।

शिक्षाविदों शिक्षा समितियों विद्यालय महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालयों द्वारा समय की मांग के अनुसार पाठ्यक्रम एवं पाठ्यपुस्तक में आंशिक या पूर्ण परिवर्तन कर जेंडर सम्बन्धी भेदभाव को दूर करने का प्रयास किया जाता है।

शिक्षा आयोग शिक्षा समितियों शिक्षा नितियों द्वारा समय-समय पर दिए गए सुझावों के आधार पर जेंडर सम्बन्धी दोषों को दूर करने के लिए उनके सुझावों को पाठ्यक्रम एवं पाठ्यपुस्तक में सम्मिलित सम्बन्धी असमानताओं को दूर करने का प्रयास किया जाता है।

पाठ्यक्रम एवं पाठ्यपुस्तक में जेंडर सम्बन्धी प्रकरणों पाठ्याशों तथा विषय-वस्तुओं को सम्मिलित करने से महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति ज्ञान प्राप्त हो जाता है। जिससे उनमें जागरूकता आ जाती है।

पाठ्यक्रम एवं पाठ्यपुस्तक में महिलाओं से सम्बन्धित सुरक्षा विषयों को सम्मिलित करने से महिलाओं में उनकी सुरक्षा से सम्बन्धित कानूनों व नियमों का ज्ञान उन्हें हो जाता है।

पाठ्यक्रम एवं पाठ्यपुस्तक में सम्पूर्ण विश्व के साथ-साथ मान्य पाठ्य सहगामी क्रियाओं के सम्मिलित करने से जेंडर सम्बन्धी भेदभाव को दूर करने एवं महिलाओं के सर्वांगीण विकास में सहायता मिलती है। पाठ्यक्रम एवं पाठ्यपुस्तक में केन्द्र एवं राज्य सरकारों द्वारा समय-समय पर महिलाओं के कल्याण हेतु जारी की गई योजनाओं का समावेश होने से महिलाओं को जेंडर सशक्तिकरण का लाभ प्राप्त होगा।

पाठ्यक्रम एवं पाठ्यपुस्तकों द्वारा संविधान प्रदत्त अधिकारों, अनुच्छेदों तथा कानूनी प्रावधानों आदि का ज्ञान महिलाओं को हो जाता है जिससे महिलाओं में अधिकारों एवं कानूनी जानकारी द्वारा जेंडर सम्बंधी समानता की प्राप्ति हो जाती है।

पाठ्यक्रम एवं पाठ्यपुस्तकों के ज्ञान द्वारा महिलाओं को जेंडर सम्बन्धी अधिकारों के साथ साथ रहन सहन रीति-रिवाज, सभ्यता, एवं संस्कृति आदि विषयों का ज्ञान प्राप्त हो जाता है जिससे उन्हें जेंडर सम्बन्धी समानता की प्राप्ति होती है।

पाठ्यक्रम एवं पाठ्यपुस्तकों के माध्यम से महिलाएं अधे विश्वास सदियों मान्यताओं एवं परंपराओं तथा पूर्वाग्रहों से मजबूत लैंगिक समानता को प्राप्त कर सकती है।

पाठ्यक्रम एवं पाठ्यपुस्तक में समाहित लोकप्रिय उदाहरणों तथा आदर्श व्यक्तियों विद्वानों, महापुरुष, बीरांगनाओं की जीवनियों को पढ़कर उनके समान महिलाएं आदर्श व्यक्तित्व को प्राप्त कर समाज में अच्छा पद एवं प्रतिष्ठा के साथ सम्मान को प्राप्त कर सकती है। पाठ्यक्रम एवं पाठ्यपुस्तकों के माध्यम से कम शिक्षित महिला भी घर पर रहकर शिक्षा क्षेत्र में मजबूत लैंगिक समानता को प्राप्त कर सकती है।

जेंडर की पहचान तथा उसमें परिवार की भूमिका

-Manisha

जेंडर की पहचान: परिवार में जेंडर की सामान्य प्रक्रिया के दौरान छोटे बच्चे अक्सर ही विभिन्न जेंडर आधारित भूमिका वाले व्यवहार करते दिखाई पड़ते हैं। जिससे कि वह धीरे-धीरे पुरुषत्व तथा स्त्रीत्व भूमिकाओं में अंतर करना सीख जाते हैं। जेंडर पहचान सामान्यतः वह है जिससे एक व्यक्ति स्वयं को पुरुष या स्त्री के रूप में स्वीकारता है परंतु इस इस तरह भी देखा जा सकता है कि जेंडर पहचान वह है जो दूसरे लोग आपको जेंडर भूमिका के चिन्ह जैसे पहनावाएँ सजाएँके आधार पर जानते हैं।

इसे एक कॉन का संयोजन भी कह सकते हैं जिसके द्वारा एक व्यक्ति की जेंडर पहचान को सुनिश्चित करते हैं। जेंडर पहचान एक ऐसी व्यक्तिगत पहचान होती है जो एक व्यक्ति पुरुष या स्त्री के रूप में महसूस कर सकता है। ऐसी जानकारी से बचपन में ही शुरू हो जाती है। यह एक ऐसी पहचान होती है जो व्यक्ति समाजीकरण के दौरान विकसित करता है तथा अधिकतर पुरुष या स्त्री के पहलू समाज द्वारा सीखने तथा व्यक्तियों द्वारा सीखे जाते हैं। काफी हद तक जेंडर की पहचान एक व्यक्ति की स्वपहचान बनाने तथा व्यक्तिकता को बनाने में मदद करती है।

जेंडर की पहचान तथा उसमें परिवार की भूमिका

परिवार का अर्थ: परिवार शब्द अंग्रेजी के फैमिली शब्द से बना हुआ है जिसका अर्थ होता है जहां माता-पिता-भाई-बहन-दादा दादी सब साथ में रहते हैं। जिसमें बच्चे युवा वृद्ध सभी साथ मिलजुल कर निवास करते हैं। उससे ही परिवार कहते हैं।

परिवार मानव समाज की एक मौलिक एवं आधारभूत इकाई रही है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है क्योंकि वह परिवार में ही जन्म लेता और परिवार के द्वारा धीरे-धीरे सामाजिकता को विकसित करता है। व्यक्ति की जीवन संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति करने एवं उसे सामाजिक प्राणी बनाने का महत्वपूर्ण काम परिवार का है।

परिवार की परिभाषाएं: बिसेंज के अनुसार एक अर्थ में हम परिवार की परिभाषा में एक बच्चे सहित स्त्री और उनकी देखभाल के लिए पुरुष को ले सकते हैं।

जॉन्स के अनुसार परिवार यौन संबंधों पर आधारित एक ऐसी सामाजिक संस्था है जिसका संतानोपति एवं उनका पालन पोषण है।

जेंडर निर्धारण में परिवार की भूमिका

जेंडर को निर्धारित करने में परिवार की महत्वपूर्ण भूमिका है। वास्तव में अधिकतर समाजों में विवाह के भीतर ही लैंगिक क्रियो को मान्यता दी जाती है। ऐसा कहा जा सकता है कि विवाह की एक मुख्य भूमिका यूनिक व्यवहारों को निर्धारित तथा नियंत्रित करने की है। बाल्यावस्था के दौरान जेंडर पहचान का निर्माण होता है। बच्चों के समाजीकरण की प्रथम पाठशाला उसका परिवार होता है। इसे जेंडर आधारित पहचान के विकास में परिवार का प्रथम प्रभाव होता है।

प्राथमिक सामाजिक कारण के चरण में बच्चा अपने माता-पिता से जेंडर पहचान की चेतना प्राप्त करता है वह परिवार में माता-पिता को विभिन्न सामाजिक और सांस्कृतिक भूमिकाओं में देखा है। परिवार में लड़के और लड़कियों के सामाजिक कारण की प्रक्रिया में पालन पोषण के विभिन्न तरीके शामिल होते हैं। इसके तहत माताएं अपनी बेटियों को भविष्य में एक अच्छी बेटी, बहन या अच्छी पत्नी के गुण होने की सोच के साथ बड़ा करती है। इस प्रकार प्राथमिक सामाजिक कारण के प्रभाव में बच्चों के लिए जेंडर के अनुसार जेंडर भूमिका का विकसित होना स्वाभाविक है।

जेंडर पहचान में परिवार का योगदान

- 1 सामान्य शिक्षा की व्यवस्था: परिवारों में देखा जाता है कि लड़के लड़कियों की शिक्षा व्यवस्था में भेदभाव देखने को मिलता है। लड़कियों की अपेक्षा लड़कों की शिक्षा पर अधिक ध्यान दिया जाता है। लड़कों के समान ही लड़कियों के शिक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए ताकि जेंडर में सामानता बनी रहे।
- 2 समानता का व्यवहार: परिवार में यदि लड़के एवं लड़कियों के प्रति सामान्य का व्यवहार किया जाता है तो ऐसे परिवारों में जेंडर संबंधी भेदभाव नहीं होते तथा बराबरी का अधिकार प्राप्त होता है।
- 3 सर्वांगीण विकास कार्य: इसका तात्पर्य सभी पक्षों के विकास से है इसके अंतर्गत शरीरमन तथा बुद्धि का सामान्य कार्य विकास किया जाता है। परिवार के सभी बच्चों का विकास समान रूप से किया जाना चाहिए।
- 4 उच्च चरित्र तथा व्यक्तित्व का निर्माण: परिवार को अपने सभी सदस्यों के चरित्र तथा उनके व्यक्तित्व विकास के निर्माण पर बोल देना चाहिए। अतः परिवार को चाहिए कि लड़कों एवं लड़कियों दोनों में समान रूप से चरित्र तथा व्यक्तित्व का निर्माण करें।
- 5 पारिवारिक कार्य में समान सहभागिता: परिवार के सभी सदस्यों के कार्यों का विभाजन उनकी रुचि के आधार पर किया जाना चाहिए ना कि उनके जेंडर के आधार पर। कहीं परिवारों में बाहरी कार्यों को लड़कों को दिया जाता है तथा घर के कामों को लड़कियों को दिया जाता है अतः अभिभावकों को लड़के वह लड़कियों को समान रूप से कार्य देना चाहिए।
- 6 अंधविश्वासों तथा जड़ परंपराओं का आविष्कार: हमारे समाज एवं परिवार में लड़के लड़कियों से संबंधित उनके अंधविश्वास एवं जड़ परंपराएं व्याप्त है। परिवार को इन जड़ परंपराओं एवं अंधविश्वासों एवं कुरीतियों के प्रति जागरूक किया जाना चाहिए।

जेंडर में परिवार की प्रभावित हेतु सुझाव

- 1 परिवार को चाहिए कि वह अपने सभी सदस्यों के साथ समानता क्या व्यवहार करें।
- 2 लोकतांत्रिक आदर्शों तथा मूल्य को अपनाना चाहिए।
- 3 परिवार में सभी क्रियाकलापों में स्त्रियों को सहभागी बनाना चाहिए।
- 4 बालकों को सदैव स्त्रियों और बालिकाओं के प्रति सामान्य व्यवहार तथा शब्दों का प्रयोग करना सीखना चाहिए।
- 5 परिवार को अपने आज पड़ोस के वातावरण में सुरक्षा का वातावरण सृजित करें जिससे महिलाएं स्वयं को सुरक्षित तथा सशक्त महसूस करें।
- 6 परिवार में जेंडर को प्रभावी भूमिका के निर्वहन करने के लिए शिक्षा का प्रचार प्रसार अपनेसदस्य हेतु करना चाहिए।
- 7 परिवार में लिंग के प्रति भेदभाव को प्रभावित के लिए चाहिए कि घर के वृद्धि और प्रौढ़ सदस्य महिलाओं का सम्मान करें।

परिपेक्ष स्त्री और किन्नर के संदर्भ में

-Nikita Saklani

सबसे पहले चलते हैं या आखिर में चलते हैं
उस ओर उस ओर
जिस ओर सभी ने कभी किसी ने ध्यान दिया न दिया
सबसे पहले चलते हैं उस छोटी सी ही उम्र से
जब नहीं सी वो जान थी अच्छी बुरी पहचान न थी
तब खुश होकर मां बाबा ने नहीं परी को देखा था
शायद उसको ऐसा लगा
आज है मेरा जन्म हुआ
मानो प्रकृति या भगवान
मुझ नहीं सी जान को इक जीवन उपहार दिया
घर में मेरी न चलती थी
फिर आयी शादी की बात
जबरदस्ती की शादी में
मन न मान सका शादी को
फिर शुरू हुई मार पिटाई
मार से अपराध तक
तब पता चला इस बात का
गलती थी इस सोच की
इस जैसी कई सोचों की
दूसरी तरफ चलते हैं चलते हैं उस ओर
जब उसने धरा पर जन्म लिया
नहीं सी उस जान ने रो.रो कर मां पुकारा था
कसूर क्या मेरा नहीं सी जान सोच रही
तब निर्दयी मां ने मुझे उन्हें सांप दिया
तब पता चला इस बात का
शायद मैं थी इक किन्नर
न समाज ने बेटी माना हमें
न ईश्वर ने मां बनने का हक दिया न दिया
नर नारी की इस दुनिया में
हमेशा किन्नर का तिरस्कार
पर गलती थी सोच की इस जैसी सोचों की
जो किन्नर किन्नर कर बैठे
जो किन्नर किन्नर कर बैठे

नारीवाद

-Pratibha

परिचय नारीवाद एक शब्द है। जो फ्रांसीसी भाषा से आया है और यह लैटिन शब्द फेमिना पर आधारित है जिसका अर्थ है महिला नारीवाद इस विचार पर आधारित है कि महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार और अवसर मिलने चाहिए इसका उद्देश्य लैंगिक समानता को बठावा देना और पितृसन्तात्मक व्यवस्थाओं और मानदंडों को खत्म करना है। जिन्होंने लिंग आधारित असमानताओं को कायम रखा है।

नारीवाद का इतिहास

अपने पूरे इतिहास में नारीवाद विभिन्न लहरों और पुनरावृत्तियों से गुजरा है। नारीवाद का इतिहास एक जटिल और बहुआयामी यात्रा है। जो सदियों से विकसित हुई है। जिसे कुछ प्रमुख चरणों से संक्षेपित किया जा सकता है।

प्रथम लहर नारीवाद : 1 प्रथम लहर नारीवाद : 19 वीं सदी के अंत और 20 वीं सदी की शुरुआत में शुरू हुआ और मताधिकार जैसे कानूनी मुद्दों पर केंद्रित था। 2 इस युग की उपलब्धियों में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका तथा नण जैसे कई देशों में महिलाओं को वोट देने का अधिकार प्राप्त करना शामिल है। 3 उल्लेखनीय हस्तियों में संयुक्त राज्य अमेरिका

द्वितीय लहर नारीवाद : 1960-1980 दशक दूसरी लहर 1960 के दशक में उभरी जिसमें प्रजनन अधिकार कार्यस्थल भेदभाव और लैंगिक भूमिका सहित व्यापक मुद्दों को संबोधित किया गया।

बेटी फ्रीडन, द फेमिनिन मिस्टिक की लेखिका और ग्लोरिया स्टीनम जैसी प्रभावशाली हस्तियों ने इस लहर में महत्वपूर्ण भूमिकाएँ निभाई।

उपलब्धियों में प्रजनन अधिकारों में प्रगति शामिल है। जैसे गर्भपात को वैध बनाना।

तीसरी लहर नारीवाद : 1990 वर्तमान तीसरी लहर का दशक में उभरा और आज भी जारी है। अंतरसंबंध पर ध्यान केंद्रित करता है। और मानता है। कि महिलाओं के अनुभव नस्ल कामुकता और लिंग पहचान जैसे कारकों के आधार पर भिन्न होते हैं।

प्रमुख मुद्दों में स्टूडेंट्स अधिकार लिंग तरलता और सूक्ष्म आक्रमकता और लिंगवाद के सूक्ष्म रूपों को संबोधित करना शामिल है।

चौथी लहर नारीवाद : 2012 चौथी लहर तीसरी लहर पर आधारित है। और इसकी विशेषता सोशल मीडिया और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से सक्रियता है।

यह यौन उत्पीड़न और हमले शरीर की सकारात्मकता को संबोधित करता है। और नारीवाद के भीतर हाशिए पर रहने वाले समूहों के अधिकारों को आगे बढ़ाता है।

डमज्जव डवअमउमदज द इस लहर का एक उत्थोखनीय उदाहरण है। जो यौन उत्पीड़न और हमले के बारे में जागरूकता बढ़ाने पर केंद्रित है।

नारीवाद के प्रकार

नारीवाद के विभिन्न प्रकार हैं प्रत्येक का अपना दृष्टिकोण है। कुछ सामान्य प्रकारों में निम्न प्रकार शामिल हैं

लैंगिक असमानता समाज में गहरी जड़े जमा चुकी है और इसे संबोधित करने के लिए कट्टरपंथी परिवर्तनों की वकालत करती हैं। वे अक्सर पितृसत्ता को खत्म करने के लिए समाज की बुनियादी संरचना को चुनौती देते हैं।

उदार नारीवादी कानूनी और राजनीतिक सुधार के माध्यम से लैंगिक समानता हासिल करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं वे महिलाओं के खिलाफ भेदभाव करने वाले कानूनों और नीतियों को बदलने के लिए मौजूदा प्रणालियों के भीतर काम करते हैं।

अंतर्विभागीय नारीवादी पहचान के अन्य पहलुओं जैसे नस्ल वर्ग कामुकता और अन्य के साथ लिंग के प्रतिच्छेदन पर जोर देते हैं। उनका लक्ष्य उन अद्वितीय चुनौतियों का समाधान करना है जिनका सामना कई हाशिए पर रहने वाले समूहों से संबंधित व्यक्तियों को करना पड़ता है।

काली नारीवादी अपनी सक्रियता और विश्लेषण को काली महिलाओं के विशिष्ट अनुभवों पर केंद्रित करती है वे नस्लीय और लैंगिक भेदभाव के प्रतिच्छेदन पर प्रकाश डालते हैं।

मार्क्सवादी नारीवादी पूंजीवाद और पितृसत्ता के बीच संबंधों का विश्लेषण करते हैं इस बात पर प्रकाश डालते हैं कि कैसे आर्थिक प्रणालियाँ लैंगिक असमानता में योगदान करती हैं।

इकोफेमिनिस्ट महिलाओं के उत्पीड़न और पर्यावरण के शोषण के बीच संबंध बताते हैं। उनका तर्क है कि कि दोनों मुद्दे आपस में जुड़े हैं और इन्हें एक साथ संबोधित किया जाना चाहिए।

विचित्र नारीवादी लिंग और यौन रूझान से संबंधित मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करते हैं वे एलजीबीटीक्यू व्यक्तियों के अधिकारों और दृष्टता की वकालत करते हैं अक्सर यह संबोधित करते हैं कि विशमलैंगिकता और लिंग मानदंड कैसे प्रतिच्छेद करते हैं।

नारीवाद एक नारीवादी परिप्रेक्ष्य है जो पारंपरिक रूप से महिलाओं से जुड़े सकारात्मक गुणों और मूल्यों पर जोर देता है और उन्हें अधिक संतुलित और न्यायसंगत समाज बनाने के लिए महत्वपूर्ण मानते हैं।

यह परिप्रेक्ष्य जाँच करता है कि उपनिवेष्टाद और साम्राज्यवाद ने दुनिया के विभिन्न हिस्सों में महिलाओं को कैसे प्रभावित किया है। यह लिंग पर वैश्विक शक्ति गतिषिलता के प्रभाव का पता लगाता है।

नारीवाद की चुनौतियाँ

किसी भी सामाजिक और राजनीतिक आंदोलन कि तरह नारीवाद को भी विभिन्न चुनौतियों का सामना करना पडता है। कुछ प्रमुख चुनौतियों में शामिल हैं:

- 1 परिवर्तन का विरोध: बहुत से लोग पारंपरिक लिंग भूमिकाओं और शक्ति संरचनाओं में बदलाव का विरोध करते हैं जिससे नारीवादी लक्ष्यों को आगे बढाना मुश्किल होता है।
- 2 प्रतिक्रिया: नारीवाद के खिलाफ प्रतिक्रिया होती है जहां कुछ व्यक्ति या समूह सक्रिय रूप से नारीवादी प्रयासों और विचारों का विरोध करते हैं।
- 3 आर्थिक असमानता: लिंग पर आधारित आर्थिक असमानताएँ एक महत्वपूर्ण चुनौती हैं महिलाएँ अक्सर समान काम के लिए पुरुषों की तुलना में कम कमाती हैं।
- 4 रूढ़िवादिता: नारीवाद और नारीवादियों को गलत तरीके से रूढ़िबद्ध किया जाता है जो उनकी विष्वसनीयता और प्रभाव को कमजोर कर सकता है।

नारीवादी मुद्दे

नारीवाद लैंगिक समानता और महिलाओं के अधिकारों से संबंधित कई मुद्दों को संबोधित करता है जो निम्न हैं।

- 1 समान वेतन: समान काम के लिए महिलाएँ अक्सर कम कमाती हैं नारीवाद महिलाओं के उचित वेतन के लिए लडता है।
- 2 प्रतिनिधित्व: नारीवाद का लक्ष्य अधिक महिलाओं को नेतृत्व की स्थिति पर राजनीति और समाज के अन्य क्षेत्रों में देखना है।
- 3 लिंग आधारित हिंसा: नारीवादी महिलाओं के खिलाफ घरेलू दुर्व्यवहार और यौन उत्पीडन जैसी सभी प्रकार की हिंसा को रोकने के लिए काम करते हैं।
- 4 यौन और प्रजनन स्वास्थ्य: नारीवाद नियमित जाँच और यौन शिक्षा सहित स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच का समर्थन करता है।
- 5 मीडिया प्रतिनिधित्व: नारीवाद मीडिया में महिलाओं को कैसे चित्रित किया जाता है इसकी आलोचना करता है और अधिक यथार्थवादी और सकारात्मक चित्रण की मांग करता है।

निष्कर्ष

नारीवाद सभी लिंगों के बीच समानता स्थापित करने का प्रयास करता है। यह मानते हुए कि व्यक्तियों को उनकी लिंग पहचान की परवाह किए बिना समान अधिकार, अवसर और उपचार मिलना चाहिए। यह उन समाजिक मानदंडों और पूर्वाग्रहों को तोड़ने का प्रयास करता है जो ऐसे ऐतिहासिक रूप से एक लिंग को दूसरे लिंग की तुलना में अधिक पसंद करते हैं। नारीवाद न केवल उन मुद्दों को संबोधित करता है जिनका महिलाएं सामना करती हैं बल्कि पुरुषों के अधिकारों की भी वकालत करती है और एक ऐसी दुनिया बनाना चाहता है जहाँ लिंग किसी व्यक्ति की क्षमता या अवसरों को सीमित न करे। यह सभी लिंगों के लोगों को प्रभावित करने वाली रूढ़ियों और अपेक्षाओं को खत्म करने, समावेशिता और निष्पक्षता को बढ़ावा देने के बारे में है। अतः नारीवाद लैंगिक असमानता को संबोधित करना और लैंगिक समानता को बढ़ावा देना चाहता है।

लड़कियों की शिक्षा असमानता और प्रतिरोध

-Sadhna Rawat

लड़कियों की शिक्षा के मार्ग की सबसे बड़ी बाधा लड़कियों को लड़कों के समान शिक्षा प्राप्त करने के अवसर उपलब्ध नहीं हो पाना है। हमारे यहाँ शिक्षा के सभी स्तरों और लगभग सभी पक्षों पर लड़के तथा लड़कियों की शिक्षा में असमानताएँ पाई जाती हैं। लड़कियों को शिक्षा प्राप्त करने के अवसर लड़कों की अपेक्षा कम मिल पाते हैं। प्रजातांत्रिक स्वरूप की रक्षा के लिए तथा लड़कियों की शिक्षा के प्रसार के लिए यह आवश्यक है कि लड़कियों को भी शिक्षा प्राप्ति के लिए पर्याप्त अवसर मिलें। वास्तव में लड़के तथा लड़कियाँ दोनों को शिक्षा के अवसर मिलने चाहिए। अतः यह आवश्यक है कि शैक्षिक अवसरों की समानता स्थापित करने के लिए विशेष प्रयास किए जाएँ।

शिक्षा का महत्व (महिला)

महिला सशक्तिकरण लक्ष्य को सही मायने में हासिल करने के लिए शिक्षा ही एकमात्र रास्ता है। सशक्तिकरण से तात्पर्य यह है कि महिला का बहुमुखी विकास हो सके। महिला के बहुमुखी विकास से तात्पर्य यह है कि महिला का शारीरिक विकास, आर्थिक विकास, सांस्कृतिक विकास हो। भारत या दुनिया के लगभग सभी देशों के लिए कुल आबादी का लगभग आधा हिस्सा महिलाएं हैं। अगर हमें कोई लक्ष्य हासिल करना है तो महिलाओं को इसमें भागीदार बनाना होगा।

अगर कोई भी इंसान किसी भी लक्ष्य या चीज को सभी बेहतर समझ सकता है जब यह शिक्षित हो। वैसे भी यह कहा गया है कि आप एक लड़की को शिक्षित करते हैं तो इसका मतलब है कि

आपने एक पूरे परिवार और एक समाज को शिक्षित किया है इसलिए लड़कियों की शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है।

एक बेहतर नागरिक के कर्तव्य का निर्वहन करने के लिए शिक्षा अति आवश्यक है एक लड़की को एक बेहतर माँ, कार्यकर्ता और नागरिक होने के लिए बहुत अधिक आत्मविश्वास की आवश्यकता होती है यह विश्वास उसे उचित शिक्षा द्वारा ही मिलता है जिससे उसका खुद पर भरोसा बरकरार रहता है।

बालिका शिक्षा के समक्ष चुनौतियां

सामान्यतः बालिका शिक्षा के समक्ष अनेको चुनौतियां प्रस्तुत रहती है जिसमे से मुख्य चुनौतियां कुछ इस प्रकार है

रूढ़िवादी परंपराएँ विवाद परंपराएँ रूढ़िवादी परंपराएँ एक रचना का निर्माण करती हैं।

सामाजिक कठिनायिता का परिणाम है कि आज भी भारत में जेड समानता जैसे मुद्दे काफी चर्चित रहते हैं। रूढ़िवादियों का मानना है कि बालिकाएं अपने से छोटे भाई बहनों की देखभाल घर की सफाई में व्यस्त होनी चाहिए उनके अनुसार लड़कियों की शिक्षा को सर्वदा उचित नहीं समझा जाता है।

दोषपूर्ण शिक्षा व्यवस्था - दोषपूर्ण शिक्षा व्यवस्था से तात्पर्य देशी शिक्षा व्यवस्था से है जिसक अंतर्गत लड़के तथा लड़कियों में लैंगिक विभेदक अंतरों को बढ़ावा दिया जाता है। प्रायः शिक्षाकोद्वारा लिंग असमानता से परिपूर्ण सोच का प्रदर्शन किया जाता है।

भारत में महिला शिक्षा वर्तमान आकड़ें

भारत में पुरुषों की तुलना में महिलाओं की साक्षरता दर काफी काम है। वर्ष 2011 की जनगणना के आकड़े दर्शाते हैं कि राजस्थान 52.92 और बिहार 51.50 में महिला शिक्षा की स्थिति काफी खराब है।

कई अध्ययनों के अनुसार भारत में 1424 वर्ष आयु वर्ग की युवा महिलाओं की बेरोजगारी दर 115 है जबकि समान आयु वर्ग के युवा पुरुषों के मामले में यह 96 है।

आकड़े यह भी बताते हैं कि भारत में अभी लगभग 145 मिलियन महिलाएँ हैं जो पढ़ने या लिखने में, असमर्थ हैं।

निष्कर्ष

प्रस्तुत अध्ययन की समीक्षा के पश्चात यह कहा जा सकता है कि बालिका के विकास में शिक्षा की महत्ता को नकारा नहीं जा सकता है जिस प्रकार शिक्षा किसी भी मनुष्य को विकास के साधन उपलब्ध कराती है इन्हीं उद्देश्यों से बालिकाओं की शिक्षा भी अतिआवश्यक है परन्तु इसके समक्ष आने वाली चुनौतियों के परिणामस्वरूप आज भी कई बालिकाएँ शिक्षा प्राप्त कर सकने असमर्थता महसूस करती हैं। देश के बड़े बड़े शिक्षण संस्थानों में शीर्ष स्थानों पर बालकों की तुलना में बालिकाओं का अधिक चयन हुआ है जो इस बात की पुष्टि करता है कि बालिका शिक्षा की दिशा में किये जाने वाले कार्य के सकारात्मक परिणाम मिल रहे हैं

सुझाव

बालिकाओं की सुविधा के लिए उनके निकट परिवार में स्कूल बोलना।

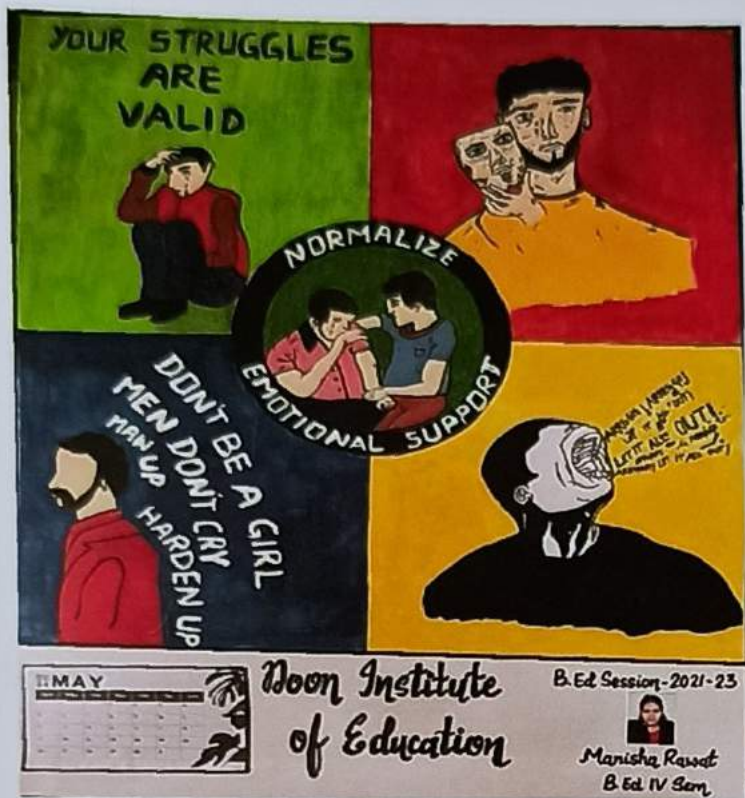
आदी तक की लड़कियों को मुफ्त में पाठ्य पुस्तकें वितरित करने का प्रावधान।

सभी लड़कियों को यूनिफार्म प्रदान करना।

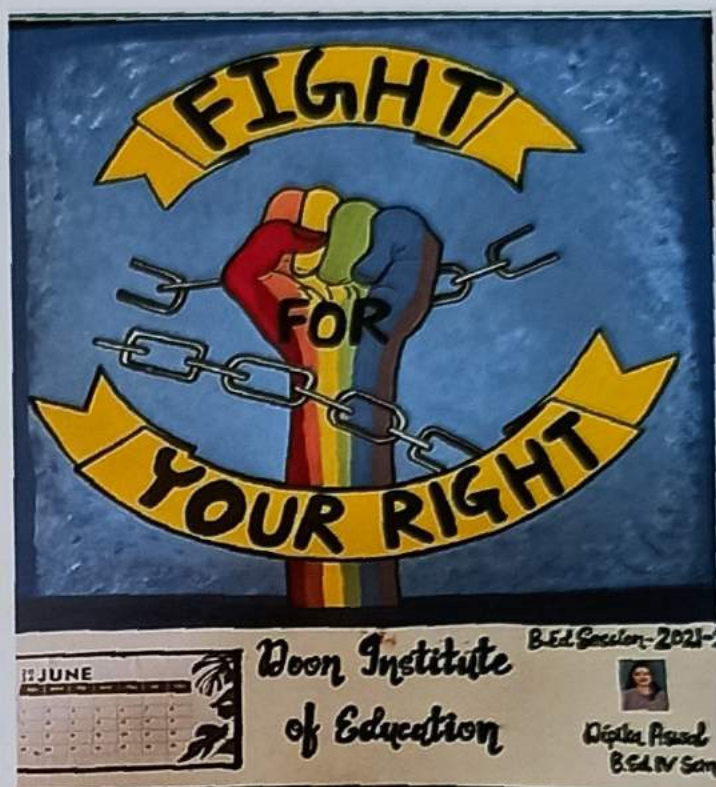
सभी स्कूलों में अलग-अलग शैचालय का निर्माण।

लड़कियों को भागीदारी को बढ़ावा देने हेतु शिक्षित जागरूकता कार्यक्रम।

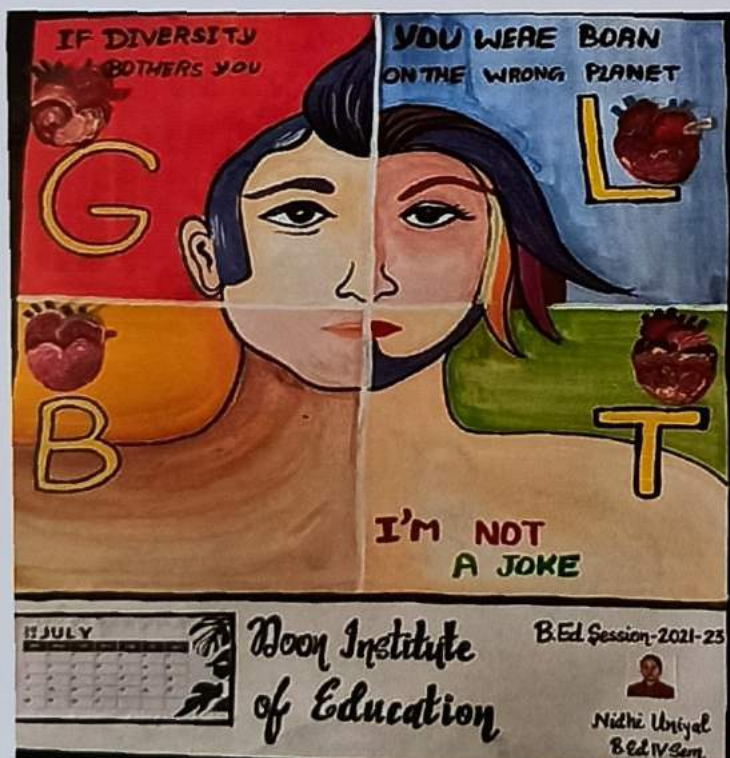
अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओबीसी, अल्पवयक और गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले दलित समूहों की लड़कियों छठी बाहरवी तक की शिक्षा प्रदान करने के लिए सारी सुविधाएँ उपलब्ध करानी चाहिए। सरकारी नीतियों अच्छे से लागू की जाये और बालिका शिक्षा के लक्ष्यों को पूरा करने के ज्यादा से ज्यादा प्रयास किये जाये साथ ही जनसामान्य को बालिका शिक्षा हेतु हर प्रकार से जागरूक किया जाए।



Manisha Rawat



Dipika Aswal



Nidhi Uniyal



Suman Raturi

लैंगिक समानता में शिक्षा व विद्यालय की भूमिका

-Sunita

लैंगिक समानता का अर्थ: लैंगिक समानता का अर्थ है सभी के साथ समान व्यवहार करना चाहें वह लड़का हो, लड़की हो, पुरुष हो या महिला। हर किसी को एक समान अवसर प्रदान करना चाहिए और हर किसी को जीवन में वह करने का मौका मिले जो वह करना चाहता है।

आज भी कई जगहों पर लड़के और लड़कियों के बीच भेदभाव किया जाता है। लड़कियों को अक्सर कहा जाता है कि वे नौकरियां सिर्फ इसलिए नहीं कर सकती क्योंकि वे लड़कियां हैं। लेकिन यह उचित नहीं है। हर किसी को जीवन में अपना रास्ता चुनने और अपने सपनों को पूरा करने का मौका मिलना चाहिए। लैंगिक समानता महत्वपूर्ण है क्योंकि यह दुनिया को सभी के लिए एक बेहतर जगह बनाती है।

लैंगिक समानता में शिक्षा की भूमिका

लैंगिक समानता विकसित करने का महत्वपूर्ण साधन शिक्षा को ही माना जाता है। आज भी शिक्षित समाज में लैंगिक भेदभाव कम देखा जाता है। जबकि अशिक्षित समाज में यह भेदभाव व्यापक रूप से देखा जाता है क्योंकि शिक्षा के माध्यम से विविध प्रकार की भ्रामक एवं अन्धविश्वास सम्बन्धी गतिविधियों का समाप्त किया जा सकता है।

लिंग समानता विकसित करने में शिक्षा की अहम भूमिका को निम्न बिन्दुओं के माध्यम से स्पष्ट किया जा सकता है।

1. विद्यालय में समानता का व्यवहार. विद्यालय में जब शिक्षक द्वारा छात्र-छात्राओं के प्रति भेदभावपूर्ण एवं पक्षपात व्यवहार नहीं किया जाता है तो छात्रों में लैंगिक असमानता उत्पन्न नहीं होती।
2. सहयोग की भावना का विकास. शिक्षा के माध्यम से छात्र-छात्राओं में सहयोग की भावना का विकास किया जा सकता है जिससे लैंगिक भेदभाव के समाप्त किया जा सकता है।
3. प्रजातान्त्रिक मूल्यों का विकास. शिक्षा के माध्यम से छात्र-छात्राओं में प्रजातान्त्रिक मूल्यों का विकास किया जाना चाहिए जिससे प्रत्येक छात्र अपने अधिकार व कर्तव्यों के बारे में जान सके व किसी भी छात्र के साथ असभ्य व्यवहार न करें।
4. उचित निर्देशन व परामर्श. विद्यालय में छात्रों का उचित निर्देशन व परामर्श प्राप्त होता है तो उनके मन में लैंगिक समानता की भावना का विकास नहीं होता।

5 कुरीतियों का अन्त हमारे समाज में बहुत सी कुरीतियां व्याप्त है और इन कुरीतियों का केन्द्र प्रायः स्त्रियां ही होती है। अन्धविश्वास और कुछ पुरानी अनैतिक मान्यताओं के चलते समाज में लैंगिक से सम्बन्धित अनेक कुरीतियां व्याप्त है जिसे केवल शिक्षा के माध्यम से ही दूर किया जा सकता है।

अतः शिक्षा ही ऐसा माध्यम है जो लोगों को सही और गलत के बीच अन्तर करना सीखने के साथ² लोगों को जागरूक करके कुरीतियों का अन्त कर सके।

लैंगिक समानता में विद्यालय की भूमिका

विद्यालय को समाज का लघु रूप माना जाता है। वर्तमान में विद्यालय केवल अध्ययन-अध्यापन तक ही सीमित नहीं रह गया है बल्कि यह सामाजिक कुरीतियों को समाप्त तथा जागरूकता लाने में विद्यालय की अहम भूमिका है।

1 नामांकन में समानता विद्यालयों को अपने क्षेत्र विशेष में सर्वेक्षण कराते हुए विद्यालय जाने वाले⁶ से¹⁴ वर्ष के बालक बालिकाओं का नाम अंकित करते हुए एक तैयार करना चाहिए तथा जो अभिभावक अपने बच्चों का नामांकन विद्यालय में नहीं कराते उनसे विद्यालय प्रबंधन उनके घर जाकर संपर्क करें।

2 कक्षा कक्ष प्रबन्धन में समानता कक्षा कक्ष प्रबन्धन में खेलकूद प्रतियोगिताओं⁸ सांस्कृतिक कार्यक्रमों तथा अन्य प्रतियोगिता में⁹ बालक बालिकाओं को समान अवसर प्रदान करने चाहिए। मानीटर के पद पर कार्य करने के लिए दोनों को समान अवसर प्रदान किए जाने चाहिए।

3 आन्तरिक व बाह्य गतिविधियों में समानता विद्यालय में आन्तरिक व बाह्य गतिविधियों में समानता होनी चाहिए। यदि किसी बालिका की रुचि ऊँची कूद व लम्बी कूद जैसी प्रतियोगिता में है तो उसे यह अवसर देने चाहिए। यदि किसी बालक की रुचि लोक नृत्य¹⁰ संगीत में¹¹ है तो उसको भी यह अवसर मिलना चाहिए जिससे लैंगिक असमानता न हो सके।

4 विद्यालय प्रबन्धन समिति में लैंगिक समानता पर विचार विमर्श किसी भी विद्यालय की प्रबन्ध समिति में स्त्री एवं पुरुष दोनों ही होते हैं। अतः बैठक में लैंगिक असमानता से होने वाली हानियों पर व्यापक विचार विमर्श होना चाहिए।

5 शैक्षिक गतिविधियों में समानता शैक्षिक गतिविधियों में बालक एवं बालिकाओं में कोई भेद नहीं होना चाहिए। बालक एवं बालिकाओं की रुचि के अनुसार उन्हें पाठ्यक्रम उपलब्ध कराना चाहिए।

6 अभिभावक शिक्षक संघ का निर्माण लैंगिक समानता को सुदृढ़ बनाने के लिए विद्यालय में अभिभावक शिक्षक संघ का निर्माण किया जाना चाहिए। यदि अभिभावक द्वारा बालक व बालिकाओं से किसी प्रकार का भेदभाव किया जाता है तो उस पर भी इन बैठकों में विचार विमर्श होना चाहिए जिससे लैंगिक समानता स्थापित हो सके।

निष्कर्ष सबसे पहले लैंगिक समानता घर पर एक दूसरे का सम्मान करके और एक दूसरे की मदद और समर्थन करके हासिल की जा सकती है। माता-पिता की आदत होती है कि वो लड़कियों को गुलाबी और लड़कों को कपड़ों का नीला रंग देते हैं लड़कों के लिए कारें बाइक खिलौने और लड़कियों के लिए गुड़िया खरीदते हैं। माता-पिता के रूप में माता-पिता को बच्चों को उनके मतभेदों का सम्मान करने और उनके बढ़ने-सीखने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए।

नारी शक्ति वंदन अधिनियम

-Richa Rayal

अर्थात् भारत की नारी पृथ्वी पर किसी की तुलना में न तो हीन है न ही दीन है संपूर्ण जगत में उसकी अमर किरती युगो युगो तक बनी रहेगी

परिचय:

पूरी दुनिया में चुनावी प्रतिनिधित्व पर नजर डालें तो महिलाओं की भागीदारी की स्थिति अच्छी नहीं है इंडियन पार्लियामेंट्री यूनियन ग्लोबल रैंकिंग में भारत का स्थान 2014 के इलेक्शन के बाद 117 था जो जनवरी 2020 में गिरकर 143 हो गया यानि पार्लियामेंट में महिलाओं की संख्या काम हुई भारत में नेशनल लेवल पर बात करे तो लोकसभा में 15.2% तथा राज्यसभा में 13% संसद महिलाये है वही सभी स्टेट असेम्बली में महिलाओं का कुल प्रतिनिधित्व 8% ही है स्टेट असेम्बली को अलग अलग करके देखे थो 19 स्टेट असेम्बली में 10% से भी कम महिलाये है और सिर्फ 10 असेम्बली है ऐसी है जिसमे 10% से ज्यादा महिलाएं है जैसे बिहार में 10.70% और छत्तीसगढ़ में 14.44% गुजरात विधान सभा में सिर्फ 8.2% महिलाये है।

हाल ही में लोकसभा और राज्यसभा दोनों ने महिला आरक्षण विधेयक 2023 (128 वाँ संवैधानिक संशोधन विधेयक) अथवा नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित कर दिया।

- यह विधेयक लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और दिल्ली विधानसभा में **महिलाओं के लिये एक-तिहाई सीटें आरक्षित करता है**। यह लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित सीटों पर भी लागू होगा।

आरक्षण:

- आरक्षण सकारात्मक विभेद का एक रूप है, जो हाशिये के वर्गों के बीच समानता को बढ़ावा देने के लिये बनाया गया है, ताकि उन्हें सामाजिक और ऐतिहासिक अन्याय से बचाया जा सके।
- योग्यता के आधार पर समानता सुनिश्चित करने के लिए आरक्षण की आवश्यकता है।
- लेकिन योग्यता के आधार पर आँकने से पहले लोगों को समान स्तर पर लाया जाना चाहिए।

ऐतिहासिक पृष्ठ भूमि

- विलियम हंटर और ज्योतिराव फुले ने 1882 में मूल रूप से जाति-आधारित आरक्षण प्रणाली के विचार की कल्पना की थी।
- आज जो आरक्षण प्रणाली मौजूद है, वह सही अर्थों में 1933 में शुरू की गई थी जब ब्रिटिश प्रधानमंत्री रामसे मैकडोनाल्ड ने 'सांप्रदायिक पुरस्कार' प्रस्तुत किया था।
- इस पुरस्कार में मुसलमानों, सिखों, भारतीय ईसाइयों, एंग्लो-इंडियन, यूरोपीय और दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्रों का प्रावधान किया गया।
- लंबी बातचीत के बाद, गांधी और अंबेडकर ने 'पूना पैक्ट' पर हस्ताक्षर किए, जहां यह निर्णय लिया गया कि इसमें कुछ आरक्षणों के साथ एक ही हिंदू मतदाता होगा।
- स्वतंत्रता के बाद, प्रारंभ में आरक्षण केवल अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए प्रदान किया गया था।
- मंडल आयोग की सिफारिशों पर 1991 में ओबीसी को आरक्षण के दायरे में शामिल किया गया।

मंडल राजनीति का आशय 1980 के दशक में उभरे ऐसे राजनीतिक आंदोलन से है जिसमें सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में सामाजिक एवं आर्थिक रूप से वंचित समुदायों (विशेष रूप से अन्य पिछड़ा वर्ग- ओबीसी) को शामिल करने पर बल दिया गया था।

इसकी अध्यक्षता बी.पी. मंडल ने की थी और इसने वर्ष 1980 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की तथा वर्ष 1990 में इसे लागू किया गया था।

इस आयोग की रिपोर्ट से पता चला कि देश की 52% आबादी ओबीसी वर्ग से संबंधित है।

प्रारंभ में आयोग ने तर्क दिया कि सरकारी सेवा में आरक्षण के प्रतिशत को इस प्रतिशत से मेल खाना चाहिये।

हालाँकि यह **एम् .आर. बालाजी बनाम मैसूर राज्य मामले (1963) में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ गया**, जिसने 50% की सीमा निर्धारित की थी। SC और ST के लिये पहले से ही 22.5% आरक्षण था।

- इसलिये OBC के लिये आरक्षण को 27% पर सीमित कर दिया गया था।

भारत में महिला आरक्षण

नए भारत की नयी संसद में 20-21 सितम्बर नारी शक्ति के लिए ऐतिहासिक बन गया है कभी राजनितिक और सत्ता को सर्वोपरि मानकर जिस बिल को दशकों तक लटकाया गया था यूँ कहे की केवल बाते हुई उसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यथार्थ बना दिया हर भारतवासी और विशेष रूप से नारी शक्ति का माथा गौरव से ऊंचा होगा राष्ट्रपति द्रौपती मुर्मू के हस्ताक्षर के बाद उनतीस सितम्बर को कानून पारित हो चुका है नारी शक्ति वंदन अधिनियम कोई सामान्य कानून नहीं है यह नए भारत की

लोकतान्त्रिक प्रतिबद्धता का उद्घोष है वेदो व भारतीय परंपरा में भी यही आवाहन किया है की सक्षम नारियाँ सक्षम हो समर्थ हो और राष्ट्र को दिशा दे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था महिलाएं अगर किसी देश की प्रगति कर रही है तो में समझता हूँ कि वह समाज प्रगति कर रहा है।

संसद में महिला आरक्षण बिल का इतिहास

- ❖ पहली बार महिला आरक्षण विधेयक 11 वी लोकसभा में प्रधानमंत्री एच.डी. देवगौड़ा के समय 12 सितंबर, 1996 में आया था।
- ❖ दूसरी बार 12 वी लोकसभा में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के समय 14 दिसंबर, 1998 को महिला आरक्षण विधेयक लाया गया।
- ❖ तीसरी बार फिर 13 वी लोकसभा में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के समय दिसंबर, 1999 में आया।
- ❖ चौथी बार मई, 2008 में लोकसभा की बजाय राज्यसभा में विधेयक लाया गया जिसे स्थायी समिति में भेजा गया। रिपोर्ट आने के बाद 9 मार्च, 2010 को राज्यसभा ने इसे पारित किया।
- ❖ राज्यसभा ने पास करके लोकसभा को भेजा लेकिन 15 वी लोकसभा 18 मई, 2014 को जैसे ही भंग हुई, विधेयक लैप्स हो गया।
- ❖ वर्तमान सरकार में 18 सितंबर, 2023 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नारी वंदन शक्ति अधिनियम, 2023 को मंजूरी दी।
- ❖ 21 सितम्बर 2023 को नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित हो गया।

नारी शक्ति वंदन अधि नियम, 2023 में रखे गए प्रावधान

- (संविधान का 128 वां संशोधन अधिनियम, 2023)
- इस बिल के माध्यम से आर्टिकल 339AA, 330A, 332A और 334A में संशोधन किए गए।
- 339AA के माध्यम से 33 फीसदी सीटें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में महिलाओं के लिए आरक्षित होगी।
- 330A के माध्यम से लोकसभा में प्रत्यक्ष निर्वाचन से भरी जाने वाली एक तिहाई सीटें (एससी और एसटी से संबंधित महिलाओं के लिए आरक्षित सीट सहित) महिलाओं के लिए आरक्षित होगी।

- 332A के माध्यम से प्रत्येक राज्य की विधानसभा में महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित होंगे। अनुच्छेद के खंड-3 में एससी और एसटी सहित एक तिहाई सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की जाएंगी।
- 334A में नया प्रावधान जोड़ा गया है जिसके तहत महिला आरक्षण की अवधि 15 साल के लिए होगी। भविष्य में जरूरत महसूस होने पर संसद को आरक्षण की अवधि बढ़ाने का अधिकार होगा।
- लोकसभा में अभी सीटों की संख्या 543 है। जैसे ही कानून लागू होगा, महिला सदस्यों की संख्या 181 हो जाएगी जो वर्तमान में 82 है।

महिलाओं के जीवन की सुगमता के लिए किए गए काम

स्वच्छ भारत मिशन - 11.72 करोड़ शौचालय बनाए गए।

पीएम अन्न योजना - 80 करोड़ लोगों को प्रति माह पांच किलो निःशुल्क अनाज दिया।

पीएम आवास योजना - 69% से अधिक घर अकेले या संयुक्त रूप से महिलाओं के नाम।

जल जीवन मिशन - 13 करोड़ घरों में मिलने लगा नल से जल।

कोविड काल में महिलाओं को विशेष सहायता दी गई।

अप्रैल-जून 2020 के दौरान 20 करोड़ महिलाओं के खाते में 30 हजार करोड़ रुपये से अधिक की राशि हस्तांतरित की गई।

पीएम गरीब कल्याण योजना के तहत 14 करोड़ रिफिल सिलेंडर मुफ्त दिए गए।

भारत में करीब 1.2 करोड़ स्वयं सहायता समूह हैं जिनमें 88 फीसदी पूर्णतः महिला स्वयं सहायता समूह हैं। इनमें 9 करोड़ महिलाएं जुड़ी हैं। महिला स्वयं सहायता समूहों के लिए गारंटी मुक्त ऋण देने की सीमा 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 20 लाख रुपये तक की गई।

देश में 10 करोड़ से अधिक गरीब परिवारों को उज्ज्वला के तहत रसोई गैस के कनेक्शन दिए गए हैं।

मातृ वंदना योजना: गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत 3.48 करोड़ लाभार्थियों को लाभ पहुंचा।

जनधन योजना: 50 करोड़ से अधिक लोग औपचारिक बैंकिंग में लाए गए। 56% से अधिक जनधन खाते महिलाओं के हैं।

बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ: योजना के बाद 15% की बढ़ोतरी हुई है 10 वर्ष या उससे अधिक उम्र की शिक्षा प्राप्त लड़कियों की संख्या में करीब 95% संस्थागत प्रसव हुए।

सुकन्या समृद्धि योजना: 80,509 करोड़ रु. से अधिक की राशि 2.26 करोड़ सुकन्या खाते में अक्टूबर 2021 तक जमा हैं। 3.18 करोड़ सुकन्या खाते खोले गए।

मुद्रा योजना: 68% ऋण महिलाओं के स्वामित्व वाले उद्यमों को दिए गए।

शादी की उम्र: महिलाओं की शादी की उम्र 18 साल से बढ़ाकर 21 साल करने के लिए बाल विवाह निषेध (संशोधन) अधिनियम, 2021 लोकसभा में पेश किया गया।

निष्कर्ष

नारी शक्ति वंदन अधिनियम लोकसभा और राज्य विधानसभा में महिलाओं के लिए 33 फीसदी सीटों पर आरक्षण का प्रावधान करता है।

यह नारी के उत्थान तथा देश में योगदान करने का अच्छा प्रयास है। देश की नीति में देश की राजनीति में उनका प्रतिनिधित्व करने का प्रयास है। यह विधेयक हमारे देश में समावेशी शासन को बढ़ावा देगा।

गौरी सावंत

-Shivani

परिचय »

गौरी सावंत का जन्म 22 जुलाई 1980 को पुणे के भवानी पीठ नामक स्थान में एक हिन्दु परिवार में एक पुरूस रूप में हुआ था। उनके पिता एक पुलिस अधिकारी हैं। उनके बचपन का नाम गणेश था। जब गणेश 7 साल का था तब उनकी माताजी का निधन हो गया था। और उनका लालन - पालन उनकी दादी ने किया।

गणेश को अपनी सैक्सुअलिटी के बारे में पता था किन्तु चाह कर भी वह अपने पिता को इस बारे में बताने की हिम्मत नहीं कर पाया। गणेश की स्थिति सामान्य बच्चों तरह नहीं थी उनके अंदर ट्रांसजेंडर के लक्षण थे जिसके कारण उन्हें बहुत सी कठिनाईयों का सामना करना पड़ा। जैस-तैसे उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा पूरी की किन्तु जब उन्होंने अपनी आगे की शिक्षा को जारी रखना चाहा तो उनकी मुश्किलें और बढ़ गईं ।

उनका परिवार उनकी सैक्सुअलिटी को कभी भी स्वीकार नहीं कर पाया। वो अपने परिवार की शर्मिंदगी का कारण नहीं बनना चाहते थे इसलिए 14 साल की उम्र में गणेश ने अपना घर छोड़ दिया।

गणेश सावंत से गौरी सावंत तक का सफर »

गणेश सावंत ने अपने शुरूवाती जीवन में काफी कठिनाइयों का सामना किया। और फिर उन्होंने अपने परिवार को छोड़ने का फैसला किया। हालांकि यह फैसला उनके लिए आसान नहीं था। अपने परिवार को छोड़ने के बाद वह हमसफर ट्रस्ट के साथ जुड़ी और उनकी सहायता से उन्होंने स्वयं को बदला और अब वह गणेश से गौरी सावंत बन गईं।

इस दौरान उन्होंने अपने जीवन का सबसे मुश्किल दौर देखा। कभी-कभी तो उनके पास न खाने के लिए खाना होता था और न ही रहने के लिए घर। किन्तु इन सब मुश्किलों का सामना करते हुए उन्होंने समाज में अपनी अलग पहचान बनाई।

गौरी सावंत का समाज में योगदान »

गौरी सावंत ने न केवल ट्रांसजेंडर समाज के हक के लिए लड़ाई लड़ी बल्कि बहुत सी छोटी-छोटी बच्चियों को देह व्यापार के दलदल में फंसने से भी बचाया। उन्हीं में से एक बच्ची को उन्होंने गोद लिया उसका पालन-पोषण किया और उसका नाम गायत्री रखा। जो अभी अपनी शिक्षा पूर्ण कर रही है। गायत्री

का पालन-पोषण करके गौरी ने यह साबित कर दिया कि मां शब्द किसी लिंग तक सीमित नहीं है बल्कि यह तो दुनिया की सबसे अनमोल भावना है।

एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में गौरी »

अपने जीवन में विभिन्न कठिनाईयों का सामना करते हुए गौरी ने सन 2000 में सखी चार चैंगी ट्रस्ट की स्थापना की। जिसकी सहायता से गौरी घर से भागे हुए ट्रांसजेंडर लोगों की सहायता करती हैं।

ट्रांसजेंडर समुदाय को कानूनी मान्यता दिलाने में गौरी का योगदान »

गौरी ने 2009 में ट्रांसजेंडर समुदाय को कानूनी मान्यता दिलाने के लिए कोर्ट में याचिका दायर की और नाज फाउंडेशन ने गौरी की अपील को आगे बढ़ाया। जिसके बाद नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी ने इसे जनहित याचिका का रूप दिया और इस याचिका पर सुनवाई करने के बाद 15 अप्रैल 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसजेंडर समुदाय को कानूनी मान्यता प्रदान की। जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसजेंडर लोगों को सामाजिक और आर्थिक रूप से दबा हुआ वर्ग घोषित किया। तथा शिक्षा और नौकरियों में उनके लिए आरक्षण की बात कही। और केन्द्र तथा राज्य सरकारों को उनके लिए कल्याणकारी योजनाएँ बनाने का भी निर्देश दिया।

गौरी सांवत की उपलब्धियां »

सन 2019 में भारत के चुनाव आयोग ने गौरी को महारास के 12 चुनाव राजदूतों में से एक के रूप में नियुक्त किया। और वह स्लूठज्फ समुदाय से इस पद पर नियुक्त होने वाली प्रथम ट्रांसजेंडर बनी।

निष्कर्ष »

निष्कर्ष के तौर पर कहा जा सकता है कि गौरी सावंत जी के समान भारत में टां सजेंडर समुदाय के कई लोग हैं जो अभी भी कई मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। अतः यह हमारी जिम्मेदारी है कि जिस प्रकार समाज में अन्य लोगों का सम्मान है उसी प्रकार हम इनके सम्मान को सुनिश्चित करें ताकि वो एक गरिमामयी जीवन यापन कर सकें।

पितृसत्ता

-Priyanka joshi

पितृसत्ता एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था है जिसमें महिला की तुलना में पुरुष की अधिक केंद्रीय भूमिका होती है। भौतिक परिस्थितियों और सामाजिक संरचनाओं के कारण पुरुषों को अधिक अधिकार प्राप्त होते हैं और निर्णय लेने का अधिकार पुरुषों को अधिक मिला होता है। इस व्यवस्था में महिलाओं की स्थिति मुख्य ना हो कर गौण होती है। निर्णय प्रक्रिया में उनका अधिक महत्व नहीं होता है। महिलाएं पुरुषों पर लगभग आश्रित रहती हैं। घर की वस्तुएं, जमीन, जायदाद आदि पुरुष के नाम पर ही होता है यहां तक कि बच्चों की पहचान भी पिता के नाम से ही होती है। विवाह के बाद महिलाओं का उपनाम (नैतदंउम) भी बदल दिया जाता है।

‘पितृसत्ता’ का अर्थ

पितृसत्ता अंग्रेजी शब्द पैट्रियार्की का हिंदी अनुवाद है। अंग्रेजी में यह शब्द दो यूनानी शब्दों पैटर और आर्के को मिलाकर बना है। पैटर का मतलब है- पिता और आर्के का मतलब है - शासन। यानी कि ‘पिता का शासन’। पीटर लेसलेट ने अपनी किताब ‘द वर्ल्ड वी लॉस्ट’ में औद्योगिकीकरण से पहले के इंग्लैंड के समाज की परिवार-व्यवस्था की पहली ख़ासियत उसका पितृसत्तात्मक होना बताया है। भारत में इस तरह की परिवार-व्यवस्था (संयुक्त परिवार) आज़ादी के बाद काफी सालों तक बनी रही।

सामान्य रूप से “पितृसत्ता” को पुरुषों द्वारा स्त्रियों के प्रभुत्व की प्रणाली के रूप में समझा जा सकता है। पितृसत्ता जरिए संस्थाओं के खास समूह को पहचाना जाता है। इसको निम्नतः परिभाषित करने की कोशिश की गई है।

सिल्विया वेबली के अनुसार, “पितृसत्ता को सामाजिक संरचना और क्रियाओं की एक ऐसी व्यवस्था के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसमें पुरुषों का स्त्रियों पर वर्चस्व रहता है, और वे उनका शोषण व उत्पीड़न करते हैं।”

गर्डा लर्नर ने पितृसत्ता को इस प्रकार प्रभाषित किया है- “पितृसत्ता परिवार में स्त्रियों और बच्चों पर पुरुषों के वर्चस्व की अभिव्यक्ति और संस्थागतकरण तथा सामान्य रूप से स्त्रियों पर पुरुषों के सामाजिक वर्चस्व का विस्तार है। इसका अभिप्राय है कि पुरुषों का समाज के सभी महत्वपूर्ण सत्ता प्रतिष्ठानों पर नियंत्रण रहता है और स्त्रियां ऐसी सत्ता तक पहुंचने से वंचित रहती हैं।”

पितृसत्ता के विभिन्न पहलू

पितृसत्ता के विभिन्न पहलू निम्नलिखित हैं-

(प). निजी संपत्ति की अवधारणा तथा स्त्री के प्रजनन क्षमता पर नियंत्रण:- हमारा समाज प्रारंभ में कबीलाई या

आदिवासी समाज था जहां स्त्री सामान्यतः अधिकार संपन्न थी तथा प्रायः वंश का नाम मां के नाम से चलता था. परंतु जैसे-जैसे समाज कृषि आधारित होता गया व्यक्तिगत या निजी संपत्ति की अवधारणा बढ़ी और पुरुष में सत्ता का लोभ बढ़ता गया. वह अपनी संतान पर स्वामित्व चाहने लगा तथा यह चाहने लगा कि उसकी संपत्ति का उत्तराधिकारी उसकी संतान ही हो. इस व्यवस्था में पुरुष यह चाहने लगा कि उसकी संपत्ति उसकी मृत्यु के बाद उसकी संतान को फिर पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती रहे. इसके लिए आवश्यक था कि स्त्री की प्रजनन क्षमता पर अधिकार पुरुष का हो. इस प्रकार पितृसत्तात्मक व्यवस्था में जिन पहलुओं पर पुरुषों का नियंत्रण रहता है, उनमें सबसे महत्वपूर्ण उनकी प्रजनन क्षमता होती है.

(पप). श्रम शक्ति पर नियंत्रण:- पितृसत्ता के अंतर्गत पुरुष स्त्री की योनिक्ता पर तो नियंत्रण करते ही हैं वे स्त्रियों की श्रमशक्ति पर भी नियंत्रण रखते हैं. इसके अंतर्गत वह सुनिश्चित करते हैं कि स्त्रियां घर में रहकर कार्य करेंगी तथा बाहर पुरुष कार्य करेंगे. घर के अंदर उनकी भूमिका पोषण की रहेगी तथा यदि वे बाहर कार्य भी करेंगे तो पुरुष की मर्जी से. श्रम पर नियंत्रण से बाहर के आर्थिक संसाधनों पर तो पुरुषों का नियंत्रण रहता ही है, उनका स्त्री की योनिक्ता एवं आजादी पर भी नियंत्रण रहता है, क्योंकि इससे औरतों की बाहर आने-जाने की स्वतंत्रता सीमित हो जाती है तथा इसके लिए उन्हें परम्पराओं व रीती रिवाजों की दुहाई दी जाती है तथा वे घर के दायरों तक ही सिमित होकर रह जाती हैं.

(पपप). पैतृकवाद:- पैतृकवाद वास्तव में पित्र सत्ता का उपभ

जिसमें पिता का अपने परिवार के सभी सदस्यों पर पूर्ण नियंत्रण रहता है तथा इसके बदले वह अपने परिवार के सदस्यों को आर्थिक सहायता तथा संरक्षण देता है. पैतृकवाद को बनाए रखने के लिए सभी सदस्यों को यह विश्वास दिलाया रखना जरूरी रहता है कि उनका संरक्षक ही वह एकमात्र व्यक्ति है जो उनकी जरूरतों को पूरा कर सकता है तथा सभी सदस्य इस संरक्षण को प्राकृतिक स्थिति मानकर स्वीकार करते हैं तथा संरक्षक या वर्चस्व वाले व्यक्ति को संतुष्टि होती है कि वह अपने और कमजोर लोगों को पिता के समान संरक्षण दे रहा है.

(अप). परोपकारी पैतृकवाद:- दक्षिण एशिया में पितृसत्ता तथा जाति के क्रम को बनाए रखने में स्त्रियों का सहयोग लेने में परोपकारी पैतृकवाद का बड़ा हाथ रहा है. जिसके अंतर्गत "आज्ञाकारी" स्त्रियों को कुछ विशेष अधिकार और सुविधाएं प्रदान की गई हैं, उन्हें सुरक्षा व सम्मान का वस्त्र दिया गया जो कई बार पूजा के स्तर तक चला जाता था. विभिन्न माइथोलॉजी के द्वारा स्त्रियों का इस प्रकार से सामाजिकरण किया जाता है कि वह अपने सबलीकरण के लिए अपनी शुचिता और कर्तव्यपरायणता में विश्वास करने लगती हैं. इस प्रकार पितृसत्तात्मक की विचारधारा को अपनाने के क्रम में स्त्रियां पतिवर्ता तथा पत्नी सुलभ कर्तव्यपरायणता आदि गुण को आत्मसात कर लेती है जिससे स्त्रियों में इन गुणों की आकांक्षा पैदा होती है.

(अ). जातिव्यवस्था एवं पितृसत्ता:- पितृसत्ता के ढांचे में जाति तथा जेंडर बहुत महत्वपूर्ण ढंग से जुड़े हुए रहते हैं। प्रारंभ में केवल हिंदू समाज का ही जाति व्यवस्था विशिष्ट अंग थी परंतु अब यह इसाई तथा मुस्लिम समाज में काफी मजबूती से जुड़ी हुई है। जातिवादी नियम की विशेष बात यह है कि यहां एक प्रकार से निम्न जातियों एवं स्त्रियों के उत्पीड़न को वैधानिकता प्राप्त है। जाति व्यवस्था को बनाए रखने में स्त्रियों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। यहां जातियों के बीच की सीमा बनी रहती है क्योंकि पितृसत्तात्मक नियम यह सुनिश्चित करते हैं कि विवाह संबंध केवल सजातीय हों तथा इसका उल्लंघन किसी भी दशा में ना हो।

(अप). परोपकारी पैतृकवाद:- दक्षिण एशिया में पितृसत्ता तथा

जाति के क्रम को बनाए रखने में स्त्रियों का सहयोग लेने में परोपकारी पैतृकवाद का बड़ा हाथ रहा है। जिसके अंतर्गत "आज्ञाकारी" स्त्रियों को कुछ विशेष अधिकार और सुविधाएं प्रदान की गई हैं, उन्हें सुरक्षा व सम्मान का वस्त्र दिया गया जो कई बार पूजा के स्तर तक चला जाता था। विभिन्न माइथोलॉजी के द्वारा स्त्रियों का इस प्रकार से सामाजिकरण किया जाता है कि वह अपने सबलीकरण के लिए अपनी शुचिता और कर्तव्यपरायणता में विश्वास करने लगती हैं। इस प्रकार पितृसत्तात्मक की विचारधारा को अपनाने के क्रम में स्त्रियां पतिवर्ता तथा पत्नी सुलभ कर्तव्यपरायणता आदि गुण को आत्मसात कर लेती है जिससे स्त्रियों में इन गुणों की आकांक्षा पैदा होती है।

पितृसत्तात्मक व्यवस्था की विशेषताएं

पितृसत्तात्मक व्यवस्था की विशेषताएं निम्नलिखित हैं:-

1. पितृसत्ता एक सामाजिक प्रणाली है।
2. यह एक पारिवारिक प्रणाली है जिसमें पुरुष की भूमिकाएँ स्त्रियों की भूमिकाओं से ऊपर होती हैं।
3. पितृसत्तात्मक व्यवस्था में समाज, अर्थव्यवस्था, राज्यव्यवस्था, धर्म इत्यादि में पुरुष का ही वर्चस्व होता है।
4. पितृसत्तात्मक व्यवस्था में पुरुष समस्त गतिविधियों का केंद्र बिंदु होता है अर्थात् परिवार के समस्त क्रियाएं उसी के चारों ओर घूमती हैं।
5. पितृसत्तात्मक व्यवस्था में समस्त महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय पुरुषों के द्वारा ही लिए जाते हैं।
6. इस प्रकार की व्यवस्था में आर्थिक मुद्दों पर पुरुषों का अधिकार होता है।

पितृसत्तात्मक व्यवस्था के दोष (कमउमतपजे व िचंजतपंतबील ैलेजमउ)

पितृसत्तात्मक व्यवस्था के निम्नलिखित दोष हैं-

1. पितृसत्तात्मक व्यवस्था में स्त्रियों की पूर्णतः उपेक्षा होती है जिससे उनके विकास का मार्ग अवरुद्ध हो जाता है.
2. ऐसी व्यवस्था में पुरुष अपनी शक्ति का दुरुपयोग भी करता है.
3. ऐसी व्यवस्था में स्त्रियों को पुरुषों के समकक्ष स्थान नहीं प्रदान किया जाता है.
4. यह व्यवस्था स्त्रियों की भूमिका की पूर्ण अवहेलना करती है.
5. इस प्रकार की व्यवस्था में स्त्रियां शोषण एवं उत्पीड़न का शिकार बनती हैं.

निष्कर्ष

आज के समय में महिलाओं की स्थिति में कुछ सुधार देखा जा सकता है जैसे महिला आरक्षण नीति में भागीदारी बढ़ी है, महिलाएं भी पुरुषों के समान संसद में उपस्थित होती हैं साथ ही साथ महिलाओं को भी शिक्षा का अधिकार प्राप्त हुआ है।

आज की महिलाएं शिक्षित और सशक्त हैं परंतु फिर भी पितृसत्तात्मक संरचना के चलते महिलाओं की स्थिति में पुरुष के समान सुधार नहीं है वह अभी भी सामाजिक बंधनों से किसी न किसी रूप में बंधी हुई है इसलिए समाज में महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार प्रदान करने के लिए पुरुषों को भी महिलाओं का सहयोग करना चाहिए।

यह पितृसत्तात्मक व्यवस्था की लड़ाई पुरुषों के खिलाफ नहीं होकर, पुरुषवादी सोच (से प्रभावित चाहे वह स्त्री हो या पुरुष के) प्रति है इसलिए सभी को महिलाओं की स्थिति को सुधारने में सहयोग करना चाहिए।

दहेज प्रथा

- Arti Pokhariyal

एक गंभीर सामाजिक बुराई है जिसके कारण समाज में महिलाओं के प्रति यातनाएँ और अपराध उत्पन्न हुए हैं और साथ ही भारतीय वैवाहिक पद्धति प्रदूषित हुई है। दहेज शादी के समय दुल्हन के ससुराल वालों को लड़की के परिवार द्वारा नकद या वस्तु के रूप में किया जाने वाला भुगतान है। सरकार ने दहेज प्रथा को मिटाने के लिये तथा बालिकाओं की स्थिति के उत्थान के लिये दहेज निषेध अधिनियम 1961 में बनाया था परन्तु सामाजिक प्रवृत्ति के कारण यह कानून हमारे समाज में वांछित परिणाम देने में विफल रहा है।

भारत में दहेज प्रथा

दहेज का अर्थ है जो सम्पत्ति, विवाह के समय वधू के परिवार की तरफ़ से वर को दी जाती है। दहेज को उर्दू में जहेज़ कहते हैं। यूरोप, भारत, अफ्रीका और दुनिया के अन्य भागों में दहेज प्रथा का लंबा इतिहास है। भारत में इसे दहेज, हुँडा या वर-दक्षिणा के नाम से भी जाना जाता है तथा वधू के परिवार द्वारा नक़द या वस्तुओं के रूप में यह वर के परिवार को वधू के साथ दिया जाता है। आज के आधुनिक समय में भी दहेज़ प्रथा नाम की बुराई हर जगह फैली हुई है। पिछड़े भारतीय समाज में दहेज़ प्रथा अभी भी विकराल रूप में है।

दहेज प्रथा का दुष्प्रभाव

भारत में दहेज़ प्रथा एक गंभीर सामाजिक बुराई के रूप में समाज में ब्याप्त है जिसके निम्नलिखित दुष्प्रभाव हैं:

1. लैंगिक भेदभाव

दहेज प्रथा के कारण महिलाओं को एक दायित्व के रूप में देखा जाता है और उन्हें अक्सर अधीनता हेतु विवश किया जाता है तथा उन्हें शिक्षा या अन्य सुविधाओं के संबंध में दूसरे दर्जे की सुविधाएँ दी जाती हैं।

2. दहेज़ के लिए महिलाओं का काम पर जाना

दहेज में मदद के लिये अपनी बेटियों को काम पर भेजते हैं ताकि वे कुछ पैसे कमा सकें। मध्यम और उच्च वर्ग के परिवार अपनी बेटियों को नियमित रूप से स्कूल तो भेजते हैं लेकिन करियर विकल्पों पर ज़ोर नहीं देते हैं।

3. महिलाओं का अविवाहित रह जाना

देश में लड़कियों की एक बेशुमार संख्या शिक्षित और पेशेवर रूप से सक्षम होने के बावजूद अविवाहित रह जाती है क्योंकि उनके माता-पिता विवाह पूर्व दहेज की मांग को पूरा करने में सक्षम नहीं हैं।

4. महिलाओं के खिलाफ अपराध

कुछ मामलों में दहेज प्रथा महिलाओं के खिलाफ अपराध को जन्म देती है, इसमें भावनात्मक शोषण और चोट से लेकर मौत तक शामिल है।

दहेज अपराधों के प्रकार

हाल ही में विवाहित महिलाएं दहेज संबंधी हिंसा का निशाना बन सकती हैं क्योंकि वह आर्थिक और सामाजिक रूप से अपने नए पति से बंधी होती है कुछ मामलों में, दुल्हन के परिवार से अधिक संपत्ति निकालने के लिए दहेज का उपयोग धमकी या बंधक जैसी स्थिति के रूप में किया जाता है। यह नई दुल्हनों में देखा जा सकता है, जो इस स्थिति में सबसे अधिक असुरक्षित होती हैं। दहेज अपराध हिंसा की धमकी या घटना के साथ हो सकते हैं, जिससे दुल्हन के परिवार के पास अपनी बेटी की सुरक्षा के लिए अधिक दहेज देने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता है।

भारत में महिलाओं के खिलाफ देखी जाने वाली हिंसा में दहेज को एक प्रमुख योगदानकर्ता माना जाता है। इनमें से कुछ अपराधों में शारीरिक हिंसा, भावनात्मक शोषण और यहां तक कि शादी से पहले दुल्हनों और युवा लड़कियों की हत्या भी शामिल है। दहेज अपराधों के प्रमुख प्रकार क्रूरता (जिसमें यातना और उत्पीड़न शामिल है)

2005 की कनाडाई डॉक्यूमेंट्री फिल्म, रनवे ग्रूमस ने दहेज प्रथा का फायदा उठाने वाले इंडो-कैनेडियन पुरुषों की घटना को उजागर किया। ये लोग नई दुल्हन की तलाश में धोखे से भारत की यात्रा करते थे, लेकिन फिर महिला को छोड़ देते थे और उसके दहेज पर कब्ज़ा हासिल कर लेने के बाद उसके बिना कनाडा लौट जाते थे।

क्रूरता

क्रूरता मौखिक हमलों के रूप में हो सकती है या महिला या उसके परिवार को दहेज की मांगों को मानने के लिए मजबूर करने के लिए पिटाई या उत्पीड़न के साथ हो सकती है। कई मामलों में, क्रूरता महिला को आत्महत्या करने के लिए भी मजबूर कर सकती है और इसे भारत में दहेज विरोधी कानूनों द्वारा विशेष रूप से अपराध घोषित किया गया है।

घरेलू हिंसा

घरेलू हिंसा में अपमानजनक और धमकी भरे व्यवहार का एक व्यापक स्पेक्ट्रम शामिल है जिसमें शारीरिक, भावनात्मक, आर्थिक और यौन हिंसा के साथ-साथ धमकी, अलगाव और जबरदस्ती शामिल है। घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम, 2005 जैसे कानून हैं जो घरेलू हिंसा को कम करने और महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करने में मदद करते हैं।

आत्महत्या के लिए उकसाना

आत्महत्या ऐसी स्थितियों में, दहेज अपराध आत्महत्या के लिए उकसाने तक भी फैल जाता है, जिसमें जानबूझकर आत्महत्या करने की सलाह देने, प्रोत्साहित करने या सहायता करने के सभी कार्य और प्रयास शामिल हैं। दहेज का प्रभाव एक महिला को असहाय और हताश बना सकता है, जो भावनात्मक आघात और दुर्व्यवहार में बदल सकता है। दहेज संबंधी दुर्व्यवहार भावनात्मक आघात और आत्महत्या का कारण बनता है। आत्महत्या के लिए उकसाने का अपराध महत्वपूर्ण है क्योंकि कई मामलों में, आरोपी व्यक्ति अक्सर यह बचाव करते हैं कि पीड़िता ने अपनी इच्छा से आत्महत्या की है

दहेज हत्या

दहेज हत्या एक दुल्हन की आत्महत्या या उसके पति और उसके परिवार द्वारा दहेज से असंतुष्ट होने के कारण शादी के बाद की गई हत्या से संबंधित है। यह आम तौर पर पति के परिवार द्वारा पूर्व घरेलू दुर्व्यवहारों की एक श्रृंखला की परिणति है। अधिकांश दहेज हत्याएं तब होती हैं जब युवा महिला उत्पीड़न और यातना सहन करने में असमर्थ होकर फांसी लगाकर या जहर खाकर आत्महत्या कर लेती है। दहेज से होने वाली मौतों में दुल्हन को जलाना भी शामिल है जहां पति या उसके परिवार द्वारा दुल्हनों पर मिट्टी का तेल छिड़क कर आग लगा दी जाती है। कभी-कभी, आत्महत्या के लिए उकसाने के कारण, दुल्हन खुद को आग लगा सकती है।

दहेज प्रथा के विरुद्ध कानून

5 दहेज निषेध अधिनियम, 1961 के अनुसार दहेज लेने, देने या इसके लेन-देन में सहयोग करने पर 5 वर्ष की कैद और 15,000 रुपये के जुर्माने का प्रावधान है।

5 दहेज के लिए उत्पीड़न करने पर भारतीय दंड संहिता की धारा 498-1 जो कि पति और उसके रिश्तेदारों द्वारा सम्पत्ति अथवा कीमती वस्तुओं के लिए अवैधानिक मांग के मामले से संबंधित है, के अन्तर्गत 3 साल की कैद और जुर्माना हो सकता है।

5 धारा 406 के अन्तर्गत लड़की के पति और ससुराल वालों के लिए 3 साल की कैद अथवा जुर्माना या दोनों, यदि वे लड़की के स्त्रीधन को उसे सौंपने से मना करते हैं।

5 यदि किसी लड़की की विवाह के सात साल के भीतर असामान्य परिस्थितियों में मौत होती है और यह साबित कर दिया जाता है कि मौत से पहले उसे दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता था, तो भारतीय दंड संहिता की धारा 304-ठ के अन्तर्गत लड़की के पति और रिश्तेदारों को कम से कम सात वर्ष से लेकर आजीवन कारावास की सजा हो सकती है।

भारत में दहेज के कारण हत्याएँ

देश में औसतन हर एक घंटे में एक महिला दहेज संबंधी कारणों से मौत का शिकार होती है। वर्ष 2007 से 2011 के बीच इस प्रकार के मामलों में काफी वृद्धि देखी गई है।

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों के अनुसार विभिन्न राज्यों से वर्ष 2012 में दहेज हत्या के 8,233 मामले सामने आए हैं। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार 2020 में करीब 7,000 हत्याएं दहेज की वजह से हुई, यानी करीब 19 महिलाएं हर रोज मारी गई हैं। इसके अलावा 1,700 से ज्यादा महिलाओं ने "दहेज से जुड़े" कारणों की वजह से आत्महत्या कर ली है। आंकड़ों का औसत बताता है कि प्रत्येक घंटे में एक महिला दहेज की बलि चढ़ रही है। यदि विवाह के 7 साल के अन्दर दहेज प्रताड़ना से डेथ होती है तो वो दहेज हत्या मानी जाती है।

दहेज प्रथा न केवल अवैध है बल्कि समाज में अनैतिक भी है। इसलिये दहेज प्रथा की बुराइयों के प्रति समाज की अंतरात्मा को पूरी तरह से जगाने की ज़रूरत है ताकि समाज में दहेज की मांग करने वालों की प्रतिष्ठा कम हो जाए और इस सामाजिक बुराई को जड़ से समाप्त किया जा सके।

महिला सशक्ति करण

-Seema

महिला सशक्ति करण अर्थ

किसी व्यक्ति, समुदाय या संगठन की आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, शैक्षिक, लैंगिक, या आध्यात्मिक शक्ति में सुधार को सशक्तिकरण कहा जाता है।

सशक्तिकरण का अर्थ एक ऐसी प्रक्रिया से है जिसके तहत शक्तिहीन लोगों को अपने जीवन की परिस्थितियों को नियंत्रित करने के बेहतर मौके मिल जाते हैं। इसका मतलब केवल संसाधनों पर बेहतर नियंत्रण नहीं है बल्कि इसका आत्मविश्वास में वृद्धि और पुरुषों के साथ बराबरी के आधार पर निर्णय करने की क्षमता से भी है।

न्यायपूर्ण और प्रगतिशील समाज के निर्माण के लिए महिलाओं को काम के समान अवसर प्रदान किए जाने की आवश्यकता है।

1-लीना मेहंदेले अनुसार "सशक्तिकरण एक मानसिक अवस्था है जो कुछ विशेष आंतरिक कुशलताओं और सामाजिक परिस्थितियों पर निर्भर है

2-डॉ अरुण कुमार सिंह के अनुसार " महिला सशक्तिकरण का अर्थ है महिला को शक्ति संपन्न बनाना ताकि वह सहजता से अपने जीवन यापन की व्यवस्था कर सके

3- महात्मा गांधी के अनुसार " हमारा पहला प्रयास अधिक से अधिक महिलाओं को उनके वर्तमान स्थिति के प्रति जागरूक करना होना चाहिए

प्राचीन भारतीय संस्कृति में महिलाओं को पुरुषों के बराबर माना जाता था और लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता था, इसके बजाय महिलाओं को समाज द्वारा सम्मानित किया जाता था, और उस समय समाज महिलाओं को जननी मानता था जिसका अर्थ है माँ, हिन्दू धर्मग्रन्थों में भी नारी को देवी माना गया है। वे अपने पूर्ण बुनियादी अधिकारों का आनंद लेते थे जहाँ वे शिक्षा प्राप्त करने के लिए स्वतंत्र थे, उस समय ऋषियों की पत्नियाँ अपने पतियों के साथ आध्यात्मिक गतिविधियों में भाग लेने के लिए तैयार हो सकती थीं, उन्हें अर्धांगिनी (बेटर हाफ) के रूप में भी जाना जाता था। उस काल में स्त्रियों को भी पुरुषों के समान ही समान जीवन जीने को मिलता था। भारतीय इतिहास में महिलाएँ अपने जीवन में दो चीज़ों से गुज़री हैं, एक है अधीनता और मुक्ति। समय के साथ-साथ उनकी स्थिति भले ही बदल गई हो, लेकिन वैदिक युग में वे नश्वरता और आदर्शों के पूर्ण रक्षक और संरक्षक के प्रतीक थे।

गार्गी, मैत्रेयी, सीता, द्रौपदी और अलापा की उपलब्धि इस युग की महिलाओं के लिए सबसे आदर्श भूमिका बन जाती है। ये महिलाएँ कई क्षेत्रों में पुरुषों के साथ प्रतिस्पर्धी थीं

प्रारंभिक वैदिक काल में लिंगों के बीच अखंडता की गुंजाइश थी, लेकिन बाद के वैदिक काल में किसी तरह उनके बीच अखंडता और समानता में गिरावट आई, विशेषकर महिलाओं की स्थिति जो प्रारंभिक वैदिक काल में समान थी, बाद में नीचे की ओर गिर गई। उत्तर वैदिक काल में प्रवृत्ति. ऐसा माना जाता है कि उस युग में महिलाओं की स्थिति में गिरावट का मुख्य कारण विदेशी विजय थी। निष्पक्षता और सन्दाव के ऋग्वैदिक आदर्शों में क्षरण हुआ, जो महिलाओं को वेदों का अध्ययन करने, वैदिक मंत्रों का पाठ करने और वैदिक अनुष्ठानों का अभ्यास करने के अपने अधिकार का आनंद लेने से वंचित करता है। महिलाओं को शादी करने या घरेलू जीवन में शामिल होने और अपने पतियों के प्रति अटूट समर्पण रखने के लिए मजबूर किया गया।

सती प्रथा

सती प्रथा के अनुसार जब किसी महिला का पति मर जाता है तो महिला को अपने पति के साथ जलती हुई आग पर बैठना पड़ता है और खुद को जला लेना पड़ता है। ऐसा कहा जाता है कि यह अपने पति के प्रति उसका गंभीर कर्तव्य था।

जौहर

आज की दुनिया में, अगर हम यह समझने की कोशिश करें कि जौहर क्या है, तो हमें पता चलता है कि यह सिर्फ एक सामूहिक आत्महत्या है, लेकिन मध्ययुगीन काल में, यह एक राजपूत प्रथा थी, जहाँ राजपूत महिलाएँ अपने पतियों के लिए अपने प्राणों की आहुति देती थीं। एक लड़ाई हारने वाला हूँ

बाल विवाह

उस समय लड़कियों का जन्म माता-पिता के लिए शर्म की बात होती थी, उन्हें परिवार के लिए बोझ माना जाता था, इसलिए माता-पिता जल्द से जल्द उनकी शादी कर देते थे। बाल विवाह का एक अन्य कारण यह है कि यह मान्यता थी कि बड़ी हो चुकी लड़कियाँ घोटाले करने में अधिक प्रवृत्त होती हैं, यही कारण है कि उनके माता-पिता बहुत ही कम उम्र में शादी कर देते हैं और लड़कियाँ अपने माता-पिता के घर पर रहती हैं

विधवा महिला

मध्ययुगीन काल में महिलाओं के साथ सामग्री जैसा व्यवहार करना आम बात थी। मध्ययुगीन काल में विधवाओं को शापित माना जाता था, ऐसा माना जाता था कि जब कोई महिला विधवा हो जाती है तो वह अपमान सहती है और दुर्भाग्य लाती है, विधवा होने के बाद उस महिला को घर की हर सुख-सुविधा देनी पड़ती है जिसका वादा उसके पति ने शादी में किया था। , किसी भी पवित्र या पवित्र अनुष्ठान या स्थान में विधवाओं के लिए कोई जगह नहीं है।

शैक्षिक सशक्तिकरण एक शैक्षिक महिला अपने ज्ञान से अपने परिवार को प्रकाशित करने के साथ साथ स्वयं भी आत्मविश्वास से परिपूर्ण होती है संतान की प्रथम गुरु तथा उसकी माता यदि स शिक्षित हो तो भाभी पीढ़ी के शिक्षित होने की संभावना कई प्रतिशत बढ़ जाती है इसकी अतिरिक्त सामाजिक विघटन से लड़ने का एकमात्र हथियार भी शिक्षा ही है इसके इस्तेमाल से स्त्रियां परिवार तथा समाज में सम्मान के साथ साथ आर्थिक स्वतंत्रता की प्राप्ति कर सकती है

शारीरिक स्वास्थ्य संबंधी सशक्तिकरण

शारीरिक स्वास्थ्य संबंधी सशक्तिकरण इसका अर्थ सशक्तिकरण का विवाह अभिप्राय स्त्रियों के स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है कभी सबको खिला कर सबसे पीछे खान की परंपरा तो कई बजे जीरो फिगर की चाहत के कारण उपयुक्त आहार नहीं ले पाती जिसके कारण शरीर कमजोरी तथा रोगी हो जाता है शरीर से कमजोर महिला में प्रयोग गर्भवती होने पर अनेक प्रकार की समस्या से ग्रसित हो सकती है कमजोर मां की संतान भी कमजोर होती है और उसका जीवन रोगों से संघर्ष करने में बिकता है उसका स्वास्थ्य विकास नहीं हो पता है जिसे उसका पूरा जीवन और एक पूरी पीढ़ी प्रभावित होती है

विधिक सशक्तिकरण

विधिक सशक्तिकरण भारतीय संविधान पुरुष और महिला को बराबरी का दर्जा देता है संविधान की दृष्टि में दोनों समान है स्वतंत्रता के बाद भारत में महिलाओं की दशा सुधारने के लिए अनेक प्रयास हुए हैं इन प्रयासों को दूसरों में बांटा जा सकता है पहली श्रेणी में प्रयास रखी जा सकते हैं जिन्होंने महिलाओं को शोषण और उत्पीड़न से मुक्त करने के लिए अनेक विधिक प्रावधान और कानून बनाएं घरेलू हिंसा का कानून ऐसा ही एक महान महत्वपूर्ण कानून है दूसरी श्रेणी में प्रयास करते हैं जिनमें नई क्षमता की संवर्धन के प्रोत्साहन की योजनाएं बनाई ।

राजनीतिक सशक्तीकरण

राजनीतिक सशक्तीकरण भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महिलाओं का अद्भुत योगदान रहा है देश के राजनीतिक पर दृश्य में महिलाओं की बराबर और प्रभावी भूमिका सुनिश्चित करने की दृष्टि से विभिन्न स्तरों पर महिला आरक्षण का प्रावधान रखा गया स्थानीय और राष्ट्रीय निकायों के चुनाव में भी महिलाओं की आरक्षण की व्यवस्था है इसका परिणाम यह होता है कि आज महिलाएं राजनीति के क्षेत्र में भी योग्यता और परिश्रम से मानक स्थापित कर रही ।

भावनात्मक सशक्तिकरण

भावनात्मक सशक्तिकरण यदि स्त्रियां शिक्षित तथा आर्थिक रूप से मजबूत हो तब भी अतिशयिभाविता के कारण कई बार गलत निर्णय बैठी है जिससे आगे चलकर उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है ।

जननी एक्सप्रेस योजना - गर्भवती महिलाओं को प्रचार हेतु चिकित्सालय ले जाने के लिए पवन सुविधा उपलब्ध कराने की योजना है इसके अंतर्गत राज्य के सभी जिलों में कॉल सेंटर आधारित जननी एक्सप्रेस की सुविधा उपलब्ध है **उद्देश्य** तत्काल परिवहन सुविधा मिलने से की स्थिति में महिलाओं की जान बचाई जा सकती

जननी सुरक्षा योजना - सुरक्षा योजना के अंतर्गत गर्भवती महिला को संस्थागत प्रश्र करने का शहरी क्षेत्र में निवास करने वाली महिलाओं को हजार रुपए और ग्रामीण क्षेत्र में निवास करने के महिलाओं को 1400 की राशि प्रदान की जाती है उद्देश्य सुरक्षित परिषद सुनिश्चित करना

जननी शिशु सुरक्षा योजना - समस्त गर्भवती महिलाओं एवं नवजात शिशु को जन्म से 30 दिवस तक आवश्यक पैथोलॉजी जांच में रक्त व्यवस्था परिवहन व्यवस्था भोजन कराया जाता है

कन्या योजना - अनुसूचित जाति की ऐसी कहानी जो कक्षा 6 9 11 में प्रवेश लेती हैं उनको प्रवेश देने काम सब ₹500 हजार एवं 2000 प्रति वर्ष की दर से राशि दी जाएगी और यह राशि छात्रवृत्ति के अतिरिक्त होती है उद्देश्य - अनुसूचित जाति की कन्याओं को निरंतर शिक्षा जारी रखने हेतु आर्थिक रूप से प्रोत्साहन करना ।

निशुल्क साइकिल योजना - अनुसूचित जाति कन्या साक्षरता भोजन के उद्देश्य है कक्षा 9 वी में वितरण पात्र बालिकाओं के निशुल्क साइकिल प्रदान की जाती है ।

गांव की बेटी योजना - योजना का उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्र की प्रतिभावान बालिकाओं की शिक्षा का स्तर बढ़ाने एवं उच्च शिक्षा की ओर पोषण करने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना इस योजना में छात्र को प्रतिमा ₹500 की दर से शैक्षणिक क्षेत्र के लिए ₹5000 सालाना की आर्थिक सहायता प्राप्त कराई जाती है ।

प्रतिभा किरण योजना - योजना में गरीबी रेखा की नीचे जीवन यापन करने वाली शहर की मेधावी छात्रों को शिक्षा का का स्टार बढ़ाने के हेतु प्रावधान स्वरूप आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है ।

सबला योजना - किशोरी बालिकाओं को स्वस्थ एवं प्रारंभिक बनाना 11 से 18 वर्ष की किशोरी बालिकाओं को पूरक पोषण आहार का वितरण स्वास्थ्य संबंधी जानकारी तथा स्वावलंबी बनाने हेतु विभाग द्वारा प्रशिक्षण दिलाया जाता है ।

सौभाग्यवती योजना -

स योजना अनुसूचित जाति वर्ग के गरीब रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाली परिवार की कन्या विवाह हेतु आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना है ।

विवाह सहायता योजना- इस योजना के अंतर्गत पंजीकृत में निर्माण श्रमिक की दो पुत्री तक अथवा स्वयं महिला पंजीकृत श्रमिक की विवाह हेतु सहायता प्रदान करना है ।

विधवा सहायता योजना - इस योजना में पुरुष श्रमिक की मृत्यु होने पर उसकी वीडियो को पार्टी सहायता प्रदान की जाती है।

उषा किरण योजना - यह योजना घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं जिसमें शारीरिक मानसिक लैंगिक आर्थिक मौखिक और भावनात्मक प्रकार के हिंसा शामिल है को संरक्षण एवं सहायता का अधिकार का लाभ उपलब्ध कराती है।

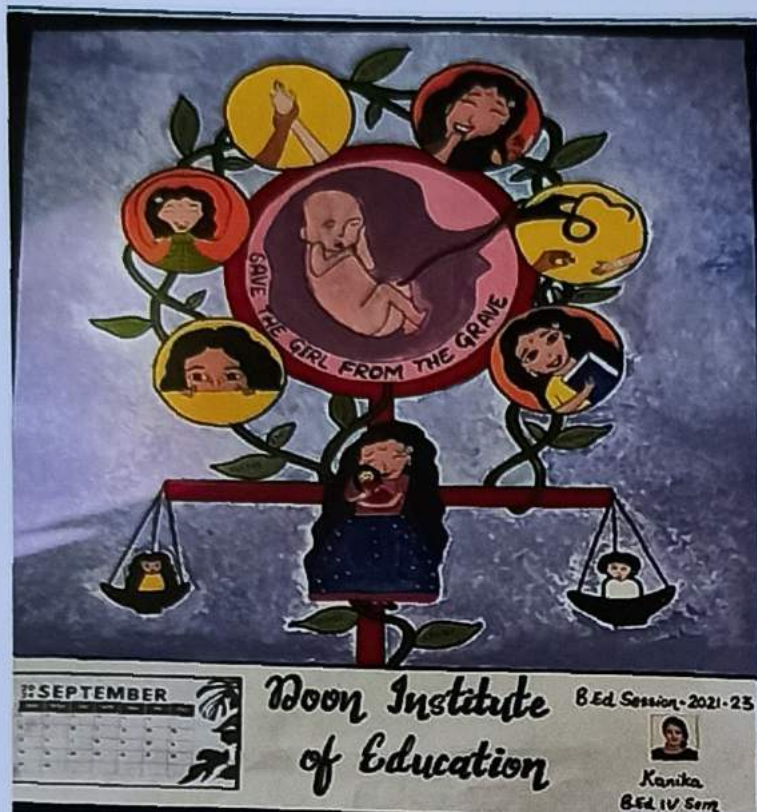
उज्ज्वला योजना - केंद्र सहायता प्राप्त

स योजना में तस्करी की शिकार महिलाओं एवं उनके बच्चों के बचाव उनका निवास का प्रश्न किया जाता है।

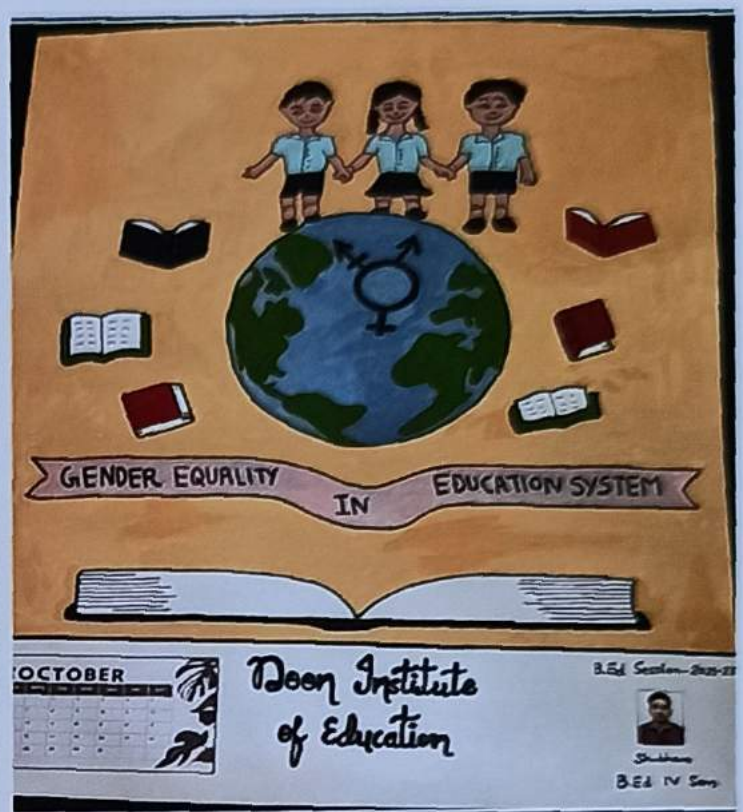
मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना - इस योजना के तहत विपत्ति ग्रस्त कठिन परिस्थितियों में निवास कर रहे हैं महिलाओं की आर्थिक सामाजिक हेतु स्थाई प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है ताकि रोजगार प्राप्त किया जा सके।

महिला सशक्तिकरण में जेंडर की भूमिका

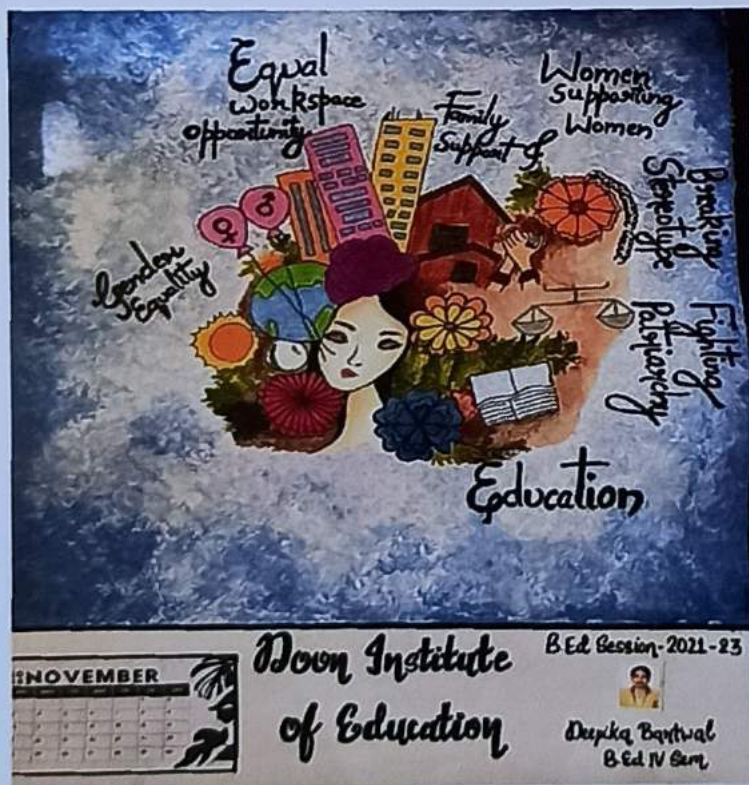
महिला सशक्तिकरण में जेंडर की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। यह भूमिका महिलाओं को समाज में समानता अधिकार और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति में मदद करती है। जेंडर समानता के प्रति समाज में जागरूकता और जेंडर स्थितियों के खिलाफ लड़ाई महिला सशक्तिकरण की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। महिला सशक्तिकरण में जेंडर की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। इसके साथ ही समाज में जेंडर स्टीरियोटाइप्स को तोड़कर और समानता के प्रति संवेदनशीलता बढ़ाकर जेंडर की भूमिका को मजबूत किया जा सकता है।



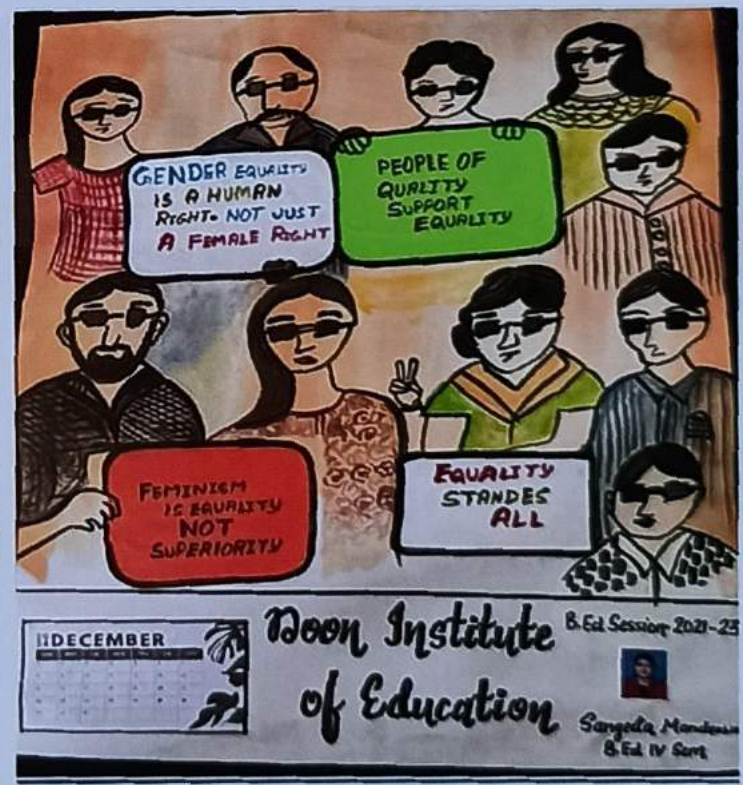
Kanika



Shubham



Deepika Bartwal



Sangeeta Mandrawal

लैंगिक समानता में महिला शिक्षा

-Swati

लैंगिक समानता में महिला शिक्षा

लैंगिक समानता-लैंगिक समानता से आशय उसे प्रक्रिया से है जिसमें लिंग के आधार पर बिना भेद भाव के स्त्री एवं पुरुषों को समाज में स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने का अधिकार हो, सभी क्षेत्रों में अवसरों की सामान्य हो।

जैसे-शिक्षा, राजनीति के अवसर आदि।

महिला शिक्षा का परिचय-महिला समाज के निर्माण खंड है। वे समाज और राष्ट्र के हर पहलू को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, कोई भी राष्ट्र तभी स्थापित और सशक्त माना जाता है। जब उसे देश की महिला सशक्त और सुरक्षित तहो। किसी भी राष्ट्र के सामाजिक और आर्थिक विकास में महिलाओं की भूमिका को अनदेखा नहीं किया जा सकता। महिला और पुरुष पुरुष दोनों समान रूप से समाज के दो पहियों की तरह कार्य करते हैं। और समाज को प्रगतिकी ओर ले जाते हैं। दोनों के समान भूमिका को देखते हुए, यह आवश्यक है कि उन्हें शिक्षा सहित अन्य सभी क्षेत्र में समान अवसर दिए जाएं, क्योंकि यदि कोई एक पक्ष भी कमजोर रहेगा। तो सामाजिक प्रगतिसं भवन ही हो पाएगी।

भारत में महिला शिक्षा का इतिहास-

वैदिक काल-वैदिक काल में पुरुषों के समान ही स्त्रियों को शिक्षा प्राप्त करने का समान अधिकार था। प्राचीन काल में अनेक विदुषी विदुषी (विद्वानस्त्री) महिलाओं, जैसे-गार्गी, अपला, मैत्रेयी आदि का ल्लेख मिलता है, किंतु इस युग में स्त्रियों के लिए पृथक विद्यालयों की व्यवस्था नहीं थी। उसे समय सह-शिक्षा का प्रचलन अवश्य था। उसे समय परिवार ही स्त्रियों की शिक्षा के केंद्र थे। जहां उन्हें अपने पिता, पति वह कुलगुरु से शिक्षा प्राप्त होती थी।

मुगल काल में स्त्री शिक्षा-मुस्लिम काल में बाल विवाह तथा पर्दा प्रथा का प्रचलन होने के कारण बालिकाओं के अतिरिक्त अन्य सभी स्त्रियों को शिक्षा प्राप्ति के अवसरों से प्रायः वंचित ही रह जाती थी। इतिहास के अवलोकन से प्रतीत होता है। कि उसे समय अल्प आयु की बालिकाओं को कुछ वर्षों की प्राथमिक शिक्षा मिल जाती थी। मुस्लिम बालिकाएं मस्जिद से जुड़े मकतबों में बालकों के साथ प्राथमिक शिक्षा प्राप्त कर लेती थी। मध्यम वर्ग के हिंदुओं की लड़कियां परिवार में पारिवारिक शिक्षा के रूप में अक्षर ज्ञान तथा धार्मिक साहित्य का ज्ञान प्राप्त कर लेती थी। शाही घरानों तथा समाज के धनी वर्गों की लड़कियां अपने घरों में शिक्षा प्राप्त करती थी। उसे समय की अनेक शाही घरानों की विदुषी महिलाओं के नाम हमें इतिहास में पढ़ने को मिलते हैं; जैसे-रजिया सुल्तान, नूरजहां आदि आदि। हिन्दू

विदुषियों में रानी दुर्गावती, रानी रूपमती, शिवाजी की माता जीजाबाई के नाम स्त्री-शिक्षा जगत में आज भी स्मरणीय है।

ब्रिटिश इंडिया-इस काल में पहला ऑल-गर्ल्सबोर्डिंग स्कूल वर्ष 1840 तक स्कॉटिशचर्चसोसाइटी द्वारा दक्षिण भारत में निर्मित 6 स्कूल मौजूद थे। जिनमेकुल 200 लड़कियों का नामांकन कराया गया था। वर्ष 1848 में पुणे में गर्ल्स स्कूल की शुरुआत करने वाले ज्योतिबा फुले और उनकी पत्नी सावित्रीबाई पश्चिमी भारत में भी महिला शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी थे। पश्चिमी भारत में महिला शिक्षा की शुरुआत पुणे में गर्ल्स स्कूल के निर्माण के साथ हुई। जिसे वर्ष 1848 में ज्योतिबा फुले और उनकी पत्नी सावित्रीबाई ने शुरू किया था।

उल्लेखनीय है कि 1850 तक मद्रास मिशनरियों ने स्कूल में लगभग 8,000 से अधिक लड़कियों का नामांकन कराया था। ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यक्रम बुड्सडिस्पैच ने वर्ष 1854 में महिलाओं की शिक्षा और उनके लिए रोजगार की आवश्यकता को स्वीकार किया। 1879 में स्थापित बेथून कॉलेज वर्तमान में एशिया का सबसे पुराना महिला कॉलेज है।

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात स्त्री-शिक्षा-

भारतकी स्वतंत्रता के बाद सन् 1947 में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग को बनाया गया। आयोग ने सिफारिश की कि महिलाओं की शिक्षा में गुणवत्ता सुधार लाया जाएँ। भारत सरकार ने तुरंत ही महिला साक्षरता के लिए साक्षर भारत मिशन की शुरुआत की थी। इस मिशन में महिलाओं की अशिक्षाकिदरको नीचे लाने की कोशिश की गई है।

1958 में सरकार ने महिला शिक्षा पर एक राष्ट्रीय समिति का गठन किया। जिसकी सभी सिफारिश स्वीकार कर ली गई। इन सिफारिश का सार यह था कि महिला शिक्षा को भी पुरुष शिक्षा के समांतर पहुंचाया जाएँ।

वर्ष 1959 में इसी विषय पर गठित एक समिति ने लड़कों और लड़कियों के लिए एक समान पाठ्यक्रम को विभिन्न चरणों में लागू करने की सिफारिश की। वर्ष 1964 में स्थापित शिक्षा आयोग ने बड़े पैमाने पर महिला शिक्षा के विषय में बात की और वर्ष 1968 में भारत सरकार ने एक राष्ट्रीय नीति विकसित करने की सिफारिश की।

भारत में महिला शिक्षा तथा पुरुष शिक्षा की वर्तमान स्थिति-

राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस-5) और राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय: एनएसओ (2021 और 2022) के अनुसार, साक्षरता दर 77.70 है।

महिला शिक्षा हेतु सरकार के प्रयास-

कस्तूरबागांधीबालिका विद्यालय योजना की शुरुआत वर्ष 2004 में विशेष रूप से कम साक्षरता दर वाले क्षेत्रों में लड़कियों के लिए प्राथमिक स्तर की शिक्षा की व्यवस्था करने हेतु की गई थी।

बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ - 22 जनवरी 2015 को महिला सशक्तिकरण के लिए किए जाने वाले बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सामाजिक आंदोलन की शुरुआत की गई। कार्यक्रम का लक्ष्य कन्या भ्रूण हत्या को खत्म करना और महिलाओं को पर्याप्त शिक्षा प्रदान करना है।

नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार महिला शिक्षक के प्रस्ताव रखे हैं।-

नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार कन्या भ्रूण हत्या रोकने।

स्कूलों में लड़कियों की संख्या बढ़ाने। तथा स्कूल छोड़ने वालों की संख्या को कम करने।

शिक्षा के अधिकार के नियमों को लागू करने और लड़कियों के लिए शौचायलयों के निर्माण में वृद्धि करने जैसे उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं।

महिला शिक्षा के मार्ग में बाधाएं-

-भारतीय समाज पुरुष प्रधान है। महिलाओं को पुरुषों के बराबर सामाजिक दर्ज नहीं दिया जाता है, और उन्हें घर की चहारदीवारी तक सीमित कर दिया जाता है। हालांकि ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा शहरी क्षेत्रों में स्थिति अच्छी है, परंतु इस तथ्य से भी इनकार नहीं किया जा सकता। कि आज भी देश की अधिकांश आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है।

-हम दुनिया की सुपर पावर बनने के लिए तेजी से प्रगति कर रहे हैं, परंतु लैंगिक असमानता की चुनौती आज भी हमारे समक्ष एक कठोर वास्तविकता के रूप में खड़ी है। यहां तक कि देश में कई शिक्षित और कामकाजी शहरी महिलाएं भी लैंगिक असमानता का अनुभव करती हैं।

-समाज की यह धारणा काफी प्रचलित है, कि किसी विशेष कार्य या परियोजना के लिए महिलाओं की दक्षता उनके पुरुष समकक्षों के मुकाबले कम होती है, और इसी कारण देश में महिलाओं तथा पुरुषों के औसत वेतन में काफी अंतर आता है।

-देश में महिला सुरक्षा अभी एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है, जिसके कारण कहीं अभिभावक लड़कियों को स्कूल भेजने से कतराते हैं। हालांकि सरकार द्वारा इस क्षेत्र में काफी काम किया गया है, परंतु वे सभी प्रयास इस मुद्दे को पूर्णतः संबोधित करने में असफल रहे हैं।

सुझाव-

-आवश्यकता होने पर लड़कियों के लिए छात्रावास खोले जाएं

-लड़कियों के लिए यातायात सम्बन्धीविशेष सुविधाएं की जाएं

-लड़कियों की शिक्षा स्कूल स्तर पर निःशुल्क की जाएं

-लड़कियों की शिक्षा के लिए कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना के अंतर्गत मुख्य रूप से प्राथमिक स्तर पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग और अल्पसंख्यकों की बालिकाओं के लिए दुर्गम क्षेत्रों में आवासीय सुविधाओं के साथ 2000 विद्यालयों की व्यवस्था की गई है। यह योजना शैक्षिक रूप से पिछड़े विकास खण्डों में चलाई जा रही है, जहां महिला साक्षरता की दर राष्ट्रीय औसत से कम है। तथा लिंग भेदभाव अधिक है।

लैंगिक विभेद का अर्थ

-kiran

लैंगिक विभेद से हमारा अभिप्राय बालक एवं बालिका में व्याप्त लैंगिक असमानता से है। बालक एवं बालिकाओं में उनके लिंग के आधार पर विभेद किया जाता है जिसके कारण बालिकाओं को समाज में शिक्षा में एवं पालन-पोषण में बालकों से कम रखा जाता है जिससे वे पिछड़ जाती हैं। यही लैंगिक विभेद है क्योंकि बालिकाओं एवं बालकों में यह विभेद उनके लिंग को लेकर किया जाता है। प्राचीन काल से ही बालकों को श्रेष्ठ कुल का तारनहार कुल का नाम आगे बढ़ाने वाला माना जाता है जिसके कारण बालिकाएं उपेक्षा का पात्र बनती हैं। इस प्रकार प्राचीन मान्यताओं एवं सामाजिक कुप्रथाओं आदि के कारण लिंग के आधार पर किया जाने वाला विभेद भाव लिंगीय विभेद कहलाता है।

प्रोफेसर एस.के.ए. दुबे के अनुसार लैंगिक विभेद का आशय उन कल्पनाओं, विचारों, झुकाव एवं प्रवृत्तियों से होता है जो समाज के द्वारा रूढ़िवादिता एवं प्राचीन परंपराओं के रूप में स्वीकृत होती हैं एवं उनका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं होता है। यह पुरुष प्रधानता की ओर संकेत करती है।

श्रीमती आर.के.ए. शर्मा के अनुसार लैंगिक विभेद स्त्री पुरुष के मध्य अधिकार तथा शक्तियों का अवैज्ञानिक तथा तार्किक विभाजन है जो कि स्त्री वर्ग को दुर्बल तथा निम्न स्तरीय बताने का प्रयास करते हैं एवं पुरुष वर्ग को प्रधानता की ओर प्रवृत्त करते हैं।

लैंगिक विभेद के कारण

समाज में लैंगिक विभेद आज से नहीं बरन प्राचीन काल से चला आ रहा है। यह विभेद मात्र भारत में ही नहीं बरन विश्व के तमाम देशों में चल रहा है। सामान्यतः विभेद कई प्रकार के होते हैं जैसे जातिगत विभेद, लिंगीय विभेद, भाषाई विभेद, प्रजातीय विभेद, रंगगत विभेद, सांस्कृतिक विभेद, स्थानगत विभेद, आर्थिक विभेद आदि। वस्तुतः सभी प्रकार के विभेद मानवता के लिए खतरा है क्योंकि इन विभेदों के कारण ही मानव में एकता स्थापित करने में समस्या आती है। लैंगिक वि विभेद कि बहुत से कारण है जो निम्नलिखित हैं।

प्राचीन मान्यताएं— अथर्ववेद में या कहा गया है कि स्त्री को बाल्यावस्था में पिता के युवावस्था में पति के तथा वृद्धावस्था में पुत्र के अधीन रहना चाहिए। मुस्लिम समाज में भी स्त्रियों को हमेशा पति व पुत्र के

अधीन रखा गया है। भारत में माता-पिता का अंतिम संस्कार करने के लिए भी पुत्र की आवश्यकता पड़ती है। इन सब मान्यताओं के कारण माता-पिता पुत्र की चाह करते हैं।

पुरुष प्रधान समाज रूप में भारतीय समाज पुरुष प्रधान है। जहाँ पर पुत्रों को पिता का उत्तराधिकारी माना जाता है। बच्चों के नाम के आगे पिता का नाम ही लगाया जाता है। वंश परंपरा बढ़ाने के लिए माता-पिता दादा-दादी आदि को पुत्र की आवश्यकता होती है। लड़की को शादी के बाद पति के घर पर ही जाकर रहना पड़ता है। उसके नाम के आगे उसके पति का नाम ही लगता है। यहां तक कि अंतिम संस्कार, पिंड, मोक्ष आदि के लिए भी पुत्र की आवश्यकता होती है। पिता की संपत्ति भी पुत्रों को मिलती है। इन सब कारणों से बालिकाओं का महत्व बालकों से कम आंका जाता है और लिंग विभेदभाव में वृद्धि होती है।

सांस्कृतिक कुप्रथाएं प्राचीन काल से ही भारतीय संस्कृति पुरुष प्रधान रही है। भारतीय संस्कृति में धार्मिक एवं यज्ञीय कार्यों में भी पुरुष की उपस्थिति अपरिहार्य है। एवं कुछ कार्य में तो स्त्रियों के लिए पूर्णतया निषेध है। अतः ऐसी स्थिति में पुरुष प्रधान हो जाता है तथा इस स्त्री का स्थान गौण हो जाता है।

मनोवैज्ञानिक कारक रूप में मनोवैज्ञानिक कारकों की भी लैंगिक विभेद में महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रारंभ से ही स्त्रियों के मन में यह बात बिठा दी जाती है कि पुरुष महिलाओं से अधिक श्रेष्ठ हैं। इसलिए उन्हें पुरुषों की प्रत्येक आज्ञा का पालन करना चाहिए। पुरुष के बिना स्त्रियों का कोई अस्तित्व नहीं है तथा उनसे ही उनकी पहचान तथा सुरक्षा है। इस प्रकार महिलाओं में यह मनोवैज्ञानिक धारणा बैठ जाती है कि पुरुष उनसे श्रेष्ठ हैं तथा वे स्वयं महिला होकर भी बालिकाओं के जन्म एवं उनके सर्वांगीण विकास का विरोध करती हैं।

दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली रूप में भारतीय शिक्षा प्रणाली अत्यंत दोषपूर्ण है जिसके कारण व्यक्ति के व्यावहारिक जीवन से शिक्षा का संबंध नहीं हो पाता। विशेष रूप से बालिकाओं के संबंध में शिक्षा व्यावहारिक होने से शिक्षा पर किए गए व्यय एवं समय की भरपाई नहीं हो पाती। अतः बालिकाओं की शिक्षा ही नहीं। अपितु इस लिंग के प्रति भी लोगों में बुरी भावना व्याप्त हो जाती है।

लोगों की संकीर्ण विचारधारा लड़के तथा लड़की में विभेद का एक कारण है। लोगों का मानना है कि लड़के मां-बाप की वृद्धावस्था का सहारा बनेंगे। वंश को आगे बढ़ाएंगे। उन्हें पढ़ाने-लिखाने से घर की उन्नति होगी जबकि लड़की को पढ़ाने लिखाने में धन एवं समय की बर्बादी होगी। यद्यपि वर्तमान में बालिकाएं लोगों की संकीर्ण सोच को तोड़ने का कार्य कर रही हैं। इसके बावजूद बालिकाओं के कार्यक्षेत्र चौका-बर्तन तक ही सीमित माना जाता है। अतः बालिकाओं की भागीदारी को स्वीकार न किए जाने के कारण बालकों के अपेक्षा बालिकाओं के महत्व को कम माना जाता है जिससे लैंगिक विभेद में वृद्धि होती है।

शिक्षा की कमी के कारण अभी भी ग्रामीण इलाकों में जागरूकता का अभाव है और ऐसा माना जाता है

कि स्त्रियों का क्षेत्र घर व बच्चों की देखभाल तक ही है इसलिए उन्हें ज्यादा शिक्षा दिलाने की आवश्यकता नहीं है। लड़कियों को घर पर ही रहना है। अतः उन्हें अतिरिक्त पोषण की आवश्यकता भी नहीं है। इसलिए बालक व बालिकाओं में शिक्षण तथा पोषण आदि स्तरों पर भी भेदभाव किया जाता है।

सूचना एवं तकनीकी के इस युग में भी भारतीय समाज में विभिन्न प्रकार की कुप्रथाएं एवं अंधविश्वास व्याप्त है जो इस प्रकार हैं-

बाल विवाह जैसी कुप्रथाओं के चलते बालिकाओं को कम उम्र में शादी करके विदा कर दिया जाता था और उनसे पढ़ने व आगे बढ़ने के अधिकार छीन ले जाते थे। बाल विवाह तो अब संविधान द्वारा समाप्त हो गए हैं फिर भी अधिकतर माता-पिता का जोर लड़की का जल्दी से जल्दी विवाह करने पर होता है। उसके लिए पढ़ने-लिखने आगे बढ़ने के अवसर सीमित हो जाते हैं। उसके जीवन का ध्येय घर तथा बच्चों की देखभाल तक सीमित रह जाता है।

प्राचीन समय में माता-पिता जब बेटी का विवाह करते थे तो यह सोच कर कि वह नए घर में संकोच करेगी उसकी जरूरत का सामान उसके साथ भेजते थे। यह माता-पिता का संतान के प्रति वात्सल्य का प्रदर्शन था। धीरे-धीरे दिखावे ने जोर पकड़ा और यह प्रथा अपनी संपदा का प्रदर्शन करने के लिए काम आने लगी। लड़के वाले लालच में आकर दहेज की मांग रखने लगे। हद तो तब हुई जब लालच पुरा न होने पर वधू के साथ मारपीट यहां तक कि उसकी हत्या भी होने लगी।

प्रकृति ने स्त्री को मानसिक तौर पर बहुत मजबूत बनाया है फिर भी शारीरिक तौर पर पुरुषों से कमजोर है इसलिए समझा जाता है कि स्त्री को हमेशा पुरुष के सहारे की आवश्यकता होती है। वह अपनी सुरक्षा अपने आप नहीं कर सकती। 15 साल की बहन के साथ 10 साल का भाई उसकी सुरक्षा के लिए भेजकर माता-पिता निश्चित हो जाते हैं। प्रायः लड़कियों को पढ़ने या नौकरी के लिए अलग शहर में भेजने में माता-पिता घबराते हैं। दिल्ली में हुए निर्भया काण्ड जैसी घटनाओं से यह डर दिन व रात बढ़ता चला जा रहा है।

गरीबी भारत का बहुत बड़ा अभिशाप है। बालकों को बालिकाओं से अधिक प्राथमिकता इसलिए दी जाती है क्योंकि वे बड़े होकर आर्थिक जिम्मेदारियों का बोझ बांटने का कार्य करेंगे। दूसरी तरफ लड़की के बड़े होने पर दहेज के रूप में बड़ा खर्च करना पड़ेगा। आर्थिक रूप से कमजोर माता-पिता को इन परिस्थितियों में लड़की बोझ व लड़का बुढ़ापे का सहारा लगता है। यह समस्या एक क्षेत्र की नहीं बल्कि भारत में सभी जगह व्याप्त है क्योंकि एक बड़ी आबादी गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रही है। अतः गरीबी कम होने पर रोक लगाई जा सकती है।

लैंगिक विभेद का प्रभाव

इन सब बातों के कारण समाज पर बहुत से कुप्रभाव पड़ रहे हैं जो इस प्रकार हैं-

में सुधार के साथ भ्रूण के स्वास्थ्य के विषय में जानने के लिए सोनोग्राफी आदि की तकनीकी का विकास हुआ जिससे बच्चे के विकास वंशानुगत बीमारी के साथ-साथ लिंग का पता भी चल जाता है। यह तकनीकी इसलिए विकसित हुई थी कि अविकसित या कमजोर भ्रूण को जन्म देने से रोका जा सके परंतु उसका दुरुपयोग तब होने लगा जब जन्म से पूर्व लिंग जांच कर कन्या भ्रूणों को जन्म से पूर्व खत्म किया जाने लगा।

भ्रूण हत्या के बढ़ते चलन के कारण धीरे-धीरे समाज में स्त्रियों की संख्या कम होने लगी। जनगणना के अनुसार 1991 में हजार लड़कों पर 945 लड़कियां थी और 2001 में यह और कम होकर 927 लड़कियां ही रह गई। हरियाणा, राजस्थान जैसे राज्यों में यह अनुपात और कम है। स्थिति ऐसी है कि बड़े-बड़े शहरों में नवरात्रि के समय होने वाले कन्या भोज के लिए भी लड़कियां नहीं मिलती।

हर जगह भेदभाव को सहन कर महिलाएं मानसिक रूप से कुंठित हो जाती हैं। उनके मानसिक स्वास्थ्य पर इसका कुप्रभाव पड़ता है और वह स्वयं मानने लगती हैं कि पुरुष उनसे श्रेष्ठ हैं। स्वयं स्त्री होकर अपने बेटे-बेटी में भेदभाव करने लगती हैं। इस प्रकार यहां तक कि वे प्रथाएं पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती हैं।

लैंगिक विभेद की समाप्ति के निम्नलिखित उपाय हैं:

किसी भी तरह की सामाजिक बुराई को दूर करने का एकमात्र उपाय सामान्य जन में जागरूकता लाना है। इसके लिए सरकार शिक्षण संस्थान, जनशिक्षा के माध्यम जैसे- अखबार, टीवी, रेडियो आदि को मिलकर काम करना पड़ेगा जिससे लड़के लड़कियों के लिंग को लेकर पीढ़ियों से चले आ रहा है विभेद को दूर किया जा सकेगा। लेखक, गीतकार, टीवी प्रोग्राम बनाने वाले, फिल्मकार आदि इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। ये लोग अपनी रचनाओं में नारी का महत्व तथा ईश्वर द्वारा बनाए नारी-पुरुष दोनों रूपों की बराबरी को दर्शा सकें। इस प्रकार जन शिक्षा के माध्यमों का जनमानस पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। समाज में इन विषयों पर जागरूकता पैदा करने के लिए लैंगिक भेदभाव के दुष्प्रभाव को बताना बहुत जरूरी है।

लिंग विभेद का बहुत बड़ा कारण लड़कियों को कम शिक्षित होना या व्यवसायिक के रूप से शिक्षित ना होना होता है। बालिकाओं के लिए अलग से स्कूल, कॉलेज तथा व्यवसायिक कॉलेज खोले जाने चाहिए जहां वह आसानी से एवं सुरक्षित रूप से पहुंच सकें। अगर लड़कियां पढ़-लिख कर अपने पैरों पर खड़ी होंगी तो उनमें आत्मविश्वास का संचार होगा और समाज में उनका महत्व बढ़ेगा।

शिक्षा व्यवस्था में इस प्रकार से सुधार हो जिससे बालिकाओं के लिए समस्याएं कम हों। ऐसा पाठ्यक्रम हो जिसमें बालिकाओं की रुचि हो। शिक्षा बालिकाओं के वास्तविक जीवन से जुड़ी हो। महिला शिक्षा भी व्यवसाय केंद्रित हो जिसे पढ़कर उन्हें रोजगार प्राप्त हो। इससे परिवार भी उन्हें पढ़ाने में विशेष रुचि लेगा। विद्यालयों में लिंग आधारित विभेदभाव बिल्कुल खत्म होना आवश्यक है।

सती प्रथाए पर्दा प्रथाए बाल विवाह जैसी कुप्रथाएं जो महिलाओं के प्रगति में बाधक हैं उन्हें समाप्त कर मुख्यधारा को मुख्य धारा में जोड़ा जाना चाहिए। कुछ धार्मिक कर्मकांड ऐसे हैं जो सिर्फ पुरुष आधारित हैं। अभी हाल में कुछ मंदिरों में महिलाओं के प्रवेश को लेकर हंगामा हुआ। महिलाएं भी पुरुषों की तरह भगवान की अनुपम कृति हैं। उन्हें सभी प्रकार के कर्मकांड करने का अधिकार मिलनी चाहिए।

महिलाओं के खिलाफ दिन प्रतिदिन अपराध जैसे बालात्कार, एसिड से हमला, अपहरण आदि बढ़ने से माता-पिता की लड़कियों को लेकर चिंता बढ़ती रहती है। सुरक्षात्मक वातावरण होने से लड़कियों को न केवल असुरक्षा की भावना की वजह से पीछे रहना पड़ेगा बल्कि अभिभावक भी निःशंक रह सकेंगे।

महिलाओं को सभी प्रकार के अधिकार पुरुषों के समान मिलने चाहिए और इसके लिए उन्हें विशेषाधिकार भी मिलना चाहिए जिससे कि वह पुरुषों की बराबरी कर सकें। भारतीय संविधान में स्त्रियों के विकास तथा उनकी क्षमता के लिए अनेक प्रयास किए गए हैं। जरूरत है तो इन सबको मानस तक पहुंचाने की।

प्राचीन काल से ही हमारे समाज में कुछ मान्यताएं एवं परंपराओं का पालन किया जा रहा है। इनके पालन के पीछे व्यक्तियों में सामाजिक एवं धार्मिक भय व्याप्त है। इन गलत परंपराओं व मान्यताओं को धीरे-धीरे समाप्त करने की आवश्यकता है क्योंकि सभी स्त्री एवं पुरुष दोनों लिंगों की समानता की बात पर विचार कर सकते हैं।

लैंगिक विभेद को समाप्त करने में प्रशासनिक प्रयासों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। अतः सरकार के द्वारा जो भी नियम कानून बनाए गए हैं उनका कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए। लैंगिक विभेद को कम करने के लिए प्रशासन द्वारा सहसी एवं प्रतिभावन महिलाओं एवं बालिकाओं को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए जिससे जनसामान्य की बालिकाओं के विषय में धारणा परिवर्तित हो सके।

लैंगिक असमानता के खिलाफ कानूनी और संवैधानिक सुरक्षा उपाय

लिंग असमानता को दूर करने के लिये भारतीय संविधान ने अनेक सकारात्मक कदम उठाये हैं। संविधान की प्रस्तावना हर किसी के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्राप्त करने के लक्ष्यों के साथ ही अपने सभी नागरिकों के लिए स्तर की समानता और अवसर प्रदान करने के बारे में बात करती है। इसी क्रम में महिलाओं को भी वोट डालने का अधिकार प्राप्त है।

संविधान का अनुच्छेद भी लिंग, धर्म, जाति और जन्म स्थान पर अलग होने के आधार पर किये जाने वाले सभी भेदभावों को निषेध करता है। अनुच्छेद 15 य 3 द्वा किसी भी राज्य को बच्चों और महिलाओं के लिये विशेष प्रावधान बनाने के लिये अधिकारित करता है। इसके अलावा राज्य के नीति निर्देशक तत्व भी ऐसे बहुत से प्रावधानों को प्रदान करता है जो महिलाओं की सुरक्षा और भेदभाव से रक्षा करने में मदद करता है।

भारत में महिलाओं के लिये बहुत से संवैधानिक सुरक्षात्मक उपाय बनाये हैं पर जमीनी हकीकत इससे बहुत अलग है। इन सभी प्रावधानों के बावजूद देश में महिलाएं के साथ आज भी द्वितीय श्रेणी के नागरिक के रूप में व्यवहार किया जाता है। पुरुष उन्हें अपनी कामुक इच्छाओं की पूर्ति करने का माध्यम मानते हैं। महिलाओं के साथ अत्याचार अपने खतरनाक स्तर पर हैं। दहेज प्रथा आज भी प्रचलन में है। कन्या भ्रूण हत्या हमारे घरों में एक आदर्श है।

सती प्रथा

-SONI UNIYAL [SESSION 2020-22]

भारत में प्राचीन हिन्दू समाज की एक घिनौनी एवं ग़लत प्रथा है। इस प्रथा में जीवित विधवा पत्नी को मृत पति की चिता पर जिंदा ही जला दिया जाता था। 'सती' (सती, सत्य शब्द का स्त्रीलिंग रूप है) हिंदुओं के कुछ समुदायों की एक प्रथा थी, जिसमें हाल में ही विधवा हुई महिला अपने पति के अंतिम संस्कार के समय स्वयं भी उसकी जलती चिता में कूदकर आत्मदाह कर लेती थी। इस शब्द को देवी सती (जिसे दक्षायनी के नाम से भी जाना जाता है) से लिया गया है। देवी सती ने अपने पिता राजा दक्ष द्वारा उनके पति शिव का अपमान न सह सकने करने के कारण यज्ञ की अग्नि में जलकर अपनी जान दी थी। यह शब्द सती अब कभी-कभी एक पवित्र औरत की व्याख्या करने में प्रयुक्त होता है। यह प्राचीन हिन्दू समाज की एक घिनौनी एवं ग़लत प्रथा है।

प्राचीन काल में सती प्रथा

भारतीय (मुख्यतः हिन्दू) समाज में सती प्रथा का उद्भव यद्यपि प्राचीन काल से माना जाता है, परन्तु इसका भीषण रूप आधुनिक काल में भी देखने को मिलता है। सती प्रथा का पहला अभिलेखीय साक्ष्य 510 ई. पू. के अरुण अभिलेख में मिलता है।

सती प्रथा हटाने हेतु आंदोलन

राजा राममोहन राय ने सती प्रथा को मिटाने के लिए भी प्रयत्न किया। उन्होंने इस अमानवीय प्रथा के विरुद्ध निरन्तर आन्दोलन चलाया। यह आन्दोलन समाचार पत्रों तथा मंच दोनों माध्यमों से चला। इसका विरोध इतना अधिक था कि एक अवसर पर उनका जीवन ही खतरे में था। वे अपने शत्रुओं के हमले से कभी नहीं घबराये। उनके पूर्ण और निरन्तर समर्थन का ही प्रभाव था, जिसके कारण लार्ड विलियम बैंटिक 1829 में सती प्रथा को बन्द कराने में समर्थ हो सके। जब कट्टर लोगों ने इंग्लैंड में 'प्रिवी काउन्सिल' में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, तब उन्होंने भी अपने प्रगतिशील मित्रों और साथी कार्यकर्ताओं की ओर से ब्रिटिश संसद के सम्मुख अपना विरोधी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। उन्हें प्रसन्नता हुई जब प्रिवी काउन्सिल ने सती प्रथा के समर्थकों के प्रार्थना पत्र को अस्वीकृत कर दिया। सती प्रथा के मिटने से राजा राममोहन राय संसार के मानवतावादी सुधारकों की सर्वप्रथम पंक्ति में आ गये।

सती प्रथा का अंत

15 वीं शताब्दी में कश्मीर के शासक सिकन्दर ने इस प्रथा को बन्द करवा दिया था। बाद में पुर्तगाली गर्वनर अल्बुकर्क ने इस प्रथा को बन्द करवा दिया। भारत में अकबर (मुग़ल सम्राट) व पेशवाओं के

अलावा कम्पनी के कुछ गर्वनर जनरलों जैसे लार्ड कार्नवालिस एवं लार्ड हैस्टिंग्स ने इस दिशा में कुछ प्रयत्न किये, परन्तु इस क्रूर प्रथा को कानूनी रूप से बन्द करने का श्रेय लार्ड विलियम बैंटिक को जाता है। राजा राममोहन राय ने बैंटिक के इस कार्य में सहयोग किया।

1829 ई. के 17 वें नियम के अनुसार विधवाओं को जीवित ज़िन्दा जलाना अपराध घोषित कर दिया। पहले यह नियम बंगाल प्रेसीडेंसी में लागू हुआ परन्तु बाद में 1830 ई के लगभग बम्बई और मद्रास में भी लागू कर दिया गया।

आज़ाद भारत में भी बना कानून

एक अनोखा मोड़ तब आया जब वकील और राजनेता मोतीलाल नेहरू जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हुए थे और ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी. उन्होंने उत्तर प्रदेश में 1913 में एक सती मामले में उच्च जातियों के छह लोगों की कोर्ट में पैरवी की थी।

उन पुरुषों ने कहा था कि चिता 'विधवा महिला की धर्मनिष्ठा की वजह से चमत्कारिक रूप से जल उठी थी जजों ने चमत्कार की थ्योरी को खारिज करते हुए इसकी निंदा की और पुरुषों को आत्महत्या के लिए उकसाने का दोषी ठहराते हुए दो लोगों को चार साल की जेल की सज़ा सुनाई थी।

70 साल बाद सती प्रथा की कहानी में एक अंतिम मोड़ आया. 1987 में मोतीलाल नेहरू के परपीते राजीव गांधी ने इस 'प्रथा' गुणगान करने को अपराध बनाने के लिए कानून बना दिया. वो लोग जो सती प्रथा का समर्थन करेंगे या उसे जायज़ ठहराएंगे या उसे प्रसारित करेंगे उसको सात साल की सज़ा हो सकती है।

इस कानून में प्रथा को हत्या से जोड़ दिया गया और जो इसे बढ़ावा देता है उसे मौत की सज़ा दी जाएगी।

यह क़दम राजस्थान के एक गांव में हुई सती प्रथा की घटना के बाद उठाया गया था. रूप कंवर नामक किशोरी को सती कर दिया गया था जिसकी पूरे भारत में निंदा हुई थी और इसे आखिरी सती प्रथा की घटना माना जाता है।

निष्कर्ष:

इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सही प्रथा जो की एक कुप्रथा थी का अंत कराने में कई सारे लोगो का महत्वपूर्ण योगदान रहा। जिससे समाज में औरतों को सम्मान मिला और लैंगिक समानता को • बढ़ावा मिला है स्त्रीयों को भी पुरुषों की तरह जीने का अधिकार है।

सुझाव:

- (1) इस प्रकार की के घिनौने अपराध हेतु उकसाने वालों को सजा मिलनी चाहिए
- (2) विधवाओं के हित को ध्यान में रखते हुए उनके लिए रोजगार में छूट उपलब्ध
- (3) विधवाओं को भी अन्य महिलाओं के भांति जीने का अधिकार है उन्हें भी सम्मान देना चाहिए





भूमिका

हे स्त्री! धन्यवाद तुम्हारा,
जो तुमने समर्पण सिखाया।
एक पुरुष का घर तुमने
बसाया,
तुमने ही उसका संसार
बनाया।

हे स्त्री! धन्यवाद तुम्हारा,
जो तुमने समर्पण सिखाया।

एक पुत्री का किरदार
निभाया,
माता पिता का सम्मान
बढ़ाया।
बहना बन कर प्यार सिखाया,
पत्नी बन कर परिवार बनाया।

हे स्त्री! धन्यवाद तुम्हारा,
जो तुमने समर्पण सिखाया।

मां का किरदार ऐसे निभाया,
संसार का सबसे पवित्र रिश्ता
कहलाया।
छणभर लम्हों में न गुणगान
हो सकेगा,
फिर भी हे स्त्री धन्यवाद
तुम्हारा।

हे स्त्री! धन्यवाद तुम्हारा,
जो तुमने समर्पण सिखाया।

हे पुरुष! आभार तुम्हारा,
जो तुमने जिम्मेदारी का
आभास कराया।
घर का सारा बोझ उठाया,
परिवार का मार्गदर्शन
कराया।

हे पुरुष! आभार तुम्हारा,
जो तुमने जिम्मेदारी का
आभास कराया।

एक बेटे का किरदार
निभाया,
मात-पिता का गौरव बढ़ाया।
घर की रोजी रोटी कमाई,
परिवार को एकजुट बनाया।

हे पुरुष! आभार तुम्हारा,
जो तुमने जिम्मेदारी का
आभास कराया।

भाई बन कर रक्षा का दायित्व
संभाला,
मित्र बन कर दुखों में संभाला।
पति बन कर सदा हाथ को
धामा,
पिता बन कर प्रेम और करुणा
को समझाया।

हे पुरुष! आभार तुम्हारा,
जो तुमने जिम्मेदारी का
आभास कराया।